राजस्थान विधान सभा

३७ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक—७ जून, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ७ बजकर ३५ मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर सम्बन्धी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो भी प्रश्न लिये जाने वाले हैं उनके बारे में जनरली सेशन शाम को ही हुआ करता है इसलिये प्रश्न भी शाम को ही लिये जावेंगे, यही ख्याल करके एक-दो मंत्री अनुपस्थित हैं। इसलिये प्रश्न आज शाम को रख लिये जावें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह प्रिज़्यूम करके चलना तो ठीक नहीं कि सेशन शाम को होगा ही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह तो एक मानी हुई बात है कि जब हम सुबह मिले हैं तो शाम को तो मिलेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—All right. Then we will adjourn earlier.

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९५४
(खण्डशः विचार-विमर्श-क्रम में)

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १३, श्री तनसिंह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका जवाब भी शाम को देने के लिये रख लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—क्या इसका जवाब भी शाम को देंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, सब का जवाब शाम को दे दूँगा।

Page No.2

श्री अध्यक्ष—सब चीज शाम को।

श्री तनसिंह—मेरा ख्याल है कि अभी और भी संशोधन रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष--Clause 16, I take it from that end.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, मेरा एमेंडमेंट इस प्रकार है :

"In sub-section (2) of section 22 of the Principal Act after clause (e) sought to be substituted in the Principal Act, the following proviso shall be added, namely :—

'Provided that where a tenant disputes the Jagirdar's claim for the dues mentioned in sub-clause (b) the Jagirdar shall be required to file a suit for such dues according to law'."

माननीय अध्यक्ष, मेरा एमेंडमेंट इस क्लॉज़ में बहुत सीधा है। ओरिजिनल क्लॉज़ में यह व्यवस्था की गई है कि जागीरदारों का जो भी कुछ रुपया काश्तकारों में बाकी हो उसको सरकार उससे वसूल करके जागीरदारों को दे दे। लेकिन मौजूदा सूरत को देखते हुए अगर यह अधिकार बगैर किसी प्रोविजन के ही दे दिया जाता है तो जागीरदार कोई भी लिस्ट बना कर सरकार के पास पेश कर देंगे और उसकी वसूली इस कानून के अनुसार आवश्यक हो जाती है और बगैर किसी तकाजे के सारा रुपया वसूल कर लिया जाता है।

तो ऐसी स्थिति में आज के जमाने में जब कि पहले न रसीदें देने का रिवाज था और न जागीरदार आमतौर पर काश्तकारों को रसीदें दिया करते थे, एक बड़ी विषम स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि जिस रुपये का पेमेन्ट कर दिया गया है, जो रुपया वाजिब काश्तकार में बाकी नहीं है, वह भी इस क्लॉज़ के तहत काश्तकारों से जागीरदार द्वारा वसूल किया जा सके। यह जो अमेंडमेंट मूव किया है उसकी मन्शा यही है कि अगर काश्तकार कहे कि वाकई रुपया देना बाकी है तो वह रुपया राज्य सरकार की ओर से वसूल किया जाकर जागीरदार को सौंप दिया जाय, किन्तु यदि काश्तकार यह उज्र करे कि रुपया देना बाकी नहीं है तो फिर उस हालत में जागीरदार कोर्ट में जाकर डिक्री कराये और अगर वाकई रुपया निकलता है तो वसूल करे। जब इस एक्ट के जनरल प्रिन्सिपल्स पर बहस हो रही थी तो आमतौर पर ओब्जेक्शन्स किये गये थे। बगैर किसी तहकीकात के रुपया नहीं दिया जावे इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैंने पन्त रिपोर्ट को भी देखने की कोशिश की और उसमें भी यह कहीं नहीं है कि बगैर किसी कारण के और बिना तहकीकात के काश्तकारों से रुपया वसूल किया जाकर जागीरदारों को दिलाया जावे। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यह अमेंडमेंट बड़ा आवश्यक है और माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार करेंगे।

Page No.3

कु० श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि उन्होंने जो अमेंडमेंट रखा है वह बहुत सीधा है। मैं मानता हूँ कि जैसा उनका ख्याल है यह अमेंडमेन्ट बहुत सीधा है, लेकिन अगर यह अमेंडमेंट कोई दूसरा मूव करता तो वे शायद ये विचार नहीं रखते किन्तु और ही विचार रखते। जब किसी काश्तकार के प्रति जागीरदार के ड्यूज़ हैं तो सरकार का, जब कि जागीरें ले रही है तो, यह कर्तव्य बन जाता है कि वह देखे कि वे ड्यूज़ वाजिब हैं या नहीं। यदि वाजिब हैं तो सरकार उनको दिलायगी और अगर गैर वाजिब है तो सरकार उनको मंजूर नहीं करेगी। लेकिन अगर यह हिदायत कर दी जायगी कि कोर्ट में जाकर डिस्प्युटेड केसेज़ को तय करायें तो जितनी डिफिकल्टीज़ और जो समस्यायें माननीय कपिलदेवजी सोच रहे हैं, लिटिगेशन के जरिये से दस गुनी और हजार गुनी बढ़ जावेंगी और क्या हालत जागीरें लेने के बाद होगी, कितने झगड़े जागीरदारों और काश्तकारों के बीच जागीरदार न रहते हुए भी होंगे, और पोलिटिकल रीजन्स की वजह से झगड़े कराये जावेंगे और उस वजह से भी ये समस्यायें कोर्ट में ले जायी जावेंगी, तो यह सब इतनी बड़ी समस्या हो जायगी कि जागीरदारों के जो वाजिब ड्यूज़ हैं वे भी उनको किसी हालत में नहीं मिलेंगे और अगर सरकार इस अमेन्डमेन्ट को मान लेगी जो कि दिखने में सिम्पल (simple) मालूम होता है किन्तु असल में बहुत जटिल है और एक काबिल और योग्य वकील मेरे माननीय मित्र श्री कपिलदेवजी द्वारा यह लाया गया है, तो मैं यह निवेदन करूँगा कि हम यही समझेंगे कि हमारे एमेंमेन्ट के विपरीत इसको मंजूर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, प्रिन्सिपल एक्ट के क्लॉज़ २२ में मैंने जो तीन-चार संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनमें से सबसे पहला जो संशोधन विधेयक की उपधारा (२) में दिया गया है उसमें यह शब्द जोड़ने के लिए निवेदन किया है कि "Insert the words 'and built and used exclusively for schools and hospitals' after the word 'compounds' in line 3 of clause (a) (ii) of clause 16." ये शब्द कम्पाउंन्ड के आगे जोड़ दिये जायं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्लॉज़ ३ में जो मकानात, स्कूल्स, ऑफिसेज़, होस्पिटल्स वगैरह पब्लिक पर्पज़ेज़ के लिए जागीरदारों ने बनवाये थे उस वक्त में यह ठीक समझा गया था कि उनकी रेज़िडेन्सेज़ के पास में ही उनकी देख-रेख में मकानात बनें और जागीरदार उनकी देख-रेख करें। इसमें सवाल यह पड़ गया है कि उनके रहने के मकान और ये मकानात दोनों एक ही एरिया में बसे हुए हैं इसलिए उनका रहना और इस तरह के मकानात का साथ में रहना एक परेशानी में डालता है और इससे दोनों को फायदा नहीं होता। न तो इससे उस संस्था को ही फायदा हो सकता है और न उस रहने वाले को ही। इसलिए बहतर यह समझा गया कि इस संशोधन विधेयक के जरिये ऐसे मकानात जो स्कूल्स और होस्पिटल्स के काम में अभी तक आते रहे हैं, लेकिन चूँकि जागीरदार के रहने के एरिया में पड़ते हैं, जो कि उनके कब्जे में चले आते रहे हैं, अतः उनको भी उनके सुपुर्द कर दिया जाय। मैं इस

[श्री जवानसिंह]

संशोधन के जरिये और साफ करना चाहता हूँ कि जो मकानात, स्कूल्स, होस्पिटल्स आदि उस एरिया में जहां कि जागीरदार रहता है नहीं हों तो उनको सरकार कब्जे में करे और स्कूल्स, होस्पिटल्स और दूसरी तरह की बिल्डिंग्ज़ जो जागीरदार के मकानों के एरिया में हों और जैसा कि गढ़ के नाम से प्रचलित है, तो ऐसे मकान जागीरदारों के कब्जे में रहने चाहिए और उनकी प्रोपर्टी मान ली जानी चाहिए। ऐसा संशोधन विधेयक में भी है और खुलासा तौर पर मैंने निवेदन किया है कि मेरे संशोधन के जरिये वे मकानात खासतौर पर किसी एरिया में बनाये गये हों या बाहर भविष्य में उनके सम्बन्ध में कोई झगड़ा-फिसाद न हो उस चीज़ को मद्दे नजर रखकर ये मकानात जागीरदारों के पास ही रहने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह संशोधन अवश्य स्वीकार किया जायगा।

मेरा दूसरा संशोधन इस क्लॉज़ में जो है वह इस प्रकार से है कि उपखण्ड (२) के क्लॉज़ (इ) में जो नये तौर से संशोधन विधेयक में दी गई है कि—"(ii) (c) preclude the Government from remitting wholly or in part any loans advanced to the jagirdar by the Government."

इसके आगे के शब्द कि—"and utilised by him for the economic or agricultural development of his jagir lands other than Khudkasht lands" हैं, उन शब्दों को डिलीट करने का मैंने निवेदन किया है।

इस कारण मैं साफ यह मानता हूँ कि सरकार के सामने यह सवाल आ जायगा कि जागीरदारों ने अपनी जमीन को पीवल बनाने के लिए उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेन्ट किया है और उन इम्प्रूमेन्ट्स के लिए जागीरदार ने जो कुछ भी खर्चा किया उस खर्चे का, अब जब कि जागीरों का उन्मूलन हो रहा है, कौन भार वहन करे? ऐसी परिस्थिति में जब कि किसी जमीन पर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट है, उस जमीन पर जागीरदारों ने खर्चा किया है तो उसका फायदा, अब यह जरूरी नहीं है कि जागीरदार ही उठावें और आपको ज्यादातर ऐसे मामले मिलेंगे कि वे जमीनें जिन पर काफी खर्चा किया गया है जागीरदारों द्वारा कर्जा लेकर खर्चा किया गया है, अब किसानों के कब्जे में हैं और जिसका फायदा भविष्य में किसान उठावेंगे। फोर्मर राजस्थान की तरफ माननीय अध्यक्ष, यदि ख्याल करें तो ऐसे केसेज़ और भी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां पर तालाबों के जरिये से सिचाई होती है और तालाबों पर हजारों और लाखों रुपया खर्च किया गया है।

तो, इन परिस्थितियों में, जागीरदारों ने जो कर्जा किया, उनका बोझ किसी कदर उन पर न आना चाहिये। सरकार किसी कदर उस खर्चे को समझे कि जितना खर्चा उन्होंने किया उस जमीन के लिये, उस जमीन की बेहबूदी के लिये किया आज उस जमीन का फायदा सरकार उठाने वाली है तो सरकार को चाहिये कि उन कर्जों को अपने ऊपर ले। उस सम्बन्ध में सरकार अपना जजमेन्ट निश्चित तौर से देगी और वह खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। अगर कोई काश्तकार उस जमीन से फायदा उठाते हैं तो उसका खर्चा वे दें। यह जो संशोधन रखे गये हैं उनमें यह मद्देनजर

[श्री जबानसिंह]

रखा गया है कि अगर इकोनोमिक एग्रिकलचर डेवेलपमेन्ट के लिये जो कुछ भी खर्चा जागीरदारों द्वारा किया गया, अगर वह सरकार के हाथ में आती है तो उसके लिये ऐसे खर्चे, जो जागीरदारों द्वारा किये गये हैं, माफ कर दिये जायेंगे या वसूल करें यह सरकार के हाथ में रखा गया है। मैं अपने संशोधन के जरिये यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैं केवल इतने ही अधिकार सरकार को देने के पक्ष में नहीं हूँ, सरकार को मैं अपने अमेन्डमेन्ट द्वारा ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में हूँ। किसी भी तरह का कर्जा जो जागीरदार पर है उसके सम्बन्ध में सरकार को अधिकार मिल सके, वह चाहे तो उस कर्जे को जागीरदार से वसूल करे या उसको माफ कर दे, यह सरकार को हक है। इसमें यह साफ है कि किस तरह के कर्जे माफ होंगे, किस तरह के कर्जे देने होंगे। ये तमाम बातें सेक्शन द्वारा, रूल्स के जरिये जो अलग-अलग रूल्स बनेंगे उसके जरिये कार्यवाही निश्चित की जायगी। इसलिये माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री को ज्यादा अधिकार देना चाहता हूँ, जो अधिकार उन्होंने अपने लिये रखे हैं वे उससे ज्यादा अधिकार लें ताकि उससे उनके हाथ ज्यादा मजबूत होंगे और इससे जो वाजिब कर्जा है उसको माफ कर सकेंगे और जो कर्जा है, वाजिब है उसको जागीरदारों से वसूल कर सकेंगे।

इसके अलावा एक मेरा संशोधन और है, वह यह कि जहाँ पर जागीरदारों के कर्जे का सवाल आता है उस सम्बन्ध में है। वह संशोधन इस क्लॉज़ में महत्वपूर्ण है, इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अब तक जागीरदारों के पास उनकी जो जागीरें रहीं उनको आज से चार-पाँच साल पहले इस बात का अनुभव भी नहीं था कि उनकी जागीरें खत्म हो जायँगी या उनका भविष्य इस प्रकार हो जायगा। तो उन्होंने जो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये या तालाबों के लिये या नये दूसरी प्रकार के अपनी जागीरों की आमदनी बढ़ाने के लिये तरह-तरह का कर्ज किया जो हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपयों का खर्च कर दिया। अब सवाल यह आता है कि आज हमेशा के लिये जागीरें जा रही हैं, मानो जिनकी कभी जिन्दगी ही नहीं थी। जागीरदार भले ही सौ साल पहले यह समझते होंगे कि हमारी इस प्रकार की व्यवस्था का कभी भी खात्मा नहीं होगा। किन्तु जमाने ने पलटा खाया और जमाने के बदलने के साथ साथ जागीरी प्रथा की समाप्ति का भी समय आ गया जिसकी कभी किसी भी जागीरदार को आशा नहीं थी। उन्होंने कर्जा किया और अपनी जागीरों की आमदनी को बढ़ाने की चेष्टा की और आज उस तमाम आमदनी की सरकार हकदार है, इसको हम सब मानते हैं। तो यह भी होना चाहिये इसके लिये कि जागीरदारों ने जो कर्ज किया तो क्या जागीरें समाप्त होने के बाद भी जिस आधार पर जो कर्जा किया गया क्या उनके समाप्त होने के बाद भी क्या वह कर्जा जागीरदारों से वसूल किया जाय, यह प्रश्न हमारे सामने रहता है। अगर सरकार उस कर्जे को अपने ऊपर लेती है तो वास्तव में सरकार का रुख इन जागीरदारों को खत्म कर जागीरदारों को सच्चे नागरिक की भाँति बसाया जाय, उनको रिहेबीलिटेशन की सहायता दी जाय तो वे दूसरे काश्तकारों की तरह बस सकते हैं और इस तरह से फायदा दिया जा सकता है और उनको बसाया जा सकता है। मेरा यह निवेदन है कि यह समय है कि आप निष्पक्ष रूप से, चाहे इन्होंने पुराने जमाने में कुछ भी किया हो, पुराना इतिहास इनका कुछ भी क्यों न रहा हो किन्तु उनको बसाने के लिये, हम उनके

[श्री जवानसिंह]

ऊपर इस तरह का भार रखने के बजाय उनको बसायें और इस कर्जे के भार को हटाना चाहिये। अगर हम नहीं हटाते हैं तो वे सहन भी नहीं कर सकेंगे और जिस कदर आप उनको सहायता देने जा रहे हैं सहायता से कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि इस कर्जे के भार से वे दब जायेंगे और खत्म हो जायेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि आप इस विषय में निष्पक्ष रूप से विचार करें और अगर वास्तव में आप उनको फिर से बसाना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को मान लेना चाहिये और इसके बाद हमारे प्रश्न सारे के सारे हल हो जायेंगे। जो कुछ भी कर्जा किया गया जागीरों की उन्नति के सिलसिले में और जिन साधनों से सरकार फायदा उठाने जा रही है तो वे सारे कर्जे सरकार अपने ऊपर ले। यह वाजिब चीज है, यह कोई गैरवाजिब सुविधा नहीं होगी।

अब हमारे सामने जागीरी प्रथा खत्म हो रही है, उस चीज से जो फायदा उठाने वाले थे वे खत्म हो रहे हैं और अब सरकार जागीरी उन्मूलन कर रही है और इस चीज को पास कर चुके तो तमाम कर्जों का बोझ सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये। यदि वह अपने ऊपर कर्जे का भार लें लेगी तो हम समझेंगे कि वास्तव में सरकार जागीरदारों को बसाना चाहती है। जब तक ये खर्चे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी तब तक उनको राहत नहीं मिल सकती। अगर आपने वे कर्जे उन्हीं पर लागू किए तो एक हाथ से आप उनको जो दे रहे हैं वह दूसरे हाथ से आप लेते जायेंगे। इस तरह से उनके बसाने की तरफ जो आप कदम उठा रहे हैं दूसरी तरफ से वे खत्म होते जायेंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूँगा कि किसी को फायदा देने का सवाल नहीं, केवल बसाने के ख्याल से अगर आप वास्तविक रूप से जागीरदारों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो कर्जे हैं उनको आप न कम्पेन्सेशन में से काटें और न रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट में से काटें, वरना जो चीज आप, बसाने के लिए, कर रहे हैं उसका लक्ष्य है, उसको खत्म कर देंगे केवल कागजों के ऊपर कम्पेन्सेशन रह जायगा। इसलिए खास तौर से यह निवेदन करूँगा कि आप निष्पक्ष रूप से सहानुभूति का रुख रखते हुए इनको वापिस अपने आपको बसाना है, इस चीज को ख्याल में रखते हुए इन पर किसी प्रकार भार न पड़े इसलिये ऐसे कर्जे सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए। मैंने जो इस प्रकार का संशोधन रखा है गवर्नमेन्ट उस पर विचार करे और इसको उचित अवश्य समझे और मेरा ऐसा ख्याल है कि वे इसको मानेंगे भी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I take the amendment as moved. क्लॉज़ १६ के सिलसिले में मैंने तीन संशोधन पेश किये हैं। पहला संशोधन यह है– क्लॉज़ १६ के भाग (ए) का पार्ट (२) जिसके द्वारा ओरिजिनल एक्ट के सब सेक्शन (जी) में कुछ संशोधन किया जाय, ऐसा सुझाव दिया है कि इसको डिलीट कर दिया जाय। अगर आप ओरिजिनल एक्ट के (जी) के ऊपर नजर दौड़ायेंगे तो वहाँ ऐसा दर्ज है :

"(g) The right, title and interest of the jagirdar in all buildings on jagir lands used for schools, offices, hospitals and any other public purposes shall stand extinguished, etc. etc."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब जो संशोधन इस क्लॉज़ १६ द्वारा किया जा रहा है उसमें पहले तो इसका स्कोप कम किया गया। वहाँ ओरिजिनल सेक्शन में स्कूलों, दफतरों, अस्पतालों और दूसरे-दूसरे आम सामाजिक कार्यों का जिक्र है वहाँ संशोधित क्लॉज़ में केवल स्कूल और अस्पतालों का जिक्र है। मुझे यह नहीं समझ में आया कि स्कूल और अस्पताल के अलावा और दूसरे पब्लिक पर्पज़ के कामों के लिए अगर बिल्डिंग्ज़ काम आती हैं, कोई वाचनालय के काम आती हों, लाइब्रेरी के काम में आती हों अथवा और भी किसी प्रकार के अन्य सामाजिक कार्य के लिए काम में आती हों तो उसे इस सेक्शन से क्यों अलग किया जा रहा है, इसका कोई कारण नहीं मालूम होता है।

इसके अलावा जब जागीरों का पुनर्ग्रहण किया जा रहा है तो जागीरों के मैनेजमेन्ट के सिलसिले में जो ऑफिस के लिए बिल्डिंग्ज़ बनाई गई थीं और जो उस वक्त इस काम में आती थीं वे अब जागीरदार की स्वयं की सम्पत्ति किस आधार पर मान ली जावें और क्यों नहीं उन ऑफिसों को ही, सरकार जब इन्तजाम अपने हाथ में लेगी तो अपने ऑफिसों के रूप में इस्तेमाल में लेती है। यह भी संशोधन क्यों किया गया है, यह मेरी समझ में नहीं आया माननीय अध्यक्ष। इसके अलावा सेक्शन (बी) में और तब्दीली की गई है और जो शब्द जोड़े हैं उनमें 'schools and hospitals not within residential compounds'' यदि "schools and hospitals not within residential compounds"; ऐसे "not within residential compounds" का सम्बन्ध भी जोड़ा गया है।

इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करके हम जो आज देहातों में वस्तुस्थिति है उसके बारे में अपनी बड़ी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। मेरा खयाल है कि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देहातों के अन्दर जहाँ-जहाँ इसे जागीरदारों के कोट कहा करते हैं वहाँ एक सारी की सारी बिल्डिंग समझ लें, दफतर समझ लें, रेज़ीडेन्स समझ लें, स्कूल्स की जगह समझ लें, अस्पताल की जगह समझ लें; सारी की सारी एक बिल्डिंग, एक कम्पाउन्ड के मातहत आने वाली चीज नहीं होती है, हालां कि इसमें तरह-तरह के अधिकार और तरह-तरह के दूसरे कार्य भी करने की व्यवस्था है। तो वह जो कोट है वह रेज़ीडेन्स नहीं। वह तो "residence and office and hospital all held into one" इसी प्रकार की परिस्थिति है कि आज स्कूल भी, दफतर भी और अस्पताल आदि भी इसके अन्दर हैं। आज यदि अस्पताल हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र में वह उसके अन्दर है। पर यदि इस प्रकार का संशोधन हम स्वीकार करते हैं कि "not within residential compounds." तो इसका तात्पर्य यह होगा कि ९० फी सदी से ज्यादा स्कूल तथा अस्पताल तथा दूसरे सार्वजनिक कार्यों के लिए काम में आने वाली बिल्डिंग्ज़ जो हैं वे इस सेक्शन की परिधि से बाहर निकल जावेंगी और इस वजह से मेरा यह प्रस्ताव है कि जो संशोधन क्लॉज़ १६ के भाग (ए) के अर्द्ध भाग (२) में किया गया है वह संशोधन रद्द किया जावे और जैसा ओरिजिनल सेक्शन में सब सेक्शन (जी) है उसको वैसा ही रक्खा जावे।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा मेरा संशोधन क्लॉज़ १६ के भाग (बी) के सब सेक्शन (२) से ताल्लुक रखता है। इस सब सेक्शन (२) में जिस चीज का जिक्र है उसका ताल्लुक है जागीरदारों के अन्दर बकाया रकम रह गई है उसको वसूल करने के बारे में और ओरिजनल सेक्शन में सब सेक्शन (२) के पार्ट (बी) में यह लिखा है :

"Nothing contained in this section shall (a) operate as a bar to the recovery by the jagirdar of any sum which becomes due to him etc etc."

तो इस पार्ट (बी) से सरकार ने यह साफ करने की कोशिश की है कि अगर जागीरदार को किसी भी आदमी में रकम बाकी हो तो वह बाद में चाहे तो वसूल करने के लिये उचित कार्यवाही कर सकता है। यह जो पार्ट (बी) है वह एक तरह से ओब्जेक्शनेबुल तो है ही लेकिन और भी संशोधित रूप में क्लॉज़ १६ के रूप में रक्खे जाने का प्रयत्न करना, वह सिर्फ एतराज के काबिल ही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि यह घोर अन्याय-कारी है।

क्लॉज़ १६ के भाग (बी) में यह संशोधन किया गया है कि इस प्रकार के यदि ड्यूज़ बाकी है तो जागीरदार खुद ही कलेक्टर के पास दरख्वास्त दे सकता है 'through the Collector as an arrear of land revenue by the Jagirdar of any sum which is legally due subject to the deduction of collection charges at the rate of 7%" इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजस्थान की सरकार के राजस्थान ने जागीरदार की अगर रकम किसान में बकाया है या और किसी में बकाया है तो उसे वसूल करने का सरकार ने ठेका लिया है। इसका तात्पर्य यह होगा कि सात फी सदी कलेक्शन चार्जेज़ (collection charges) देने के बाद इन ड्यूज़ को वसूल करने के लिए जागीरदार के लिए यदि किसी पर दावा करने की नौबत आती पहले, तो अब वह दावा करने की भी नौबत नहीं आवेगी और तहसीलदार के जरिये वह एक सर्कूलर इस किसान के नाम या जिस में वह ड्यू (due) मांगता है उसके नाम तहसीलदार से निकलवा देगा कि अमुक-अमुक काश्तकार में अथवा अमुक-अमुक व्यक्ति में, जिसमें जागीरदार का कोई पैसा बाकी है उसे सात फी सदी कलेक्शन चार्जेज़ सरकार को देने के बाद जागीरदार तहसीलदार और सरकार के मार्फत किसान से और दूसरे लोगों से अपनी कथित रकम वसूल करावेगा। यदि ऐसी परिस्थिति है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि राजस्थान सरकार जागीर पुनर्ग्रहण करने के बजाय जागीरदारों को एक प्रकार से अपने संरक्षण में ले रही है। यदि किसी जागीरदार ने किसान से ज्यादा लगान वसूल करने की पहले जमाने में कोशिश की है और इस वजह से लाग-बाग या कोई लगान देने से किसी किसान ने इन्कार किया है और इस लेन-देन को लेकर वर्षों से उनमें झगड़ा चल रहा हो, यह मामला जागीरदार और किसान के बीच का है, डिस्प्युटेबल है और इस मामले में अगर सरकार किसान के पक्ष में दखल नहीं देती तो आज जागीर रिज़म्पशन कानून लागू होने के बाद, अगर आज से तीन या चार साल पहले किसानों में ऐसी कोई तथाकथित रकम बाकी थी उसको वसूल करने का ठेका सरकार ले और यह कहकर ले कि तुम इतना पर्सेन्ट हमें दो और हम तुम्हारा यह ड्यू किसान से या किसी और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

व्यक्ति से वसूल करके तुम्हें देंगे, तुम्हें इसके लिए दावा करने की और अपना दावा किसी सिविल कोर्ट में साबित करने की कोई जरूरत नहीं। तहसीलदार केवल एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा कि फलां किसान से या फलां व्यक्ति से इतना रुपया वसूल करके जागीरदार को दिलवाना है, तो यह सरासर अन्याय होगा। फिर मजा यह है कि तहसीलदार के ऐसे किसी सर्टीफिकेट के लिए उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती। उसकी वसूली का ऑर्डर इसी सर्टीफिकेट पर सरकार दे देगी। अगर सही रास्ते अदा कर दे किसान तब तो ठीक, नहीं तो उसके घर कुर्की जावेगी, उसका सारा सामान आदि कुर्क किया जावेगा और उसे नीलाम करके इस प्रकार से वह रकम वसूल करने का प्रयत्न किया जावेगा। यदि सरकार की यही सही मन्शा है तो यह कतई ठीक नहीं है। हाँ, आपस में जिनका लेना-देना है उनको समझा-बुझाकर बीच-बिचाव करके तस्फिया करा दिया जावे, कम ज्यादा कराकर उनका हिसाब साफ कर दिया जावे, अगर इस मन्शा से इस प्रकार का क्लॉज़ रक्खा जावे तो कोई बात नहीं है, पर अगर किसानों से जागीरदार की रकम, जो बकाया हो, चाहे वह किसी तरह की बकाया हो, जायज हो या नाजायज कैसी भी हो कानून अथवा गैरकानूनी लागबागों के रूप में हो अथवा सरकार के लीगल कानूनों को बलाए ताक में रखकर, किसी भी रूप में ज्यादा पैसा चूसकर वसूल किया गया हो और वह किसान ने नहीं दिया हो अथवा किसी भी कारण से जागीरदार वह गैरकानूनी पैसा वसूल न कर पाया हो तो वह पैसा भी जागीरदार के लिए किसान से वसूल करके देगी। ऐसा नहीं करके अगर अनुचित लाग-बागों के रूप में किसान से ज्यादा पैसा वसूल किया है तो वह पैसा भी जागीरदार से वसूल करके सरकार किसान को दिलाए। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक पर्पजेज़ के लिए कोई लाग लगाई गई हो और जिसका सीधा सम्बन्ध स्थानीय संस्थाओं से हो और यह पैसा उन्हीं के लिए उगाया गया हो और जो वसूल किया जा कर इन्हीं संस्थाओं के लिए काम में लिया जाना चाहिये वह पैसा भी अगर किसान से समय पर वसूल न किया गया हो और अभी तक बकाया निकल रहा हो तो वह भी सरकार वसूल करके जागीरदार को देना चाहे तो ऐसी हालत में अगर सरकार तस्फिया करना चाहती है सारे मामले को जागीरदार के पक्ष में करने का, तो यह ठीक नहीं है। अगर वह तस्फिया ही करना चाहती है तो एक दूसरे का जो बकाया है, अगर स्थानीय संस्थाओं का ऐसा पैसा है जो उनको मिलना चाहिए पर जागीरदार स्वयं के काम में ले चुका है तो ऐसे सारे लेन-देन का एक दूसरे का बकाया जिसका है पूरे के पूरे बकाया का तस्फिया हो जावे तो ठीक है। इस बारे में एक और अर्ज करना चाहूँगा, यह पब्लिक टीनेन्सी रिकवरी एक्ट, एरियर्स ऑफ लैण्ड रेन्ट रिकवरी एक्ट द्वारा वसूल करने का सरकार को हक कानून ने और इस विधान सभा ने दिया है और इसके लिए एक विशेष प्रोसीजर मुकर्रर किया है। यदि राज का किसी में पैसा बाकी है, एरियर्स ऑफ लैण्ड रेवेन्यू के तरीके के बहुत से सवाल हैं इसके विरुद्ध कुछ हद तक इस प्रकार के कानून बनाये गये हैं और इस प्रकार के कानून बनाने का उद्देश्य यह था कि राज्य किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक तबके का नहीं है, वह राज्य तो पूरे समाज का है और अगर राज्य का किसी में कुछ बकाया है तो उसको वसूल करने के लिए मामूली सिविल लॉ के तरीके अख्तियार नहीं करने चाहिए; बल्कि और ज्यादा सख्त तरीके अख्तियार करने चाहिये, यह हक कानून ने सरकार को दिया है। पर, राजस्थान सरकार द्वारा आज इस अपने अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, केवल एक तबके के हित के लिए, केवल एक निहित स्वार्थ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वाले वर्ग के लिए; जब कि इस कानून का उपयोग केवल समाज के लिए किया जा सकता है, सारे के सारे तबके के लिए किया जाना चाहिये।

लेकिन एक विशेष वर्ग की किसी बकाया को, रकम बकाया की वसूली करने के लिए राज्य का दुरुपयोग हो, उसकी वसूली करने के लिए स्टेट फाइनेंस रिकवरी एक्ट का दुरुपयोग हो, उसकी वसूली के लिए लैंड रेवेन्यू रिकवरी एक्ट का दुरुपयोग हो। समेरी तरीके से सिविल कोर्ट के तर के से राज्य के अधिकारों का उपयोग करने का इस प्रकार का क्लॉज़ जो रखा है यह सिर्फ अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि जो अधिकार इस विधान सभा ने राज्य सरकार को दिये हैं उसका दुरुपयोग है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करूँगा कि यह जो संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है तो यह संशोधन बिल्कुल नहीं किया जाय, उसे रद्द कर दिया जाय। ओरीजिनल बिल के सबसेक्शन (२) के पार्ट (बी) को डिलीट कर दिया जाय और जो बकाया है वह "This is a matter between the jagirdar and the person from whom the money is due." उसके लिए राज्य को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं और जिस तरह कि और लोग अपने पैसों को आपस में मुकाबला करते हैं, सिविल कोर्ट में जाकर फैसला कराते हैं तो जागीरदार भी जायेंगे राज्य सरकार को किसी की जिम्मेदारी, बोझ लादने का प्रयत्न करना गैर वाजिब है। यह मेरा दूसरा संशोधन है।

मेरा तीसरा संशोधन यह है, माननीय अध्यक्ष, कि जो इस क्लॉज़ १६ के भाग (बी) के पार्ट (२) के जरिये एक नई क्लॉज़ इन्सर्ट करने का प्रयत्न किया जाता है कि जो राजस्थान सरकार को यह अधिकार देगा कि वह चाहे तो जागीरदारों ने राजस्थान सरकार से जो कर्जा लिया है अपनी खुदकाश्त की जमीन को छोड़ कर बकाया दूसरी जागीर की जमीनों की तरक्की करने के लिए, ऐसे कामों के लिए, लिये हुए कर्जे को चाहे तो राजस्थान सरकार माफ कर देगी, पूरा या कुछ हद तक, यह सबसेक्शन नहीं जोड़ा जाय; ऐसा मेरा संशोधन है, क्लॉज़ १६ का जो यह भाग है उसको डिलीट किया जाय और मैं इसके पक्ष में बहुत ही तथ्यपूर्ण बातें बताने का प्रयत्न करूँगा।

पहली तो महत्वपूर्ण चीज यह है, माननीय अध्यक्ष, कि आप यह बिल्कुल निश्चित तौर से मान लीजिये कि कौन सा पैसा किस काम के लिए उपयोग में लाया गया, इसका तय करना और विशेषकर एक संस्था जिसका कि नाम 'जागीर' है, उस संस्था के सिलसिले में तय करना यह नामुमकिन बात है। मान लीजिये कि एक लाख की आमदनी की कोई जागीर है। साल भर में जो आमदनी उस जागीर से हुई उस आमदनी का कुछ अंग अपने व्यक्तिगत काम के लिए खर्च किया और राजस्थान सरकार से पैसा लिया यह कह कर कि मैंने कोई कुआ बनवाया है, मैंने एक छोटा सा बाँध बनवाया है। अगर अपनी उस आमदनी को किसी दूसरी चीज़ में खर्च नहीं करते तो उसी के जरिये कोई बाँध बनाया जा सकता था। तो जब एक निश्चित आमदनी होती है तो उसमें से किस हिस्से की आमदनी किस काम के लिए ली गई, यह इस प्रकार का निर्णय लेना बड़ा कठिन है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी यह बात है कि अगर जमीन में किसी प्रकार का सुधार किया गया है, कोई केपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसका नतीजा यह हुआ कि उस जमीन की पैदावार बढ़ गई; तो उस बढ़ी हुई पैदावार का एक हिस्सा, पैदावार का एक विशेष अंग जागीरदारों ने लगान के रूप में ले लिया। यदि पैदावार बढ़ी है जमीन की तो उस बढ़ी हुई पैदावार का फायदा जागीरदारों ने लिया। उनका उपभोग भी उन्होंने किया। ऐसे किया है कि कोई कूआ बनाया गया और उस कूए के जरिये जमीन की पैदावार बढ़ गई तो चौथे बांटे, तीसरे बाटे के रूप में, अभी साल-डेढ़ साल से छठा बाँटा हुआ है, तो जितनी भी पैदावार बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई आमदनी का बढ़ा हुआ हिस्सा भी जागीरदारों के पास आ गया। जो कर्जा जमीन को सुधारने के लिए इस्तेमाल में लाया गया तो मैं यह कहूँगा उसका उपभोग भी उन्होंने कर लिया है। जब केपिटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले लिया है, जब कि केपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिये जो फायदा होता था वह फायदा हो चुका। पैदावार बढ़ने के साथ-साथ जागीरदारों को बढ़ा हुआ मिल चुका तो फिर क्यों उनका यह क्लेम रखना चाहिए, उस कर्जे की माफी के लिए क्यों उनका क्लेम रहना चाहिए? इसका नतीजा यह होगा, माननीय अध्यक्ष, वह एक नये प्रकार की परिस्थिति पैदा करेगा। राजस्थान सरकार ने जो मशीन तकावी के लिए लाखों रुपया दिया है कर्जे के रूप में और उसकी वसूली इस वर्ष से तेजी शुरू होने वाली है, ऐसा आश्वासन माननीय राजस्व मन्त्री ने पिछले अधिवेशन में जब यह प्रश्न उठा तब दिया था। तो अब जिस किसी काश्तकार ने या दूसरे आदमी ने मशीन तकावी के रूप में जो कर्जा लिया है, उसने उस कर्जे से मान लीजिये कि कूआ बनाया तो कल वह आकर राजस्थान सरकार के पास अर्जी करेगा कि जब कि जागीरदार ने जो कर्जा लेकर जमीन को सुधारने के लिए उसका इस्तेमाल किया है वह आपने माफ कर दिया है तो मैंने भी कर्जा लिया है जमीन को सुधारने के लिए, उसको इस्तेमाल किया है तो मेरा भी कर्जे माफ कर दें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस मुँह से राज्य सरकार उसको इन्कार कर सकेगी, किस मुँह से कह सकेगी कि जागीरदारों ने कर्जे जमीन सुधारने के लिए लिया था और उसको माफ करेंगे? एक सामान्य आदमी ने कर्जा लिया और कोई कूआ बनाया तो उसका कर्जा माफ करने से इन्कार करने का कोई कारण नहीं हो सकेगा, कोई आधार नहीं हो सकेगा। इस प्रकार का क्लॉज़ रखने का नतीजा यह होगा कि मशीन-तकावी के सिलसिले में जो पैसा दिया हुआ है और दूसरा कर्जा दिया हुआ है तो सब कर्जे के सिलसिले में यह रुख सरकार को लेना पड़ेगा। नहीं लेगी अगर तो अन्याय होगा और उनको यह एलाउ करेंगे तो गैर वाजिब सहूलियत होगी कि सरकार के अधिकार की बात है कि चाहे जिस कर्जे के बारे में......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

चाहे जिस कर्जे को कुछ रियायत प्रस्तावित कर देगी। चूँकि वह जमीन को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी वसूली में रियायत करेगी या अगर चाहे तो पूरा माफ करेगी। तो यह एक ऐसा उसूल कायम करना होगा कि जो उसूल एक विशेष वर्ग को सुविधा देने वाला है और दूसरे वर्ग के लिए कोई सुविधा नहीं होगी। मगर यह डिस्क्रिमिनेशन का तरीका नहीं अपनाया जाय। इस कारण

Page No.12

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तीसरा मेरा संशोधन यह है कि इस भाग में एक नया सेक्शन इन्ट्रोड्यूस करने का रखा गया है उस सब क्लॉज़ १६ के पार्ट (बी) के पार्ट (ए) को डिलीट कर दिया, जाय उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्लॉज़ को हटा दिया जाय।

इन तीन संशोधनों को सदन की स्वीकृति के लिए उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष— श्री वेदपाल त्यागी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—आप कौन से एमेंडमेंड पर बोलेंगे?

श्री मुक्तिलाल मोदी—यही पिच्यान्वे एमेंडमेंट पर।

श्री अध्यक्ष—पिच्यान्वे नम्बर का आपका कोई एमेंडमेंट नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—नहीं, नाइनटी फाइव (ninety five).

श्री अध्यक्ष—उसमें तीन हैं, किस पर बोलेंगे?

श्री मोक्तिलाल मोदी—पहले के ऊपर बोलूंगा।

श्री मथुरादास माथुर—I have got an amendment. You are permitting to move it.

श्री अध्यक्ष—No. In that case other persons should be allowed to move their amendments first.

श्री मथुरादास माथुर—I have got my amendment to clause 16.

श्री अध्यक्ष—(श्री मथुरादास माथुर से) आप बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, my amendment is very simple. It reads like this:—

"In clause 16 of the Amending Bill in sub-clause (b) (i) the words 'figures and brackets' shall be inserted after the words 'the words' in line two and the words 'subject to the deduction of collection charges at the rate of 7%' shall be put within brackets. (ii) In sub-clause (b) (ii) the word 'him' shall be substituted by the words 'the Jagirdar'."

[श्री मथुरादास माथुर]

This is simple to make the whole thing very clear, I hope that the government will accept this amendment. It is only a question of few words put within the brackets and the word 'him' has been substituted by the word 'jagirdar' to make it more clear. These are the two amendments which I have moved.

श्री अध्यक्ष—This is not clear to me.

श्री मथुरादास माथुर—In sub-clause (b) (i) the words 'figures and brackets' shall be inserted after the words 'the words' in line two. This is in clause [i] of part [b].

श्री अध्यक्ष—Which one ? Of the original or of the Amendment ?

श्री मथुरादास माथुर—Amending Bill, classe 16 [b] [i]. The words, figures and brackets are put there. I say you will put after the words 'the words' 'figures and brackets'. Then in [b] [ii] you have got the word 'him' which shall be substituted by the words 'the jagirdar'. The words 'subject to the deduction of collection charges at the rate of 7%' you will put within brackets to make it very clear. These are the three amendments very simple which I have, I think, made very clear.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—How brackets will be there ?

श्री मथुरादास माथुर—To convey the sense otherwise it will not have that sense conveyed. Within brackets these words have been put to make it very clear. Now, Sir, after moving my amendments I do'nt want to speak much on it but wish to say a few lines on the amendment moved by Shri Kapildeo.

माननीय अध्यक्ष, जो तरमीम श्री कपिलदेव ने रखी है उसके बारे में दो अल्फाज़ कहना बहुत जरूरी समझता हूँ क्योंकि हवाला दिया गया है कि यह पंत रिपोर्ट की मन्शा के खिलाफ है। यदि यह पंत रिपोर्ट की मन्शा के खिलाफ है तो बराबर हम कोई ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसका हमने वायदा किया हो। मगर यदि आप पंत रिपोर्ट की ओर गौर फरमायेंगे तो पता चलेगा कि क्षत्रिय महासभा ने ऐसी माँग रखी थी और वह यह थी कि जितने किसानों पर जागीरदारों का कर्जा है वह सब सरकार वसूल करे और सरकार जागीरदारों को उस कर्जे पेटे की रकम शुरू ही में अदा कर दे। यह माँग रखी गई थी जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ :

"After resumption of Jagirs the Jagirdars shall not be able to realise arrears of rent. The Government should pay these arrears to the jagirdars in advance and then realise the same from the tenants."

[श्री मथुरादास माथुर]

यह माँग रखी गई है कि यदि कोई जागीरदार यह कहता है कि मेरा किसानों में १० हजार रुपया कर्ज का लेना है तो बिना छानबीन किए ही उस जागीरदार को १० हजार रुपया सरकार देदे, सरकार इन्तजामी सीगे में बाद में छानबीन करे और एडवान्स के रूप में वह रकम जागीरदार को देदे और फिर यदि जाँच से यह पता चल जाय कि वाकई इतने रुपये जागीरदार किसानों में मांगता है तो वह रकम उसके पास हमेशा के लिए रहने दी जानी चाहिए और उसके जवाब में यह लिखा गया है कि यह अन्डरस्टेडिंग ड्रोप कर दिया गया और यह बात कही कि एरियर ऑफ ड्यूज़ को ५ साल में वसूल करना पड़ेगा, यह बात वहाँ हुई थी। आज हम यह बात मन्जूर करते हैं लेकिन यह तो हमें बता दिया जाय कि एरियर ऑफ ड्यूज़ के माने क्या है, यह तो हमें समझा दिया जाय कि एरियर ऑफ ड्यूज़ के माने क्या होते हैं। दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है उसको पब्लिक डिमान्ड रिकवरीज़ एक्ट के अनुसार कैसे वसूल किया जाय ? प्राइवेट रिकवरीज़ को पब्लिक डिमान्ड रिकवरीज़ एक्ट के अन्तर्गत वसूल नहीं किया जा सकता। यदि सरकार ऐसा करेगी तो यह पब्लिक के राइटस को छीनना होगा। इस तरह की रिकवरीज़ सरकार तब तक वसूल नहीं कर सकती जब तक कि किसी कोर्ट द्वारा यह तय नहीं हो जाय कि वाकई जागीरदार इतने रुपये किसान में मांगते हैं। जब तक डिक्री नहीं हो जाय तब तक सरकार इसे वसूल नहीं कर सकती। यह हमने सुना है कि बहुत से लोग कर्जा खरीद लेते हैं, हजार रुपयों का खाता होता है तो उसे २००) रु० में खरीद लेते हैं और उसे वसूल करने की रिस्क (risk) उठाते हैं। यह हजार रुपयों की डिक्री होती है तो उसे ५००) या ७००) रु० में खरीद लेते हैं और वसुल करने की रिस्क उठाते हैं। पर सरकार पर पूरा भार डालने को कहा जाता है। वह अदालत में नहीं जा सकती और न उसके पास लिखत ही है, सिर्फ जागीरदार कहता है कि मेरा इतना रुपया फलां किसान में लेने हैं, इसलिए इतनी रकम उस जागीरदार को दे दो। इस तरह की बात को राजस्थान सरकार ने नहीं माना है। राजस्थान सरकार इसको कैसे मान सकती है ? एरियर ऑफ रेन्ट जो है वह तय कर दीजिये, फिर यदि वाकई है तो ५ साल में उसे वसूल किया जायगा। सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी कि ५ साल में वसूल हो जाय। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बैठायेगी, जो यह फैसला करदे कि इतना रुपया बाकी है। फिर जितनी रकम कोर्ट बतलावेगी उतनी रकम ५ साल में वसूल करने का प्रयत्न किया जायगा, इस तरह से तो यह चीज हल हो सकती है। वरना राजस्थान सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो भारतीय विधान के खिलाफ है। विधान में यह बात दी गई है कि सिविल कोर्टस के जुरिस्डिक्शन की जो बातें हैं उनको सिविल कोर्टस ही तय करेंगी, सिविल कोर्टस के जुरिस्डिक्शन को अलग करदे, यह राजस्थान सरकार के हाथ की बात नहीं है। अदालत में जाने का हक किसी भी किसान को या किसी भी जागीरदार को है। उनके इस हक को हम नहीं छीनना चाहते। हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से किसी को हटाना वैधानिक अधिकार के खिलाफ है और कोर्ट में जाना हरेक नागरिक का अधिकार है। उसको हम नहीं हटा सकते। लेकिन यह हम कर सकते हैं कि ५ साल में ऐसी

[श्री मथुरादास माथुर]

व्यवस्था जमावें कि ५ साल में ही तय हो जायगा कि किसको कितना रुपया लेना है, इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो जाय और अपील आदि करना है तो उसका जल्दी से जल्दी ही फैसला हो जाय। रिकवरी ऑफ एरियर के माने यह नहीं है कि बिना किसी कोर्ट के फैसले के यह कहे कि हम इतना रुपया मांगते हैं इसलिए हमें सरकार बिना जाँच कराये ही यह रकम दे दे। इसका मतलब यह है कि कोई भी सिविल कोर्ट यह तय कर दे कि वह इतना रुपया माँगता है। इसके बाद में वसूली का प्रश्न आता है। न तो हम पंत रिपोट के खिलाफ जाते हैं और न उसके खिलाफ कोई हम काम ही कर रहे हैं। यदि विरोधी दल के नेता को यह भान हो गया है कि हम खिलाफ जा रहे हैं तो वे पंत रिपोर्ट को, भारतीय विधान को सामने रखते हुए पढ़ें। ऐसा न हो कि हमारा वादा गैर कानूनी हो जाय और जिस कानून को हम बना रहे हैं वह आगे जाकर गैर कानूनी करार दे दिया जाय। यह मन्शा न हमारी है और न आपकी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था राजस्थान सरकार कर सकती है वह करेगी, यह हमारा वादा है। पन्तजी की रिपोर्ट में भी यह बात है। यदि किसी बात को राजस्थान सरकार ने मन्जूर किया है तो वह यही बात है। इसलिए श्री कपिलदेवजी ने जो अमेंडमेन्ट रखा है वह बहुत जरूरी है। यदि आप इसको नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट में यह चेलेन्ज होकर खत्म हो जायगा और हमारा जो ओब्जेक्ट है वह भी खतम हो जायगा। सिविल राइट्स जो कांस्टीट्युशन में हैं उनको मानना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोदी और श्री हिम्मतसिंह के खड़े होने पर) श्री हिम्मतसिंह।

श्री मुक्तिलाल मोदी—साहब पहले तो मैं खड़ा हुआ था, यह तो अच्छा नहीं।

श्री अध्यक्ष—Order!

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—जो क्लॉज़ १६ के ऊपर कपिलदेवजी ने अमेंडमेंट दिया है और जिसके समर्थन में श्री मथुरादासजी माथुर भी बोले हैं और श्री व्यास इसके पक्ष में बोले, तो इसमें ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि वे तो अपनी आदत से लाचार हैं।

(हँसी)

ताज्जुब तो यह होता है कि ऐसा अमेंडमेन्ट इस अमेंडेड बिल में उस पक्ष की ओर से आवे, यह बात समझ में आने वाली नहीं। क्या यह समझा जावे कि यह अमेंडेड बिल गैर जिम्मेदार सरकार ने पेश किया है जो अब उसी की पार्टी की ओर से यह अमेंडमेंट रखा गया है। क्या राजस्थान सरकार ने अपने लॉज़ के एडवाइजर से कोई परामर्श नहीं लिया और अब उसी की पार्टी के आदमी यह अमेंडमेंट लाकर सुधार करवा रहे हैं।

श्री कपिलदेवजी वैसे योग्य हैं, वकील हैं, उनके कमरे के सामने लोगों की भरमार लगी रहती है, तो गवर्नमेन्ट के सलाहकार लीगल एडवाइज़र हैं वे इनसे योग्यता में कम तो नहीं होंगे।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

जहाँ तक मेरा ख्याल है यह बिल सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी लीगल डिपार्टमेंट द्वारा एप्रूव किया गया है। तो फिर ऐसी सूरत में उस तरफ से इस अमेंडमेन्ट का आना क्या कोई विशेष मतलब रखता है ? या तो यह समझा जाय कि सरकार का लीगल रिमेम्ब्रेन्सर काबिल नहीं है या उधर सरकारी बेन्चेज़ पर बैठ कर अमेंडमेंट लाने वाले जो सदस्य हैं उन्हें राजस्थान सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। दुःख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि इस तरह के अमेंडमेन्ट लाकर हाउस का अमूल्य समय क्यों खराब किया जाता है ? मैं समझता हूँ कि अगर उस तरफ से इस तरह के अमेंडमेन्ट नहीं आते और जिस रूप में हाउस में बिल पेश किया गया है उसी रूप में लिया जाता तो इतना समय नहीं लगता।

इस तरफ से जो अमेंडमेन्ट पेश किए गए हैं वे तो चिल्लाहट करेंगे ही, क्योंकि जिनकी जायदाद छीनी गई हो तो चिल्लाहट करेंगे ही।

मेरी समझ में कपिलदेवजी ने जो अमेंडमेंट दिया है वह बिल्कुल ही इल्लीगल (illegal) है।

इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (बी) को पढ़ कर सुनाऊँगा :

"In clause (b) for the words 'by the Jagirdar of any sum which becomes due' the words 'through the Collector as an arrear of land revenue by the Jagirdar of any sum which is legally due subject to the deduction of collection charges at the rate of 7%' shall be substituted."

मैं नहीं समझता कि "legally due" शब्द पर भी नजर नहीं डाली जाती है।

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—इसीको क्लियर कर रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इसको क्लियर करने का आपकी पार्टी का काम नहीं था क्योंकि समय बिगाड़ा जाता है।

मैं तो कहूंगा कि जो अमेंडमेन्ट राजस्थान सरकार ने इस बिल में रखा है वह सोच-समझ कर और पूरा विचार करके रखा है और अब इसमें और कोई अमेंडमेन्ट रखने की आवश्यकता नहीं आती।

श्री एच. के. व्यास ने जागीरदारों की बिल्डिंग्ज़ के बारे में जिक्र किया कि 'ऑफिसेज़ होने से' शब्द दिये हैं, तो 'ऑफिसेज़' का मतलब यह है कि जिस गढ़ या किले की छोटी सी कोठरी में, कमरे

Page No.17

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

में काश्तकारों को बुलाकर हिसाब करते थे, उसी को ऑफिस मान लिया है, तो फिर आप क्यों नहीं कह देते साफ कि जागीरदारों को घरों में से निकाल दिया जावे, उनको रहने की जगह न दी जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Mr. H. K. Vyas can tell it, but we can not.

श्री चन्दनमल वैद—(श्री एच. के. व्यास को उद्दिष्ट कर कहा) आपकी तरफ बैठे हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—आप ले लें।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—आपको शुद्ध कर देंगे।

(हँसी)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इस तरह तकावी के बारे में श्री एच. के. व्यास ने कहा कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जावे। किसानों को तकावी दी जाती है और उनको घाटा लग जाता है तो वे लोग सरकार से दस्त-दुआ करते हैं कि यह तकावी माफ कर दी जावे और उनको तकावी माफ कर दी जाती है। तो फिर जागीरदारों को क्यों नहीं माफ किया जावे। जागीरदार की तो आप सम्पत्ति ले रहे हैं। अगर जमीन उनकी सम्पत्ति समझ कर ले ली जावे तो लाजिमी होगा सरकार के लिए कि तकावी दे, उसका एडजस्टमेन्ट करे। जागीरदार और काश्तकार को एक ही तोल में तोल लेना कहाँ तक न्याय सिद्ध है? यह तो कहना उनकी आदत है।

इसलिए मैं विशेष नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाउस का समय इस तरह के अमेंडमेन्ट लाकर नहीं बिगाड़ा जावे।

(श्री रामजीलाल यादव और श्री मुक्तिलाल मोदी एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—(श्री मुक्तिलाल मोदी की ओर इंगित करते हुए) पहले आपको बोलने दीजिए, आप पहले से ही बोलना चाहते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, श्री एच. के. व्यास ने जो अमेंडमेंट रखा है उसके दूसरे भाग पर बोलना चाहता हूं। जागीरदारों की तरफ से जो कि किसानों में कई दिनों से बकाया है और वह बकाया किस तरह का है; जागीरदार किसानों पर जो आधा, तीसरा और चौथा बांटा लगाया करते थे उस तरह की बकाया है और इस तरह की ५ साल की बकाया रकम को वसूल करके जागीरदारों को देने का सरकार ने तय किया है, तो मैं कहता हूँ कि आज जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

हैं, उनके वहाँ जागीरदारों की तरफ से किसानों पर हजारों दावे किये जाते हैं। उन इतने दावों में से दो-चार की तो डिग्रियाँ हो जाती हैं और बाकी ज्यादातर दावे खारिज होते है। तो सरकार इस बात को भी महसूस करेगी कि काश्तकारों से जो आधा, तीसरा और चौथा बांटा जागीरदार लेते थे, और पटवारी कितना जमा करते थे, इसकी उसके पास कोई रसीद नहीं है, पता नहीं है, इसका कोई तरह का हिसाब नहीं है किसान के पास और फिर सदन इस तरह का एक्ट पास करता है और उस किसान से वह बकाया वसूल करने का एक्ट पास करता है, इससे किसान को कितनी दिक्कत और परेशानी होगी। और सरकार को कितनी दिक्कत होगी? दूसरे वकील लोगों को तो इसमें जरूर फायदा है पर किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज उस किसान के पास कोई प्रूफ नहीं कि जागीरदार को प्रूफ देकर वह अपनी बकाया रकम माफ करा सके क्योंकि उस किसान के पास आज से साल भर पहले की, दो साल पहले की, जहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ था वहाँ की रसीदें नहीं मिलेंगी क्योंकि वहाँ जागीरदार किसानों को रसीदें नहीं देते थे और आज से दो साल पहले कितने ही इन जागीरदारों ने किसानों से जबरदस्ती जमीनें छीनीं, जबरदस्ती रुक्के लिखवाये हैं और सरकार को मालूम है, माननीय मन्त्रीजी को मालूम है कि किसी तरह दिन पर दिन जागीरदारों ने किसानों के खिलाफ कार्यवाहियाँ की हैं और सरकार के कितने रुपये खर्च होते हैं। तहसील बैराट में छोटे से गाँव में जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों से झूठे रुक्के लिखवा कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, तीन वर्षों से मुकदमें चल रहे हैं और सरकार का दो लाख रुपया खर्च हुआ। सरकार को इतना जबरदस्त इन्तजाम करना पड़ा कि १० हजार जागीरदार और १० हजार किसानों के बीच में लड़ाई होने की सम्भावना हो गई। तो आज भी बकाया का एक्ट पास करते हैं तो उससे जागीरदारों और किसानों के बीच में इतना झगड़ा फैल जायगा कि सरकार को परेशानी हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि जागीरदारों में लोगों की जो लाखों रुपयों की बकाया है उसके लिए इस एक्ट में यह धारा क्यों नहीं लाई गई? इससे जागीरदारों के ऊपर कितना बोझ होता? यह धारा नहीं लाई गई है तो किसानों पर यह धारा क्यों लाई गई है? इन किसानों और जागीरदारों के बीच थोड़ा बहुत समझौता होकर झगड़े बन्द हुए हैं, वह इस धारा से फिर शुरू हो जायेंगे, आपसी मतभेद बहुत बढ़ जायगा और इसका नतीजा हर जागीरदार और किसान को बुरा भोगना पड़ेगा।

श्री रामजीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र श्री कपिलदेव ने जो अमेंडमेन्ट रखा है उस सिलसिले में हाउस के सामने दो-चार शब्द में भी अर्ज करना चाहता हूँ।

इस एमेंडमेन्ट के विरोध में बोलने वाले साथियों ने पंत रिपोर्ट का सहारा लिया है। मैं निवेदन करूँगा कि पंत रिपोर्ट में देखा जाय तो एक तरह से जागीरदारों का ही रिप्रेज़ेन्टेशन था और गवर्नमेन्ट के साथ समझौता हुआ। इसमें किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगर इस रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ जाहिर होती है जो किसानों के हित की नहीं है तो यह हाउस यहाँ पर किसानों की रक्षा के लिए मौजूद है।

[श्री रामजीलाल यादव]

पंत रिपोर्ट की मन्शा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वह यह है कि अगर जागीरदार को किसी किसान से रुपया लेना है, यानि बकाया है तो उस बकाया को सरकार किसान से वसूल करने में मदद करे। लेकिन इस बात को तो कोर्ट ही डिटर्मिन करेगी कि जो रुपया वसूल करना है उसमें से कितना वाजिब है। गवर्नमेन्ट या मिनिस्टर इन्चार्ज बिल, जो लीगल्ली ड्यू (legally due) है एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यह जाहिर किया गया है :

"In cases of dispute the Jagirdar should go to a competent Revenue Court, get his cases decided and then he should approach the Collector and in matters of execution he should get help that it should be expedited and due sum should be realised as arrears of land revenue.

तो ऐसी सूरत में इस तरह के जो झगड़े होते हैं वे कम हो जावेंगे। जैसा मेरा तजुर्बा है अलवर का, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। वह यह कि एक रेन्ट कन्ट्रोल की घटना है और वहाँ पर जागीरदारों का यह रवैया रहा है कि पिछले ३ सालों के झूठे दावे कर दिये। इससे किसानों को परेशानी होती है। वहाँ तो कोर्ट का सवाल है। अगर आपने कलेक्टरों को अधिकार दे दिये तो वे लिस्ट भेज देंगे और वह रुपया उनसे वसूल हो जावेगा। मैं सिर्फ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे सामने कोन्क्रीट मिसाल है। सब यही सोचते हैं कि कलेक्टर सोच-विचार कर फैसला देगा, मगर मैं एक ऐसा केस अलवर का आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें लेन्ड रेवेन्यू के मामले में जागीरदार को डिक्री हासिल कर लेनी चाहिए और यह प्रोविजन कानून में होते हुए भी विशेष जागीरदार गवर्नमेन्ट के रेवेन्यू सेक्रेट्री से बगैर डिक्री हासिल किए हुए यह हुक्म ले आए कि तहसीलदार उससे लेन्ड रेवेन्यू वसूल कर ले। बाद में वह ऑर्डर चेलेंज किया जाता है। गवर्नमेन्ट के ऑफिसेज़ जुडिशिअरी के मामलों को भी एक्जीक्यूटिव की तरह डील करते हैं। इसलिए मैं यह कहूँगा कि जब तक किसानों के हक जुडिशियरी से तय नहीं किये जावें तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ कि इस अमेन्डमेंट को पास किया जावे और मैं मिनिस्टर इन्चार्ज से भी यह कहूँगा कि वे इसको अवश्य मानें, यह किसानों के हित की बात है।

(श्री मानसिंह महार बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Very briefly. One and a quarter half an hour has been spent over this.

श्री मानसिंह महार—Over this amendment ?

श्री अध्यक्ष—Brief, too brief

श्री मानसिंह महार—I will be very brief.

[श्री मानसिंह मह्वार]

माननीय अध्यक्ष, अभी मैंने नोम के थाने से आए हुए मेरे मित्र को, उनके अमेन्डमेन्ट के बारे में, कुछ व्यक्तियों के भाषण सुने। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि इस अमेंडमेन्ट को रखने से काश्तकारों की पहेली हल कराने का हक रखते हैं और दुहाई देते हैं, उसका समर्थन होता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अमेंडमेन्ट से केवल वकीलों के पक्ष का समर्थन होता है न कि काश्तकारों के पक्ष का।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कोई भी वकील नहीं बोलने वाला है।

श्री मानसिंह मह्वार—इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर इन्चार्ज को बताना चाहता हूँ कि इससे काश्तकारों को किस प्रकार से नुकसान होगा और इससे वकीलों को किस प्रकार से फायदा होगा। अगर जागीरदार लोग रेन्ट्स के बारे में सिविल कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करेंगे तो जो डिक्री हासिल होगी, जिसमें खर्चा भी शामिल होगा और उस खर्चे में कोर्ट फीस और वकील की फीस भी शामिल होगी, इसलिए इन दावों के होने से काश्तकारों को नुकसान ही होगा। दूसरी तरह अगर सरकारी ऑफिसर जो हैं; जैसे कलेक्टर या कमिश्नर, वे इस बारे में रेन्ट के केसेज़ का फैसला करेंगे तो काश्तकारों पर यह खर्चा लागू नहीं होगा और उनको केवल वही रकम देनी पड़ेगी जो बिल्कुल वाजिब होगी। तो यह एक प्रकार से काश्तकार पर ज्यादा बोझा हो जावेगा, अगर हमारे मन्त्रीजी इस प्रकार का अमेंडमेन्ट स्वीकार कर लेंगे तो।

दूसरी बात यह होगी कि सिविल सूट में जावेंगे तो जैसा कि अभी हमारे साहब बहादुर ने फरमाया था जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं; बैराठ से आने वाले सदस्य ने फरमाया था कि इस प्रकार की मुकदमेबाजी में बहुत बेइमानियें और तुकबाजियें होंगी। अगर ये मामले सिविल कोर्ट में दे दिये जावेंगे तो कई प्रकार की मुसीबतें आ जावेंगी। अगर सरकार इस मामले के लिये एस. डी. ओ., कलेक्टर आदि को एम्पोअर कर देगी तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आवेगी और न किसी प्रकार की दिक्कत आने की गुंजाइश ही रहेगी। इस प्रकार से डाइरेक्ट और जल्दी फैसले हो जावेंगे, तो कटुता और आपसी मनमुटाव के कारण तनाव का वातावरण भी कम हो जावेगा और फैसले जल्दी होने से बहुत कम खर्च से जल्दी मामले तय हो जावेंगे और इनके तय हो जाने से किसानों को किसी प्रकार की राहत जो मिलनी चाहिये वह मिलेगी वरना किसानों और जागीरदारों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिये यह जो एमेंडमेंट रखा है वह वकीलों के पैसे बनाने के लिये है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर इन्चार्ज से कहूँगा कि इसमें काश्तकारों के हित की दुहाई दी जाती है वह गलत है और इससे काश्तकारों को बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। अगर सरकार को कलेक्टर, कमिश्नर आदि में विश्वास नहीं है तो मैं मान सकता हूँ कि सिविल कोर्ट को भी कल मुमकिन है आप न मानें और हाई कोर्ट को जायें। उनके ध्यान में यह आवे कि सिविल जज भी अपना काम ठीक तरह से नहीं करेंगे, जो आज किसानों के हित की दुहाई दे रहे हैं। अगर सत्य को देखा जावे तो काश्तकारों को इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं यह कहूँगा कि यह एमेंडमेंट गलत है। जब इस क्लॉज में "legally due" शब्द आ जाते हैं तो कोई बात

[श्री मानसिंह महार]

नहीं कि इसको रखा जावे, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का संशोधन रख कर काश्त-कारों और जागीरदारों पर एक्स्ट्रा फीस लगाने की जो बात रखी गई है आप इस बात पर सोचेंगे और मैं यह कहूँगा कि इस एमेंडमेंट को, जो पेश किया गया है, उसको नामन्जूर करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ की सभी चीजों पर बहस हो गई है। लगान के सम्बन्ध में एक पक्ष ने तो यह कहा कि पिछला लगान जो कुछ बाकी है उसकी वसूली करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रोवीजन इसमें होना ही नहीं चाहिए। जो बाकियात रह गई सो रह गई और किस्सा खत्म हुआ। दूसरा पक्ष, इस वक्त में जो चीज रखी गई है कानून में, उस सम्बन्ध में, उसको वाजिब समझता है और एक अमेंडमेंट इस संबन्ध में मूव किया गया है जिसको मैं समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा इन्टरप्रेट (interpret) किया जा रहा है। एक पक्ष की ओर से कहा गया कि इससे बहुत अन्तर पड़ जायगा वर्तमान धारा में। दर असल जो शब्द हैं "which is legally due" उसका मतलब यह समझकर नहीं चलना चाहिये कि कोई इस संबन्ध में कानूनी कार्यवाही नहीं की जायगी। "legally due" का मतलब ओटोमेटिकली यह होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको कोम्पीटेन्ट कोर्ट (सक्षम न्यायालय) में रेफर करने की गुंजाइश है और सरकार ने जब अमेन्डमेंट मूव किया तो इस बात की कल्पना सामने थी। मूल एक्ट में इस बात को दिया हुआ है कि जो पिछली बकाया है और जिसको जागीरदार वसूल कर रहा है उसके बारे में सरकार पिक्चर में नहीं आती थी और उसके बजाय पन्त रिपोर्ट में हमने इस बात को स्वीकार किया है कि बाकयात को जागीरदार के लिए वसूल करना मुश्किल हो सकता है और बहुत से बाकीयात इस तरह की भी हो सकती हैं कि जैसे कुछ इलाकों के अन्दर सरकार ने स्केयर्सिटी कन्डीशन्स होने की वजह से वसूली को सस्पेन्ड किया है और वे सस्पेन्शन वेल नोन (well known) हैं, इस प्रकार की स्थिति हो और वसूली की बात हो तो सरकार को यह मानना पड़ा कि जागीरदारों के इन्डीवीजुअल केसेज़ को ट्रीट करने के लिए बहतर होगा कि बाकयात सरकार वसूल करे। साथ साथ यह भी सरकार की मंशा नहीं है कि कोई गलत लिस्ट बना कर पेश कर दे और कह दे कि मेरी तो एक लाख रुपये की बाकयात बाकी है और वह वसूल करके जागीरदार को दे दी जाय। उस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए "legally" शब्द को प्रयोग में लाया गया है। कपिलदेवजी ने जो बात कही है उसको इन्टरप्रेट करने की बात नहीं है। जहाँ डिस्प्यूट हो, जैसा कि टिनेन्सी बिल में भी आया है, जो कि असेम्बली के सामने है, कि अनडिस्प्युटेड मामलों में सरकार वसूली करवा दे, जहां डिस्प्युटेड मामले हैं उनमें कलेक्टर तय करे और अगर कलेक्टर तय करता है तो जिन लोगज़ प्रोसीडिंग्स के लिए आप मना करना चाहते हैं, वकीलों के लिए मना करना चाहते हैं वह तो होगी और मैं समझता हूँ कि कलेक्टर को तो दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा और दोनों पक्षों को सुनने का मतलब हुआ कि वकील बहस के लिए होगा। वैसे कलेक्टर अगर इसको भी ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके पास अधिक काम हो जायगा। अतः जो कानूनी कोर्टस हैं, एरियर्स के लिए अगर डिस्प्यूट हो तो उसको रेफर कर दिया जाय और वह स्टेन्डिंग क्लॉज़ के खिलाफ नहीं पड़ता है अगर जागीरदार हैं और उसको अनडिस्प्युटेड चीज के लिए, एरीयर्स की वसूली के लिए वसूली करने में दिक्कत होती है तो सरकार वसूल करेगी और एक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

प्रकार से सरकार को भी अधिकार प्राप्त होता है और उस वक्त में अनडिस्प्युटेड बकाया में कोई कमी नहीं की आ सकती। जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ इसको कॉम्पीटेन्ट कोर्ट में मूव किया जा सकता है लेकिन जब कि एक आदमी मन्जूर करता है कि वह लगान देना चाहता है और उसका लगान बाकी है तो उस हालत में इसको रखते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी। मैं समझता हूँ कि यदि उस अमेंडमेंट को हम स्वीकार करें तो यह समझने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है कि हम पन्त रिपोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। पन्त रिपोर्ट आखिर लीगल वर्डिंग्स की रिपोर्ट तो नहीं है। उसमें तो उसूलों की बातें तय की गई हैं। पहले के मूल एक्ट में जागीरदारों को एरियर्स वसूल करने का अधिकार था। उसमें परिवर्तन किया गया है कि जो लीगल ड्यूज़ हैं पहले की बकाया हैं उनको जागीरदारों की बजाय सरकार वसूल कर दे। इसमें आपस का झगड़ा नहीं रहता है। एरीयर्स को गवर्नमेंट एजेन्सी के जरिये वसूल कर लिया जाय और जो नोमिनल खर्चा है वह काट कर वह बाकियात जागीरदार को सौंप दी जाय। जैसे हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि यह तो पन्तजी की रिपोर्ट के खिलाफ होगा, मैं नहीं समझता कि यह जो हमने समझौते किये थे, एग्रीमेंटस किये थे उनके खिलाफ है। एक्ट में जो "legally" शब्द है उसका मतलब मोर और लेस (more or less) यही होता है, किन्तु एक प्रोविजों के जरिये क्लेरिफिकेशन हो जाय और कुछ मित्रों को यह कहने की गुन्जाइश नहीं रहे कि किसानों से वसूली करने के लिए सरकार ने यह रास्ता अपनाया है, जैसा कि कुछ मित्रों के कहने की आदत होती है कि इस "legally" शब्द के मतलब से हो किसानों से वसूली हो जायगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह से इस बात को स्वीकार करने में मुझे ऐतराज है। श्री मथुरादासजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है मैं उसको स्वीकार करता हूँ।

इसके साथ-साथ मेरे माननीय मित्र ने पुराना जो मूल एक्ट है उसकी कुछ धाराओं में बकाया वसूली करने की जो बात आती आती है उसको डिलीट करने की बात कही है और जो अमेंडमेंट दिया है उस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमने उन सारी बातों पर विचार किया है और विचार करते वक्त यह लक्ष्य हमारे सामने रहा है कि एक जागीरदार जो कि खुद के खर्चे के लिए, शादी विवाह के लिए और किन्हीं निजी कारणों की वजह से कर्जदार हो गया है तो उसकी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है लेकिन एक दूसरा जागीरदार है जिसने कर्ज लेकर इरिगेशन के लिए तालाब बनाया, पब्लिक के लिए सड़कें बनाईं या अन्य प्रकार के ऐसे काम किए गए जो कि आज भी विद्यमान हैं और जिनसे कि आगे जनता को भी लाभ होने वाले हैं, सरकार को भी उनसे फायदा मिलने वाला है, तो उस प्रकार के काम के लिए अगर कोई कर्ज लिया गया है और उन कामों के लिए खर्च किया गया है तो उसको कर्ज के भार से, हम यह भी मानते हैं कि अगर किसी जागीरदार ने २५ साल पहले कर्ज लिया और उसको तालाब बनाने आदि में लगाया और उससे उसको रिटर्न हो गया तो उसकी बात दूसरी है, मुक्त कर देंगे, या सारा का सारा माफ कर देंगे, उसका पार्ट किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है तो इस प्रकार की सारी चीजों को एग्जामिन किया जायगा और उसके आधार पर देखा जायगा, इकोनोमिक एग्रीकल्चर डेवेलपमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि यह क्यों और किस उपयोग

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

में आया ? कई चीजों के रखने से; जैसे मशीन तकावी के बारे में भी बार बार कहने की बात आती है, तो आर्ग्युमेंट को ज्यादा ले जाने की बात होगी। कई चीजों में कन्सेशन देने की बात कहीं गई है।

स्कूल्स और होस्पिटल्स को रख कर दूसरी चीजों को छोड़ देने की, माननीय अध्यक्ष, मूल एक्ट में धारा थी। मध्य भारत कानून और राजस्थान कानून दोनों को करीब-करीब एक ही धारा ली हुई है। मध्यभारत की हाईकोर्ट ने, जैसा कि सदन के सदस्यों को मालूम होगा, इस प्रकार की प्रोपर्टीज़ (properties) को लेने का करार दिया है। उसके बाद उस समय हमारी यह बात चल रही थी। कानूनी तरीके से मध्यभारत की हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके अनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल हमने परिवर्तन किया कि जो स्कूल्स और होस्पिटल्स की खास तौर पर बिल्डिंग्ज़ है, जो पब्लिक के काम में आती हैं उनको लेंगे और उसके अलावा जो रेज़िडेन्शियल बाउन्डरीज़ में आ जाती हैं उसको लेने की बात ऊपर की गई है। मैं समझता हूँ कि चीज़ वाजिब भी है। गढ़ हैं जिनमें पहले जागीरदार कचहरी करते थे, काम-काज किया करते थे और आगे जाकर वहाँ तहसील या कचहरी कायम कर दी जाँय तो आपस में झगड़ा हो सकता है। हम इस चीज को अवोइड करना चाहते थे उस वक्त में जब कि अन्तिम रूप से जागीरों के बारे में व्यवस्था की जा रही है। उस प्रकार झगड़ा रखना वाजिब भी नहीं होगा। अतः इस धारा को ज्यों का त्यों पास किया जाय, यह मेरा निवेदन है।

एक माननीय मित्र ने कहा कि सरकारी लोन के सम्बन्ध में सरकार को आम तौर पर अधिकार है कि और भी कोई लोन हों तो सरकार छोड़ सकती है। कानूनी तौर पर यदि हम देखते हैं तो यह वाजिब बात नहीं है। वाइडर पोवर्स (wider powers) होते हैं, यदि गवर्नमेंट के पास, जिसके जरिये से यह कहें कि हम जिसको लोन माफ करने की बात सोच लें, तो यह बात गलत है।

वहां पर लोन काम में लिया गया। इस लोन को कम करने का माफ करने का अधिकार सरकार को देना चाहते हैं। यह आर उस अधिकार से, जो कि प्राप्त हैं, आगे बढ़ने की बात कहते हैं। इस धारा को काफी सोच-समझकर रखा गया है। इसके परिवर्तन के अन्दर इस बात का ख्याल रखा गया है। कन्सेशन देने की बात कही गई, कानूनी तरीके से आवश्यक था दूसरे तरीके से देखा गया एग्रीकलचरल इकोनोमिक डेवलपमेंट किया हो। इसके अन्दर कम्पनसेशन दिये जायँ इन चीजों को स्वीकार किया गया लगान के संबन्ध में, जिसके बारे में जनरल डिसक्शन के वक्त भी बहुत सी बातें आई थीं, जो कपिल-देवजी ने बातें रखी हैं वे उसी भावना का आधार है, उससे इस सिद्धान्त में अन्तर नहीं पड़ता। मैं आपका ध्यान 'Legally to' शब्द की ओर खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूँ। इसलिये इस बड़े अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे ऐसा समझने की गुन्जाइश नहीं रहेगी। कलेक्टर सारी तफसील में जाता। कलेक्टर के द्वारा रिपोर्ट करने के बाद उसकी पूर्ति करने लिये आवश्यक क्लेरिफिकेशन का प्रोवीजो लिया गया है, इससे स्पष्ट हो जाता है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ और ऐसा सन्देह करना भी पसन्द नहीं करेंगे कि हम जो एक डिसप्यूट सिविल नेचर का है उस पर बिना जांच किये ही फैसला दे दें। किसी भी स्थिति में सरकार की यह भावना है कि आवश्यक तरह के अधिकार दिये जांय कि हमारे इतने बकियात बाकी है, वसूल करवा लिये जांय। इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखना चाहिये। इसलिए मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हुआ हूँ। इन दो संशोधनों के अलावा दूसरे जो संशोधन हैं वे मेरे इतना स्पष्टीकरण करने के बाद या तो वे वापिस लेंगे या सदन उसको अस्वीकार कर देगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 'Legally to' शब्द इसके अन्दर हैं। उससे यह मतलब है कि जो डिसप्युटेड केसेज़ होंगे वे कोर्ट तय कर सकती है। तो मैं माननीय मित्र से जानना चाहूँगा कि इससे ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, चाहे आप उसे मानें या न मानें, लेकिन मैं जिस इलाके से आया हूँ दुर्भाग्यवश उस इलाके में इस प्रकार की स्थिति अवश्य होगी। दूसरे इलाके में होगी या न होगी, लेकिन हमारे उस इलाके में मौजूदा हालत में ऐसी स्थिति है। यह मैं अतिशयोक्ति पूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों के सामने वाकई डिफीकल्टीज़ हैं, हम वहां मुश्किलात का अनुभव कर रहे हैं, अगर इस रूप में कर दिया गया। इसके लिये मैं माननीय मित्र से जानना चाहूँगा कि इसके लिये क्या रवैया सरकार का रहेगा? जो डिस्पुटेड केसेज़ होंगे और जो कोर्टस में जायेंगे मेरे ख्याल में बहुत हद तक बहुत बड़े-बड़े इलाकों में ऐसा होगा। अगर होलसेल काश्तकार यह कह देते हैं कि यह रकम वाजिब नहीं तो ऐसी हालत में सरकार का क्या रवैया रहेगा? जागीरदार कहेगा कि नहीं, यह रकम वाजिब है। ऐसी हालत में कोर्टस के अन्दर जाना, कोर्ट से फैसला करवाना, उसके फैसले की इन्तजारी करना इसके बजाय तो यह अच्छा होगा कि आप जागीरें बिना मुआवजा दिये ही समाप्त कर दें। क्योंकि उनसे काश्तकारों से रुपया आने वाला नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिये काफी खर्चा बरदाश्त करना पड़ेगा जो उस जागीरदार के लिऐ संभव नहीं। कुल मिलाकर ४०-५० जागीरदार ऐसे हो सकते हैं जिनकी माली हालत ठीक रह सके, किन्तु हजारों-लाखों जागीरदार ऐसे होंगे जो इस तरह कोर्ट में लड़ने के लिए एक भी पैसा खर्च करने के काबिल नहीं। उनसे यह उम्मीद की जाय अगर होलसेल नो रेन्ट कैंम्पेन (wholsale no rate Campaign) का सामना पड़ जाय तो इसके लिए सरकार का क्या रवैया होगा? उसका कोर्ट में फैसला करवाये, इससे तो बेहतर यह होता कि आप किसी भी तरह का कम्पेन्सेशन भी न दें और जागीरों को भी ले लें ताकि हमें आगे इस प्रकार की मुसीबतों में तो न फंसना पड़े। फिर जो कुछ भी मुश्किलें हमें होंगी हम उनका मुकाबला करेंगे। ऐसी हालत में जब कि होलसेल रिफ्यूज़ल हो जाय तो गवर्नमेंट का क्या रवैया रहेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बात मैंने कही है, जो legally due है, वह देना पड़ेगा। यह हो सकता है कि यदि सब के सब मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर जाते हैं कि हम पर किसी तरह का की लगान बाकी नहीं है तो ऐसी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हालत में ठीक तरह से एक्सपीडाइट किया जा सकता है कि वाकई में बाकी है या नहीं। इसकी बिना जांच किये गवर्नमेंट कैसे कह सकती है कि लगान बाकी है। जब तक कोर्टस का फैसला न हो जाय, यह कैसे जाना जा सकता है, इसलिये लीगली जांच करनी पड़ेगी। तभी ये केसेज़ एक्सपीडाइट हो सकते हैं। सरकार का जहां तक संबन्ध है पिछले दिनों इस प्रकार के झगड़े सरकार के सामने आये हैं। सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि जैसा तोरावाटी और उदयपुर वाटी में हुआ है वहां वसूली करना वाजिब है, हमने उन्हें इन्कार नहीं किया, हालांकि एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू काफी सख्ती से वसूल किया जाता है। इस प्रकार यदि धारा नहीं रखे तो यह वाजिब नहीं हो सकता। हर केस की सुनवाई होकर, वाजिब है या नहीं, इसकी जांच के बाद लेन्ड रेवेन्यु वसूल किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir.......

श्री अध्यक्ष—How much time will you take ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—About quarter of an hour.

श्री अध्यक्ष—No, no. I had called your name first and now you have been deprived of the right of speaking.

श्री हरिकृष्ण व्यास—All right very brief.

माननीय अध्यक्ष मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। श्री कपिलदेवजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है इससे वसूली के सिलसिले में जो कुछ दिक्कतें है वे हल हो जाती हैं। वह इस प्रकार कि अगर कोई डिस्प्यूट है वह डिस्प्यूट तय करके लीगली डयु अमाउन्ट डिटर्मिन (legally due amount determine) करने के बारे में फैसला किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र ने इस क्लॉज को गौर से नहीं पढ़ा। जो शब्द इस्तेमाल किये हैं वे यह हैं: "any sum which is legally due."

"Any sum which is legally due" में एरियर्स लेन्ड रेवेन्यु भी आ जायगा और किसी और भी प्रकार का जो डयू है वह भी आ जायगा। अब आप इसके इम्प्लीकेशन पर गौर करिये। अगर मान लीजिये कि पुराने बकाया लगान के एवज में खत लिख दिया तो वह भी लोन हो गया, वह भी लीगली डयु है। हर लोन के सिलसिले में कानून ऐसा लागू है उसका व्याज जो रहेगा उससे भी वह रेस्ट्रिक्टेड होगा, ऐसा हमारे यहाँ पुराने कानून हैं। डेट कॉन्सीलियेशन बोर्ड (debt Conciliation Borad) या राज्य सरकार का बनाया हुआ कानून है। इसकी पूरी कल्पना माननीय मन्त्री ने नहीं की कि खत लिखा हुआ है जिसके माइने यह हैं कि उसमें रिकवरी डयु है। वह डेट कॉन्सीलियेशन बोर्ड के मातहत वसूल कर लेगा, इस सेक्शन के मातहत वह लेन्ड रेवेन्यु के एरियर्स की तरह वसूल कर लेगा। अगर कोई सिविल नेचर का केस होता है, उसमें यदि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डिक्री हो जाय तो डिक्री होने के बाद में भी उसको कुछ राइटस हैं । वे यह हैं कि वह डेट कॉन्सीलियेशन बोर्ड में अर्जी कर सकता है कि उसको कुछ मियाद दे दी जाय ताकि वह इन्स्टॉलमेंट के रूप में उससे कर्जा रिकवर कर सके । इन्स्टॉलमेंट द्वारा डेट रिकवर करना या और किसी प्रकार का कर्जा रिकवर करना सिविल राइट गिना गया है । हरेक आदमी को वाजिब मौका दिया जाना चाहिये ताकि वह कोशिश करके उसको अदा कर दे । अब अगर दर असल लीगल्ली ड्यु अमाउन्ट है तो उसकी रिकवरी के लिये उसको सिविल राइटस मिले हुए हैं । इस प्रकार से 'Any sum that is legally due' के बारे में लेन्ड रेवेन्यु जो सख्ती से वसूल किया जाता है सिविल राइटस के अनुसार उसको इन्स्टॉलमेंट के रूप में देने का अख्त्यार मिलना चाहिये । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से हम मौजूदा कानून के अन्दर इसको एनरोल करेंगे तो इस प्रकार एनरोल करना वाजिब नहीं हो सकता । जागीरें कायम होते हुए लेन्ड रेवेन्यु वसूली के बारे विशेष अधिकार हैं जागीरदारों को । कोई लगान नहीं देता है, जहाँ लगान वसूली का सवाल होता है वहाँ सिविल कोर्ट में दावा करने का अधिकार है ।

तो अगर कल जाकर खतम भी होता है तो सिविल कोर्ट में दावा करके वसूल करने का अधिकार तो उनका नहीं छीना जा रहा है । आज जो उनके अधिकार हैं उससे ज्यादा अधिकार क्यों दिया जावे ? इस आधार पर मैं अभी तक अपने अमेन्डमेंट को प्रेस करता हूँ और सदन से आशा करता हूँ कि वह इसे मन्जूर करेगा ।

श्री अध्यक्ष-- Now, I am putting all these amendments to vote.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंहजी ने रक्खे हैं । तीन संशोधन हैं । तीनों को एक साथ ही लें या......

एक माननीय सदस्य—तीन नहीं ४ हैं ।

श्री अध्यक्ष—हाँ, ४ । ये स्वीकार किये जावें, संशोधन नं० २४, २६, २७ और २५,

(अस्वीकृत)

Page No.27

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन फेल हो गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मतदान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने रक्खा उसको स्वीकार किया जावे; जो पक्ष में हों वे हाँ कहें जो विपक्ष में हों ना कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री हिम्मतसिंह—Noes should have it, Sir.

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—(श्री जसवन्तसिंह को संकेत करते हुए) आप डिविजन चाहते हैं ? I allow it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before a division is called I invoke the discretion of the Chair for purposl of dis qualification for the purpose of this clause also because this is a matter involving pecuniary interest of some Members of the House.

श्री अध्यक्ष—This clause has already been brought to the notice of the Chair and when the direct clause comes, the Chair will apply its mind. This is a matter of general pecuniary interest.

I will ask the Hon'ble Members to stand for the counting of votes.

(विभाजन घण्टी)

The question is that the amendment moved by Shri Kapildeo Agrawal be accepted जो पक्ष में हों वे 'हाँ' कहेंगे और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहेंगे।

(मत-दान के पश्चात्)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।

The amendment is accepted.

(सरकारी पक्ष से करतल ध्वनि तथा विरोधी पक्ष से "ताली पीटने का यह सवाल नहीं है" की आवाज)

प्रश्न यह है कि खण्ड १६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 17.—There are some 14 amendments to clause 17 and provisionally I fix five to seven minutes for each proposor of the amendment.

श्री हिम्मतसिंह—Some Hon'ble Members may withdraw their amendments.

श्री अध्यक्ष—Whatever it may be: yes, Shri Mathuradas Mathur.

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, my amendment is, "In clause 17

[श्री मथुरादास माथुर]

of the Amending Bill the words 'in clause' occurring after the words 'Principal Act' shall be substituted by the words 'in sub-section'."

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I take the amendment as moved. दो शब्द इसके बारे में मैं कह देना चाहूँगा। इस परिभाषा में सेक्शन २३ में भाग (ए) इस ढंग से दर्ज किया गया है : "Land cultivated personally by a jagirdar." इसे आपने संशोधित करके "Khudkasht land of a Jagirdar" में परिणत करने का प्रयत्न किया है। मूल विधेयक की धारा २३ के हेडिंग में जो यह लिखा है : "Private lands, buildings, wells, house sites and enclosures;" तो इसका तात्पर्य यह हैं कि ये चीजें जो हैं वे उसकी पर्सनल, प्राइवेट उपयोग में आने वाली जितनी चीजें हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाली धारा है और इसलिए मेरा ख्याल है कि भाग (ए) जैसा है वैसा ही ज्यादा ठीक है। "Land personally cultivated by a jagirdar," अलावा जो भाग (बी) है उसमें कई चीजों का जिक्र है, खुले एन्क्लोज़र्स, ओपन हाउस साइट्स, तमाम प्राइवेट बिल्डिंग्ज़ का भी जिक्र है, ट्रीज़ और प्राइवेट वेल्स आदि का भी जिक्र है। (१), (२), (३), (४) इस प्रकार के भागों में इनका जिक्र किया गया है।

तो मैंने अपने संशोधन में यह प्रस्तुत किया है कि, "The clause be deleted and redrafted as under :—

'(b) Private building used as residence, places of worship, well or wells situated in Buildings used as residences, shall continue to belong to or be held by such Jagirdar or other person.' "

यहाँ इन सब चीजों का एक ही क्लॉज़ में एक साथ जिक्र किया जा रहा है।

इनके अलावा बाकी जो आम व्यवहार की चीजें हैं उन आम व्यवहार की चीजों के बारे में जो प्रोवीज़न लाया गया है उसके करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरे एमेन्डमेंट का दूसरा भाग है। तो मैंने यह दोनों ऐमेन्डमेंट सदन के सामने प्रस्तुत कर दिये और ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ।

रावत श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सब क्लॉज़ (ए) में इस प्रकार है :
"In Sub-clause (i) :

After sub clause '(a) Khudkasht lands of a Jagirdar' add the following new sub clause :

"(aa) lands improved by a Jagirdar,"

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने एमेन्डमेंट के सिलसिले में दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जागीरदारों की जो निजी संपत्ति इस एमेन्डेड बिल के द्वारा निश्चित की है उसमें

[रावत श्री शम्भूसिंह]

जागीरदारों के द्वारा इम्प्रूव्ड की हुई सम्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो टिनेन्सी बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें चेप्टर ६ में इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था है। उसके सेक्शन ५४ में कम्पेन्सेशन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जब जागीरदारों के नेगोशियेशन्स राजस्थान सरकार के साथ हुए थे और राजस्थान सरकार ने और जागीरदारों ने इस विषय में जब माननीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू को अपना पन्च नियुक्त कर दिया था तो पन्डित नेहरूजी ने भी अपने १५ अक्टूबर, सन् ५३ को दिये जाने वाले एवार्ड ने यह निर्देश किया है कि जागीरदारों को जो मुआवजा दिया जाय उसमें वह सब रकम जोड़ दी जाय जो उन्होंने जमीनों की तरक्की के लिए लगाई है। जो जमीनों की तरक्की के लिए लगाई जाने वाली रकमें हैं वे इम्प्रूवमेंट में आती हैं, मगर मैं देखता हूँ कि जहाँ जागीरदारों को मिलने वाला कम्पेन्सेशन डिटर्मिन होगा उसमें ग्रोस इन्कम जो जोड़ी जाती है उस ग्रोस इन्कम में जागीरदारों ने जो इन्वेस्ट किया हैं, इम्प्रूवमेंट किया है वह उसमें नहीं जोड़ी गई है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की यह मन्शा है कि जागीरदारों ने जिस कदर इम्प्रूवमेंट किये हैं सरकार उन तमाम इम्प्रूव्ड लेन्डस को प्राइवेट प्रोपर्टी मानने के वास्ते तैयार है। इसी वास्ते उन्होंने ग्रोस इन्कम में जोड़ी जाने वाली रकम में वह रकम नहीं जोड़ी। मगर जब कि यह खास तौर से देखा गया है कि......

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, ६-३४ पर पदासीन)

जागीरदारों की प्राइवेट प्रोपर्टी जो डिफाइन की हुई है उसमें इम्प्रूव्ड की हुई जमीन का हवाला नहीं है, तो मुझे आश्चर्य हुआ। इस वास्ते मैंने यह एमेन्डमेंट इसमें प्रस्तुत किया कि इम्प्रूव्ड की हुई जितनी भी जो जमीनें हैं या इम्प्रूवमेंट के जितने भी काम हैं वे उसमें होने चाहिए। उस हालत में जब कि माननीय पं० जवाहरलालजी नेहरू ने इस बात का निर्देश दिया है कि जागीरदारों ने आमदनी बढ़ाने के कामों में जो कुछ कार्य किये हैं उनके वास्ते कन्सीडरेशन होने चाहिऐ। तो राजस्थान गवर्नमेंट का जब मैं यह रुख देखता हूँ, कि जागीरदारों के हितों की रक्षा करने का वह दावा करती है, मगर माननीय पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने जो कुछ निर्देश दिये हैं उसकी अवहेलना करने को राजस्थान गवर्नमेंट तैयार होती है तो जागीरदारों को माननीय पंडितजी के पास जाने के लिए उत्तरदायी भी राजस्थान सरकार हो सकती है और जागीरदारों के वास्ते फिर यह रास्ता खुल जाता है। जो निर्देश दिये गये हैं कि तरक्की के कामों में लगाये जाने वाली रकम जो है वह जागीरदारों को दी जायगी अथवा जो तरक्की के काम हुए हैं, यह हो सकता है, उन तरक्की के कामों को जागीरदारों की प्राइवेट प्रोपर्टी माना जायगा यदि पंडित जवाहरलालजी नेहरू के निर्देश की अवहेलना करके राजस्थान गवर्नमेंट इस मामले को कन्सीडर नहीं करेगी तो जागीरदारों के सामने पंडित जी के पास जाने का रास्ता फिर खुल जाता है, अतएव मैं समझता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट समझदारी से काम करेगी और पंडितजी का जो एवार्ड है उसकी कदापि अवहेलना नहीं करेगी और उन्होंने, इम्प्रूवमेंट में लगाई जाने वाली जिस रकम को ग्रोस इनकम में नहीं जोड़ा है तो इम्प्रूवमेंट के जितने भी काम हों उनको जागीरदारों की निजी सम्पत्ति स्वीकार करने में नहीं हिचकिचायेगी और जागीरदारों को यह मौका

[रावत श्री शम्भूसिंह]

नहीं देगी कि वह फिर से पंडितजी के पास जाये। उनके एवार्ड को इम्प्लीमेंट करवाने के वास्ते राजस्थान सरकार के पास कुछ आदेश हैं अतएव, अध्यक्ष महोदय, मैं रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस वाजिब एमेन्डमेंट को वह जरूर स्वीकार करलें। यह हर प्रकार से वाजिब है। हमारे विधान में यह रखा है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रोपर्टी से कोई डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। जमीनों के इम्प्रूवमेंट करने की वजह से प्रोप्राइटरी राइटस उस प्रोपर्टी पर, ऐसे लेन्ड पर, एक्रयू (accrue) होते हैं। तो इस वास्ते यदि राजस्थान सरकार उनकी अवहेलना करेगी तो वह खुल्लमखुल्ला इस विधान की अवहेलना होगी। इस वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि जागीरदारों के जितने इम्प्रूवमेंट के वर्क्स हैं उनको राजस्थान सरकार उनकी प्राइवेट प्रापर्टी मान लेगी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में राजस्थान सरकार से दरख्वास्त और इस हाउस से अपील करता हूँ कि वह मेरे एमेन्डमेंट को एकमत होकर स्वीकार कर लें।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री चाँदमल।

श्री चाँदमल मेहता—चेयरमैन महोदय, इस क्लॉज में मेरे ५-६ एमेन्डमेंट हैं। पहला एमेन्डमेंट इस प्रकार है :—

"Sub-clause (ii) : Delete the words 'in clause (b) for the word "twelve" in sub-clause (i) the word "six" shall be substituted and' "

यह सब क्लॉज (बी) जो प्रिन्सिपल एक्ट में है वह इस प्रकार है :—

"all open enclosures used for agricultural or domestic purposes and in his continuous possession (which includes possession of any predecessor-in-interest) for twelve years immediately before the date of resumption; इसके बजाय, १२ के बजाय ६ साल के समय की इस बिल में व्यवस्था की गई है, मेरा एमेन्डमेंट यह है कि जैसा कि प्रिन्सिपल एक्ट में है उसी तरह से १२ साल रखने का है। चेयरमेन महोदय, यहाँ जो शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है वह है 'Six years immediately before the date of resumption" यानी पुनर्ग्रहण से ६ साल पहले यानी कोई जागीर का सन् ५८ से पुनर्ग्रहण किया जाता है तो सन् ५२ में जिनका कब्जा था उनका कब्जा रह सकता है, अगर सन् ६० में कोई जागीर ली जाती है तो सन् ५४ में जिनका जो कब्जा था वह रह जाता है। चेयरमेन महोदय, देहातों में बढ़ती हुई आबादी की वजह से आबादी की समस्या हो गई है और कई जगह तो आबादी के बढ़ने से रहने वालों के लिए, मकानों के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है, मवेशियों के बाड़ों के लिए जमीन पर्याप्त नहीं है। जितनी भी जमीन थी उस पर जागीरदारों ने कांटे की बाढ़ लगाकर कब्जा कर लिया। इस तरह यह अधिकार १२ साल के बजाय ६ साल का कर दिया जाय। इसका नतीजा यह होगा कि किसानों को मुश्किल होगी और जमीन और मकानों के लिए सरकार को यह करना पड़ेगा कि काश्त की जमीन को एक्वायर करके उनको रहने के लिए जमीन देनी पड़ेगी। इन कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए में मानता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर

[श्री चाँदमल मेहता]

लेंगे। जहाँ तक पन्त रिपोर्ट का सवाल है उसके बारे में डर नहीं है क्योंकि उसमें ऐसा अमेन्डमेंट रखने की कोई बात नहीं है। अगर उसको ठीक बात नहीं समझें तो प्रिन्सिपल एक्ट में जो था उसमें तब्दील नहीं करें।

दूसरा मेरा एमेंडमेंट जो है वह प्रिन्सिपल एक्ट की सबक्लॉज़ (बी) के सब सेक्शन (३) में कुछ शब्द डिलीट करने के बारे में है। वह शब्द यह है कि "or house sites" "and (ii)" जो कि तीसरी लाइन में आये इन शब्दों को डिलीट करने के बारे में मैंने निवेदन किया है वह इस चीज से बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह जो बिल आया है उसकी सबक्लॉज़ बी (२) जो कि बिल में आई है तो उसको डिलीट किया जाता है तो कोई वजह नहीं है कि "or house sites" को इस सेक्शन में लाया जाय क्योंकि यह सबक्लॉज़ (बी) (२) के लिए था और जब वह डिलीट हो जाता है तो उसको भी डिलीट कर दिया जाना चाहिए। फिर उसकी चौथी लाइन में कुछ और शब्द डिलीट करने के बारे में "or land appertaining to such buildings or places of worship" में मेरा अमेंडमेंट है। इन शब्दों के बारे में वे ही आर्गुमेन्टस हैं जो (बी) के सम्बन्ध में किये हैं।

इसके बाद मेरा एक अमेंडमेंट और है (बी) में, जिसमें एक शब्द और एड करने का लिखा है "Jagir and Land" के बीच में "or Khalsa" ये शब्द बढ़ाने के बारे में मेरा संशोधन है। कई ऐसे गाँव हैं जिनमें जागीर और खालसा दोनों की जमीनें हैं। जागीर की जमीन में तालाब बने हुए हैं और उनसे खालसा की जमीन को सिंचाई होती है। इन तालाबों पर जागीरदारों का कब्जा नहीं रहना चाहिये। इसलिये मैंने ये शब्द और एड किये हैं।

मूल एक्ट में एक और प्रोविजो एड करने के बारे में मैंने अमेंडमेंट रखा जो इस प्रकार है: "Provided that right of the use of water by the inhabitants and their cattle shall not be disturbed.

यह अमेन्डमेन्ट रखने का मेरा मतलब यह है कि जो तालाब जागीरदारों के कब्जे में रहते हैं उनसे गांव के निवासी पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं और कई आदमी उनमें नहाते भी हैं। इससे मेरा मतलब यह है कि जिस उपयोग में तालाब पहले आते थे उसी तरह से अब भी आते रहें। मैं यह मानता हूँ कि मेरे अमेंडमेंट वाजिब हैं जिन्हें मन्त्रीजी स्वीकार कर लेंगे, ऐसी आशा है।

श्री जगतसिंह—मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ १७ में इस प्रकार है :

"Add the following sub clause after sub-clause (ii) of Clause 17 :—

'(iii) Delete the words "and not used for irrigating the lands of any

[श्री जगतसिंह]

tenant in the Jagir land occurring in part (d) of sub-section", (i) of section 23 of the Principal Act.,"

निवेदन करने का मेरा अभिप्राय यह है अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार का यह क्लॉज़ रख कर जागीरदारों और काश्तकारों के तालाब लिये जा रहे हैं। यह गवर्नमेंट का अन्यायपूर्ण कदम है। हजारों रुपये जागीरदारों और काश्तकारों ने उन तालाबों के ऊपर लगाये हैं और उनके उन पर पूरे प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। उनके प्रोप्राइटरी राइट्स की अवहेलना करके सरकार जो कब्जा कर लेना चाहती है वह अन्यायपूर्ण कदम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तीन प्रकार के तालाब हैं। एक तरह के तालाब वे हैं जो आघोरी तालाब कहलाते हैं और वे मवेशियों के लिये और आदमियों के पानी पीने के काम में आते हैं। मैं ऐसे तालाबों का जिक्र करना नहीं चाहता। वे तालाब उसी रूप में काम में लिये जाते हैं। दूसरी तरह के तालाब इरिगेशन पर्पजेज़ (irrigation purposes) के लिये बनाये जाते हैं। उनके लिये मेरा कोई निवेदन करने का मतलब नहीं है। मैं उन तालाबों के बारे में कहना चाहता हूँ जिन पर जागीरदारों ने सैकड़ों, लाखों और करोड़ों रुपये लगाकर अपने उपयोग के लिये काश्त की भूमि अच्छी बनाने के लिये और काश्तकारों के फायदे के लिये बनाये हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेवाड़ मे इस प्रकार के लाखों तालाब हैं, उन तालाबों को यदि सरकार लेगी तो केवल जागीरदारों का ही नहीं बल्कि पब्लिक के हजारों-लाखों लोगों के हितों की अवहेलना होगी। इस क्लॉज़ में यह लिखा है कि: "shall continue to belong to or be held by such jagirdar or other person."

अदर परसन जो शब्द हैं वे दूसरे लोगों व काश्तकारों के लिये लागू हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। इसका कारण यह है कि यह पंतजी की रिपोर्ट के प्रतिकूल है। निश्चित हुई बातों को जागीरदारों की तरफ से जो मेमोरेन्डम दिया था पेज ५१ पर दिया गया है उस में साफ लिखा है कि "The bone of contention so far as the problem of Khudkasht is concerned are those lands which have been improved by Jagirdars either by digging wells or constructing Bunds and Tanks. Most of the Rajasthan is desert and the means of irrigation facilities are almost nil. To effect improvements in such areas is a very costly affair. Most of these petty landholders who have made these improvements have done so with great labour and sacrifice and they did it just to earn their livelihood." मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस मेमोरेन्डम को पेश करने के बाद नेहरूजी ने जो अवार्ड दिया है उसकी ८ वीं धारा में लिखा है कि "compensation to jagirdars should take into account the improvements which have resulted in higher rates for irrigated land." इसलिये निवेदन करने का मतलब यह है कि सदन के उस ओर बैठनेवाले सदस्यों को मैं पन्त रिपोर्ट की दुहाई देना चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदस्य महोदय ने बताया था कि हम इस रिपोर्ट को बाइबिल की तरह से मानते हैं। मैं उनको बताना

[श्री जगतसिंह]

चाहता हूँ कि आप इसको बाइबिल की तरह मानते हैं, तो हम इसको गीता और रामायण की तरह मानते हैं; लेकिन मैं बताऊंगा कि इसे इस प्रकार से मानते हुए भी आप इसकी अवहेलना करना चाहते हैं। जो प्रोप्राइटरी राइटस उनको दिये गए हैं उन्हें आप उनसे छीनना चाहते हैं जो कॉंस्टीटयुशन की धारा के खिलाफ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धारा का अच्छी तरह से मनन करें और फिर इसे डिलीट करें।

मैं यह मानता हूँ कि बहुत से काश्तकारों और जागीरदारों के बीच में पानी के लिए झगड़ा है। यदि झगड़ा है तो उसको निपटाने के लिए आप अलग कमीशन कायम कीजिए या अलग मजिस्ट्रेट नियुक्त कीजिए जो झगड़ों को निपटावें। हमारे यहाँ ज्यादातर तालाब कल्टीवेशन के लिए बनाए हैं। उनके लिए उचित होता है कि पानी निकाला जाय। रेनी सीज़न (rainy season) में पानी काश्तकारों की जमीन में फैलाने के काम में आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा के लिए वे महरूम रखे जायें। काश्तकारों को पानी पिलाने में कोई झगड़ा नहीं है और आपकी राय में यदि झगड़ा है तो उनका निपटारा कराइये। प्रोप्राइटरी राइटस पर अन्याय करना उचित नहीं है। इसलिये इस धारा को निकालने के लिये मैंने संशोधन दिया है। यदि आप इसे नहीं निकालेंगे तो हिम्मतपूर्वक मैं कहता हूँ कि जागीरदारों की तरफ से सैकड़ों रिटस होंगी और सरकार और जागीरदार दोनों को उनकी पैरवी करने के लिये हजारों रुपये खर्च करने होंगे। किसी के प्रोप्राइटरी राइटस को लेना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

श्री जवानसिंह—माननीय सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज़ में ३ संशोधन प्रस्तुत किये हैं और तीनों ही एक ही क्लॉज़ (बी) में रखे हैं। मैं सरकार को यह मौका देना चाहता हूँ कि सरकार यदि वाकई न्यायपूर्ण और सबके लिये उचित इस कानून को बनाना चाहती है निष्पक्ष होकर, तो यह मुझे अवश्य मालूम हो जायगा कि तीनों संशोधनों में से कौनसे अमेन्डमेन्ट को वह मंजूर करती है। पहला अमेन्डमेन्ट सीरियल नं० ८ पर है और दूसरा अमेन्डमेन्ट सीरियल नं० २८ पर है और सबसे आखिरी संशोधन जो प्रस्तुत किया है उसकी प्रतिलिपि माननीय राजस्व मंत्रीजी को मिल गई होगी। वह इस प्रकार है:

"In section 23 of the Principal Act the following proviso shall be inserted at the end of the section :—

'Provided that nothing contained in clause (d) shall affect the rights of the Jagirdar in any portion of a tank which may be in the Khudkasht of the Jagirdar and he shall be entitled to cultivate such portion by getting the water discharged at the proper time according to the custom in vogue.' "

[श्री जवानसिंह]

इस क्लॉज़ के मुतल्लिक अभी कुछ संशोधन पेश हो चुके हैं और मेरा संशोधन भी इस क्लॉज़ में उन तालाबों के सम्बन्ध में है जिनका पानी इन तालाबों के पास की जमीन की सिंचाई के काम में आता है। अभी यह शिकायत, माननीय सभापतिजी प्रकट की गई कि क्योंकि तालाबों की भूमि में जहां पानी भरता है उसमें काश्त होती है पानी निकालने के बाद में, इसलिये दो व्यक्तियों में इस तालाब के सिलसिले में झगड़ा-फिसाद होने की आशंका हो सकती है। इसका कारण यह बतलाया कि इस वक्त जब इस तालाब में पानी भरता है तो उसके बाद में उस पानी से सिचाई होती, उस जमीन पर जिसमें कि सिचाई होती है, उस पर कब्जा काश्तकार का होता है।

और पानी निकलने के बाद में खेती जागीरदार करते रहे हैं। तो इस प्रकार एक ही चीज के ऊपर दो व्यक्तियों का हक हो सकता है, इस चीज को मैं मानता हूँ और इसको मान कर ही मैं आगे आपको निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय, कि इन दोनों व्यक्तियों के हक की मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। दोनों के हक को मान कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक उस तालाब में पानी भरता है और जैसे आज तक जो रिवाज-रस्म उस तालाब के नीचे की जमीन की सिचाई करने में, जो रिवाज-रस्म रहे वे बने रहें और उस तालाब के पानी से जो जमीन सींचने में आती रही है, जमीन की सिचाई होती रही है, उसको मै मानता हूँ; परन्तु इसके पश्चात् आज तक जो जागीरदार का तालाब के पेटे में काश्त करने का हक रहा है, उसको भी आप मत ठुकराइये, उसका भी हक रहने दीजिये। फोर्मर राजस्थान में हजारों लाखों तालाब ऐसे होंगे जिनमें कई ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, परन्तु इनका भी हल यही है कि आज तक जिस चीज से फायदा होता आया है उसे उसी तरह रहने दीजिये जिससे न काश्तकार के ऊपर और न जागीरदार के ऊपर उल्टा असर पड़ता हो। निवेदन करने का मेरा दूसरा कारण यह है कि इससे हम दोनों के हकों की रक्षा कर सकेंगे, जागीरदारों के हक भी कायम रख सकेंगे इसी तरह से पेटे में काश्त करने का और साथ ही काश्तकारों का हक सिंचाई करने का है उसको भी कायम रख सकते हैं है। मेरा ख्याल है कि यह एक बहुत ही वाजिब संशोधन पेश किया है। अगर और कोई ख्याल नहीं हुआ तो जिस प्रकार मैंने यह संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जायगा। अगर इसे स्वीकार करने में आपत्ति हो तो मैंने और भी जो संशोधन पेश किये हैं इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में, उनकी ओर रुचि हो तो उनको भी स्वीकार किया जा सकता है। काश्तकारों के खेतों की सिचाई भी हो और जागीरदारों का भी तालाब के पेटे में हक रहे, इसके लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। दोनों के हकों की रक्षा कर सकें इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति--श्री भैरोसिंह, विभाजन संख्या १६.

(विराम, कुछ क्षणों के पश्चात् श्री भैरोसिंह का सदन में आगमन)

You must be present in the House when you are called.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Speaker Sir, I beg to move the following amendment to clause 17 :—

"Insert the following new clause as clause (iii) after clause (ii) :—

श्री कानसिंह—Is the Chairman, Speaker, Sir ?

श्री भैरोंसिंह—मैं कुछ नहीं समझा।

श्री सभापति— What is your difficulty ?

श्री कानसिंह—Has the designation of the Speaker changed into Chairman, Sir ?

श्री सभापति—Oh ? It is an ordinary thing, overlook it.

श्री भैरोंसिंह—"(iii) (a) Substitute the word 'possession' for the words 'personal occupation' in sub-section (d) of section 23 of the Principal Act.

(b) Insert the words 'exceeding two hundred acres between the words 'land' and 'of' occurring in the second line of sub-section (d) of the Principal Act.

(c) Add the words 'as his absolute property' after the word 'person' occurring in the fifth line of sub-section (d) of the Principal Act.

(d) The following proviso be added after sub-section (d) :—

'Provided that nothing contained in this sub-section will disturb the possession of any Jagirdar on the bed of tank'."

माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन, माननीय जगतसिंहजी ने जो अपना संशोधन रखा है ,उसका कुछ अंशों में समर्थन करता है। पार्ट (डी) में यह है :

"—..... and not used for irrigating the lands of any tenant in the jagir land."

इसमें मेरा संशोधन यह है कि यदि किसी जागीरदार ने तालाब को महज सिंचाई के पर्पज़ के लिये बनाया है तो वह बात तो बिल्कुल दूसरी है लेकिन सिंचाई के साथ-साथ उस तालाब के जरिये उस तालाब की Bed में काश्त करने के लिये और कुछ लोगों की जमीन की सिंचाई के लिए बनाया है तो वह बात दूसरी है।

[श्री भैरोसिंह]

मेरा संशोधन इसलिये है कि जिस जागीरदार ने तालाब बनाया और उसके बेड में काश्त करना चाहता है और (डी) के अनुसार किसी एक बीघा जमीन की, ५० बीघा जमीन की या १० बीघा जमीन की सिंचाई कर दी, कभी सिंचाई करता है और कभी-कभी सिंचाई नहीं भी करता है तो भी इस क्लॉज़ से "not used for irrigating the lands.";

इसमें इस बात का कोई कंसीड्रेशन नहीं रहता। १ बीघा की सिंचाई हो गई तो भी वह यह है :

"......not used for irrigating lands."

दो बीघा की सिंचाई होती है तो भी वह इस धारा के अन्तर्गत आ जाता है और यदि ५० बीघा की सिंचाई होती है तो भी वह इस धारा के अन्तर्गत आ जाता है। इसलिये मेरा संशोधन किसी सीमा तक इसे रखने का है कि कितनी सिंचाई होने तक यह धारा लागू नहीं होनी चाहिये और वह सीमा है २०० बीघा की। २००-बीघा से कम की सिंचाई उस तालाब से होती हो तो उस तालाब पर जागीरदार का पज़ेशन (possession) रहना चाहिये और २०० बीघा से ज्यादा जमीन की सिंचाई होती है तो उस तालाब के बनाने का मतलब यह होता है कि उससे दूसरों की जमीन की भी सिंचाई करेगा। दूसरों की जमीन की सिंचाई करने का पर्पज़ अगर उस तालाब का बनाने का है तो फिर सरकार उस तालाब पर अधिकार कर ले तो यह ठीक ही होगा, परन्तु थोड़ी सी सिंचाई के लिये अधिकार कर ले तो यह उनके साथ अन्याय होगा कि जिन्होंने उस तालाब को बनाने में इतना पैसा खर्च किया है। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि इसमें सिंचाई की जमीन की सीमा, तादाद निर्धारित कर दी जाय कि २०० बीघा तक की सिंचाई होती है तो छूट रहेगी, इससे ज्यादा होगी तो सरकार उसे अपने अधिकार में ले लेगी।

दूसरा है :

"all tanks in the personal occupation."

"Personal Occupation" की जगह "Possession" किया जाना चाहिये। जागीरदार का जिस तालाब पर अधिकार है, जो Occupation का मतलब है वही Possession का मतलब है, पर Personal शब्द Occupation और Possession में कन्फ्युजन पैदा कर सकता है। ओक्युपेशन के काम पर Possession नहीं आता, इसलिये ओक्युपेशन के स्थान पर Possession कर दिया जाय, तो यह चीज क्लियर हो जायगी।

तीसरा संशोधन जो है वह यह है :

"shall continue to belong to or be held by such jagirdar or other person **as his absolute property."**

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय सभापति महोदय, इस पार्ट (डी) में लिखा है :

"shall continue to belong to or be held by such jagirdar or other person."

किस तरह से किसको बिलोंग करेंगे इसको डिफाइन नहीं किया है। इसका सम्बन्ध काश्तकार की तौर से, मालिक की तौर से और सिंचाई की दर के पैसे लेकर उसकी सिंचाई करने का भी हो सकता है। इस सम्बन्ध को डिफाइन नहीं किया है कि उसका सम्बन्ध काश्तकार के तौर पर या मालिक के तौर पर होगा। इसको डिफाइन नहीं करते हैं तो कानूनी तौर से दूसरा इन्टरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिये शब्द "belong" को डिफाइन किया जाय। यदि किसी खास मतलब से डिफाइन नहीं होता है तो :

"shall continue to belong as his absolute property."

"personal property" हो जायगा। इससे इस 'belong' शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका क्लियर इन्डिकेशन हो जाता है, उसका इस पर मूल अधिकार हो जायगा।

तीसरा मेरा संशोधन प्रोविज़ो एड करने का जो है वह यह है :

"Provided that nothing contained in this sub-section will disturb the possession of any Jagirdar on the bed of the tank."

माननीय सभापति महोदय, तालाब बनाने की दो नियत होती हैं। एक तो तालाब से सिंचाई करना और दूसरी नियत होती हैं उसके बेड में जब पानी सूख जाए तब काश्त करने की। यदि हम यह मान कर चलें कि जिस तालाब से सिंचाई होती है, चाहे ५ बीघा जमीन ही सिंचाई के काम में ली जाती हो या चाहे २० बीघा, चाहे ५०० बीघा सिंचाई होती हो, सरकार उस तालाब पर अपना अधिकार करना चाहती है और वह भी इसलिये कि जागीरदार सिंचाई करने में किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। उस तालाब पर सरकार अपना कब्जा कर लेगी। मगर इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार तालाब के पानी पर अपना अधिकार करेगी या उस तालाब के bed पर। सरकार का उस तालाब पर कब्जा करने से कोई भी जागीरदार इस बात के आरोप से मुक्त हो जावेगा कि जागीरदार ने काश्तकार को उस तालाब का पानी नहीं लेने दिया और उसको किसी प्रकार की रुकावट पैदा की। इसीलिये सरकार इस पर कब्जा करना चाहती है। मगर इस तालाब में पानी नहीं रहने पर कब्जा किसका रहेगा? बेड तो सरकार के कब्जे में नहीं होता है, जागीरदार के कब्जे में होता है। सरकार का मतलब तालाब पर कब्जा करने से उस तालाब के पानी से सिंचाई करने का है। मगर जब तालाब में पानी नहीं रहता तो बेड पर तो किसी भी सूरत में सरकार का कब्जा नहीं रहना चाहिये

[श्री भैरोंसिंह]

और जागीरदार का ही कब्जा होना चाहिये, यही मेरा एमेंडमेन्ट है। सरकार इसे मंजूर करे या न करे, मेरा तो यह कहना है कि बेड पर जागीरदार का कब्जा हो। इस पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह Proviso है कि सरकार कब्जा न करे, जागीरदार का कब्जा ही रखे। खाली होने पर कब्जा होगा इससे पहले तो उसका कब्जा होगा नहीं इसलिये यह सवाल भी पैदा नहीं होगा कि जागीरदार काश्तकारों की सिंचाई में गड़बड़ करेगा। इसलिये मैंने यह प्रोविजन रखा है। यह मामला अभी तय हो जावे ताकि बाद में सरकार के पास जागीरदार या काश्तकार किसी प्रकार की दरख्वास्तें पेश न करें और आपस में किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा न हो। इसलिये यह स्पष्ट कर दिया जावे। अगर मेरा संशोधन सरकार मन्जूर कर लेगी तो जागीरदार का कब्जा हो सकता है। आपके दोनों मतलब हल हो जावेंगे। सिंचाई के मामले में जागीरदार किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर सकेगा और खाली होने पर वह उस बेड में काश्त कर लेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहूँगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके इसको मन्जूर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति, मेरा एक एमेन्डमेन्ट बाकी रह गया है।

श्री सभापति—दोनों साथ ही क्यों नहीं पेश किये।

रावत श्री शम्भूसिंह—मुझे तो इस पर थोड़ा ही कहना है।

श्री सभापति—बोलिये, मगर ज्यादा समय न लें।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय सभापति, मेरा एमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १७ में इस प्रकार है :

"At the end of Clause 17, sub-clause (ii) insert the following :—

'(iii) in sub-section (1) of section 23 of the Principal Act after clause (d) insert the following. '

"(c) without prejudice to the generality of the foregoing provisions all works constructed by a Jagirdar'."

अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट प्रोपर्टी की डेफिनिशन करने वाला क्लॉज़ है। इसके (सी) भाग में यह है कि जितनी भी प्राइवेट प्रोपर्टी हो उसको डिफाइन किया है लेकिन इस जनरल क्लॉज़ में लास्ट में जो पोर्शन रखा गया है उसमें यह और एड कर दिया जावे, "Without prejudice to the generality of the foregoing provoisions all works Constracted by a jagirdar." इसमें मेरा यह उद्देश्य है कि जितना वर्क जागीरदार ने कन्सट्रक्ट किया हो वह उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी में होगा। जागीर रिज़म्पशन में लेन्ड का सवाल है। जागीरदारों ने कन्सट्रक्शन किये हैं उन पर कोई

[रावत श्री शम्भू सिंह]

समझौता नहीं किया है और इस पर जागीर रिज़म्प्शन में कोई बात रखी गई है। इसलिये बगैर कम्पेन्सेशन दिये किसी की प्राइवेट प्रोपर्टी को टच (touch) करना विधान के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होता है। अतएव मैं यह प्रार्थना करूँगा कि विधान के सिद्धान्तों के अन्तर्गत जो बात है उसके खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये बगैर कम्पेन्सेशन दिये किसी भी जागीर के कन्सट्रक्टिव वर्क जो हैं वह नहीं लिए जा सकते, जो जागीरदारों की निजी सम्पत्ति मानी जानी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह एमेन्डमेन्ट सरकार स्वीकार फरमावेगी।

श्री रोशनलाल भटनागर—इस पर मेरा भी एमेन्डमेन्ट है।

श्री सभापति—मेरे पास तो कोई नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ के बारे में मैंने कहा था कि बाद में जवाब दूँगा। इसका जवाब भी क्लॉज़ १३ का जवाब देते समय उसके साथ ही शाम को देना चाहूँगा।

श्री सभापति—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया को सम्बोधित करते हुए) दूसरा क्लॉज़ ले लें।

क्लॉज़ १७ पर विचार करना स्थगित कर दिया गया है क्योंकि मिनिस्टर इन्चार्ज शाम को इसका जवाब देना चाहते हैं। इसलिये क्लॉज़ १८ ले लिया जाता है। क्लॉज़ १८ पर श्री एच० के० व्यास का एमेन्डमेन्ट है। श्री एच० के० व्यास सदन में उपस्थित नहीं है। (श्री एच० के० व्यास का सदन में प्रवेश) एमेन्डमेन्ट तो भेज देते हैं और सदन में समय पर उपस्थित नहीं रहते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 18 :—

"Clase 18 be deleted"

क्लॉज़ १८ की मन्शा यह है कि प्रिन्सिपल एक्ट के सेक्शन २४ को ओमिट कर दिया जावे।

प्रिन्सीपल एक्ट का सेक्शन २४ जो लीज़ ग्रान्ट दी गई हैं उसके केन्सलशन के बारे में है :

"Cancellation of certain leases :—Where a Jagirdar has on or after the 1st day of January, 1949—

(a) granted a lease of his jagir land or any part thereof for any non-agricultural purpose for a period of three years or more; or.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) granted a lease of, or entered into a contract relating to, any forest in his jagir land for a period of three years or more;

and the Jagir Commissioner is satisfied that such lease or contract was not made or entered into in the normal course of management but in anticipation of the legislation for the resumption of jagir lands, the Jagir Commissioner may, according to the rules, made by the Government in this behalf, by order in writing cancel the lease or the contract as the case may be."

इस बिल में किसी जगह इस बात का खुलासा नहीं है, माननीय सभापति, कि यह सेक्शन २४ जो ओरिजिनल एक्ट का है वह क्यों हटाया जा रहा है। वैसे तो इसको एक तरह से रिड्राफ्ट करके अलग ढंग से सेक्शन २६ (ए) में लगाया गया है और उस सेक्शन २६ (ए) में कुछ और गिफ्ट इत्यादि के लिए बढ़ाया भी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार सेक्शन २६ (ए) में इसको इन्सर्ट करने के बाद भी कुछ कम्पेन्सेशन और लाएबिलिटी (Compensation and liability) का सवाल आता है। अतः सेक्शन २४ वैसा का वैसा ही रहना उपयुक्त होगा और जिस प्रकार के अधिकार जागीर कमिश्नर को कम्पेन्सेशन के लिए दिये गये हैं कायम रहेंगे तो अच्छा होगा।

प्रस्तावित सेक्शन २६ (ए) के अनुसार "Certain transfers not to be recognised for the assessment of compensation." इस ढंग से इसको दर्ज किया गया है कि जिसका तात्पर्य यह होगा कि कम्पेन्सेशन को एसेस (assess) करने के सिलसिले में ट्रान्स्फर रिकॉग्नाइज़ नहीं किये जावेंगे, बेसिकल्ली उसको तब्दील करने का या केन्सल करने के अधिकार जागीर कमिश्नर को नहीं रहेंगे। जब कि जागीर पुनर्ग्रहण का कानून बन रहा है, केवल कम्पेन्सेशन की दृष्टि से ही सारे का सारा प्रश्न देखें तो वह संकुचित दृष्टिकोण होगा। मेनेजमेन्ट के दृष्टिकोण से भी देखना होगा और इस तरह से सेक्शन २४ में जो राइट्स हैं वे रखना चाहते हैं। उसके अलावा हम यह प्रोवाइड कर सकते हैं कि कम्पेन्सेशन के सिलसिले में उनको रिकोग्नाइज नहीं किया जायगा, लेकिन केन्सेलेशन के राइट्स होने चाहिए और इसी आशय का मेरा अमेन्डमेन्ट है जो यह कहता है कि क्लॉज़ १८ को ओमिट कर दिया जाय और इसका ताअल्लुक सेक्शन २४ से है वह रहने दिया जाय। सेक्शन २६ (ए) जो इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है वह वॉइड है और मेरा ख्याल है कि जो पॉवर्स अख्तियार कर रहे हैं उनके लिए कोई कारण नहीं। इन शब्दों के साथ में अपना अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ।

श्री सभापति—Shri Vedpal Tyagi.

(अनुपस्थित)

(श्री मथुरादास माथुर बोलने के लिए उद्यत)

[श्री सभापति]

आपका (श्री मथुरादास माथुर का) जो अमेन्डमेन्ट है उसके बाबत डिफिकल्टी है। उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्पीकर साहब ने निर्णय नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर--Pardon.

श्री सभापति—एडमिशन के बारे में।

(विराम)

अच्छा आप मूव करिये।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—On a point of information, Sir, जो अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं वह सर्कुलेट नहीं हुआ है।

("सर्कुलेट हो गया है" ऐसी आवाज़)

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)—It has been circulated.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What is the serial Number ?

श्री सचिव—List No. 4.

श्री मथुरादास माथुर—I do not want to move.

(विराम)

श्री जवानसिंह—मालूम नहीं हो सका कि कौनसा अमेंडमेंट था और नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर—आपके पास सर्कुलेट नहीं किया तो फिर क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट आया है एक माननीय सदस्य का और उन्होंने कहा कि पहली वाली धारा रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ने उस धारा को डिलीट करने की बात कही है। उसका कारण यह था कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वोल्व्ड है और इसीलिए गवर्नमेंट सारे के सारे क्लॉज़ को केन्सल कर रही है। उस क्लॉज़ को हटा कर कम्पेन्सेशन के असेसमेन्ट के लिए कुछ ट्रान्सफर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करने के लिए इस सेक्शन की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। कम्पेन्सेशन में वह इन्कम नहीं गिनी जायगी। कोन्ट्रेक्ट है, उसके केन्सलेशन का अधिकार एक साथ नहीं ले सकते थे इसीलिए यह चीज़ की गई है।

श्री सभापति—Now I put the amendments to vote.

[श्री सभापति]

श्री एच० के० व्यास, क्लॉज़ १८ पर आपका जो अमेंडमेंट है क्या आप उसको विथड्रा करेंगे ?

(नकारात्मक उत्तर)

वे प्रेस करना चाहते हैं इसलिए क्या यह सदन को स्वीकृत है ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

क्लॉज़ १८ को पास करने के बाबत वोट्स लिये जाते हैं। क्या यह सदन को स्वीकार है ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ पास हो गया और विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १९, इस पर श्री जवानसिंहजी का अमेंडमेंट है ।

श्री जवानसिंह--माननीय सभापति महोदय, मैंने क्लॉज़ १९ (ए) को डिलीट करने के लिए अपने संशोधन के जरिये निवेदन किया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का सम्बन्ध इस क्लॉज़ में रखा गया है और जिसका आशय जहां तक कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट्स के सिलसिले में असेसमेंट (assessment) का ताल्लुक है.........

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उससे मेरे अमेंडमेंट और अमेंडमेंट बिल के क्लॉज़ का सम्बन्ध है । इस क्लॉज को रखा जाय तो उसका असर उस असेसमेंट पर क्या पड़ेगा और अगर इसको डिलीट कर दिया जाय तो कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट्स पर क्या असर पड़ेगा, इन दोनों चीजों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेचुरल जस्टिस और जुरिस्प्रुडेन्स (natural justice and Jurisprudence) यह कहता है कि अगर किसी आदमी ने कोई भी अपना राइट किसी दूसरे व्यक्ति को दिया है और उस आपस के कॉन्ट्रेक्ट से अगर तीसरे आदमी के ऊपर कोई असर पड़ता है तो सरकार या कोई इन दोनों पार्टीज़ के पार्टनर्स में से ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे थर्ड पार्टी पर किसी तरह का असर पड़े । यहां पर सरकार, जागीरदार और तीसरे व्यक्ति वे हैं जिनके साथ में किसी तरह

[श्री जवानसिंह]

का कोई कॉन्ट्रेक्ट हुआ है। अभी माननीय राजस्व मन्त्री ने इस बात के समर्थन में यह कहा था कि हम उन कॉन्ट्रेक्ट्स पर किसी तरह का असर नहीं डालना चाहते हैं और इसीलिये हमने इस धारा के हेडिंग में कुछ चेन्ज किया है और धारा को करीबन वैसा का वैसा ही रखा है। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस धारा को किसी कदर रहने दिया जाय और इस बात को हम मानकर चलें कि तीसरे आदमियों के ऊपर कोई ऐसे आपसी कॉन्ट्रेक्ट का कोई असर नहीं होना चाहिए कि उन दोनों पार्टनर्स के आपसी एग्रीमेंट के ऊपर असर डाले। उस चीज़ को मानते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धारा में जिस तरह के वर्डिंग्स हैं वे उस बात की सूचना नहीं देते जिससे आप उस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं।

आपने जो इस पर अपने विचार रखे हैं और खासतौर से मैं जिन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वे बिल्कुल बेतुके और एक दूसरे से कॉंट्राडिक्टिंग (Contradicting) हैं इसका आखिरी पैरा इस प्रकार है :—

"and the Jagir Commissioner is satisfied that such transfer, grant, lease for contract was made, granted or entered into the normal course of management but in anticipation of legislation for the resumption of jagir lands, the Jagir Commissioner may direct that such transfer, grant, lease or contract shall not be recognised for the purpose of assessment of compensation or rehabilitation grant payable to the Jagir under the provisions of this Act."

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर नोर्मल कोर्स में किसी जागीरदार ने कोई कॉन्ट्रेक्ट लिया है तब तो हमें कम से कम उस जगीरदार के बोनाफाइडस में किसी भी तरह की शंका नहीं करना चाहिये। अगर हम नोर्मल कोर्स में इस बात को मान लेते हैं तो इसके बाद में यह सवाल पैदा नहीं होता, इन एन्टीसिपेशन ओफ लेजिस्लेशन (in anticipation of ligislation) का। जागीरी उन्मूलन कानून किस वक्त से आयगा इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कार्य कर लिये जायं, उस कार्य को नहीं मानें; जो जागीरदार ने कार्य किया है बुरी नीयत से किया है इस तरह से ये दोनों चीजें एक दूसरे से खिलाफ हैं। एक बात को जब आप मान लेते हैं कि यह कार्य नोर्मल कोर्स में किया है, जब आप कॉन्ट्रेक्ट को नोर्मल कोर्स में किया मान लेते हैं तो आपको उसके बोनाफाइड में विश्वास है। जब बोनाफाइड में विश्वास हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि लेजिस्लेशन बनाने वाला था इसलिये ऐसा कार्य किया गया। ऐसा कार्य किया बोनाफाइडस को मानते हुए। इसको नोर्मल कोर्स में किया इसलिये दोनों चीजें एक दूसरे से खिलाफ पड़ती हैं।

जो पहली शर्त है, इस क्लॉज़ में नोर्मल कोर्स में कार्य किया, उनको हम मानते हैं। दूसरी चीज है "in anticipation of legislation." जागीरी उन्मूलन का डर था इसलिये उन्होंने यह कार्य किया है, यह नहीं मानना चाहिये क्योंकि यह एक दूसरे के खिलाफ चीज होगी, जिससे शायद बाद में

[श्री जवानसिंह]

न्यायाधीश इसका इस तरह का मतलब निकाल लेगा जिससे इस क्लॉज़ का कोई असर नहीं निकल सकता। हो सकता है कि बाद में न्यायालय इसको अनुचित करार दे। उससे पहले कि न्यायालय इसको अनुचित करार दे दे इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई गलत चीज कानून के जरिये हम पास न कर दें जिसको बाद में गैर कानूनी घोषित कर दिया जावे। इसके साथ-साथ एक चीज और निवेदन कर देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह से जो अधिकार राज्य के अधिकारियों को दिये जाते हैं उन पर मुझे विश्वास नहीं। लेकिन साथ में मैं इस क्लॉज़ में जिस तरह के वर्डिंग्ज़ हैं उनके जरिये क्या असर पड़ सकता है और क्या कठिनाइयाँ पैदा हो सकती है; इन शब्दों की वजह से हो सकती है। इन पर एक-दो शब्द कह देना उचित समझता हूँ। वह यह कि उस अधिकारी के हाथ में इतने बड़े पावर दे रहे हैं कि वे अधिकारी चाहें तो उस कॉन्टाक्ट को मन्जूर करें या असेसमेंट करें और अगर वह नहीं चाहें तो कितना ही बड़ा कॉन्ट्राक्ट क्यों न हो केवल उसकी मरजी पर है; जिस कदर चाहे किसी कॉन्ट्राक्ट को मन्जूर कर सकता है और अगर नहीं चाहता है तो नहीं मन्जूर करेगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखी है और न उसके बाद के आने वाले क्लॉज़ ४८ में इस कदर की किसी तरह की लिमिटेशन रखी है जिसकी वजह से कोई माप-दण्ड निश्चित हो। ऐसा जो कार्य किया गया है वह अनुचित है; या उचित इसका मापदंड करना जरूरी है। इसके लिये कोई न कोई अधिकार होना जरूरी है जिसके जरिये वे तय कर पायें। उसके लिये हमारे यहां रूल्स दिये हुए हैं। अगर ऐसी चीज नहीं हुई, रूल्स नहीं बने, क्लॉज़ में यदि लिमिटेशन नहीं लगाते हैं तो इस तरह की आशंका हो सकती है। वहाँ यह भी हो सकता है कि इस वजह से भ्रष्टाचार भी फैल सकता है। हमने किसी तरह की लिमिटेशन नहीं रखी है इसलिये वे व्यक्ति जिन्होंने अपने कॉन्टाक्ट के सिलसिले में असेसमेन्ट करवाया है, वह अधिकारी अगर इस बात का फैसला करता है तो उनके लिये भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाता है, यह कदापि उचित नहीं होगा। जैसे कि वर्डिंग्ज़ इसमें हैं वे आपस में सेल्फ कॉन्टाडिक्टरी हैं। यह क्लॉज़ बाद में रहे या न रहे, इसमें भी मुझे आशंका है।

दूसरी चीज़ यह है कि अगर इस कानून को इस कदर पास होने दिया तो भी इसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि ४८ वीं सेक्शन में ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिनमें अधिकार निश्चित कर पायेंगे। इसलिये मेरी इन दोनों बातों पर राजस्व मन्त्री विचार करेंगे और सदन से यह निवेदन करूंगा कि वे मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 19:—

"In the proposed section 26A add a new sub-section [2] at the end:

'[2] The Jagir Commissioner may further order that the amount of money recovered by the Jagirdar for any act done under the preceding sub-section shall be deducted from his compensation or rehabilitation grant and such

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

amount shall be returned to the persons from whom it was so illegally recovered."

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपका ध्यान २६ के ए सेक्शन की ओर जो इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है, ए की ओर ध्यान विशेष रूप में दिलाना चाहता हूँ; जिसमें यह लिखा है—

"Where a Jagirder has on or after the first day of January, 1949—

[a] transferred any jagir land by sale or gift or by making a grant, or—..."

इस सिलसिले में विशेषकर उदयपुर में और कई इलाकों में जागीरदारों ने पट्टा करना शुरू कर दिया है, उस पट्टे की रकम वसूल करना शुरू कर दिया है। इस तरह से काफी बड़ी तादाद में पट्टे दिये गए और रकम वसूल की गई। हालाँकि ऐसे पट्टे देने और रकम वसूल करने का कानूनी अधिकार नहीं था और यह भी कहा जा सकता है कि जब उनको मालूम हुआ कि अब तो जागीरी पुनर्ग्रहण का कानून लागू हो जायगा तो ऐसी हालत में जमीन तो उस किसान को मिले जिसने जीवन भर उस पर खेती की। पट्टे देकर लाइसेन्स की फीस में उन भोले-भाले किसानों ने यह समझा कि चलो ५०), १००) रुपये देने से अगर जमीन हमारी हो जाती है तो उन्होंने उनको रुपया दे दिया। अब २६ (ए) के अन्दर एक प्रोवीज़न कर दिया गया है कि अगर ऐसी कहीं ट्रान्सफर्स की गई हैं तो इस बात का ख्याल रखते हुए जागीरी पुनर्ग्रहण कानून बनने वाला है, उसमें शायद उससे कम्पेन्सेशन देते वक्त उसको रिकॉगनाइज़ नहीं किया जायगा, जो आमदनी हुई उसका तखमीना नहीं लगाया जायगा। जब मैंने २४ को डिलीट करने का प्रस्ताव रखा था तब भी मैंने इन बातों का जिक्र किया था कि जिस कानून के अन्दर नहीं था वह कैसे रिकवर कर लिया, वे पैसे वापिस दिलाने के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

एक बार यह तय हो जाता है कि कानूनी अधिकार के बिना पैसे लिए गए और यह भी तय हो जाता है कि ऐसा कार्य किया गया इस इरादे से कि जागीर रिज़म्प्शन का कानून अथवा जागीर के सिलसिले में कोई कानून जो हम पास करेंगे वह जल्दी ही आने वाला है और इस खयाल से जो कुछ भी इस बीच में फायदा उठाया जावे वह उठा लिया जावे। तो इस इरादे से ऐसा जो पैसा वसूल किया जावे उसको वापिस दिलाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये और इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है।

और एक नया सैक्शन अन्त में और जोड़ा जावे जिसमें दर्ज किया जावे कि अगर उपरोक्त किसी बात के आधार पर पैसा वसूल किया है या वसूल करने का हक नहीं था, यह बात तय हो जावे तो इसके बाद में जागीर कमिश्नर को यह अधिकार होना चाहिए कि जिस जिस से इस प्रकार का पैसा वसूल किया गया उसको जागीरदारों को दी जाने वाली रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रकम में से या उनको दिये जाने वाले कम्पेन्सेशन की रकम में से काटकर वापिस उनको दे दिया जावे।

इसमें एक या दो व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है, इसमें हजारों और लाखों व्यक्तियों का प्रश्न है जिन्होंने अनजान में, भूल में या मुगालते में अपने पट्टे इनसे लिए और पट्टे के पैसे दिए। अब जागीरदारी रिजम्प्शन कानून बनने के बाद में वह जो उन्होंने पैसा दिया उसका कानूनी फायदा तो मिलेगा नहीं पर वह उनसे छीना हुआ पैसा उसके पास कायम का कायम रह जावेगा।

इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सदन से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस धारा २६ (ए) में एक हिस्सा और यह जोड़ दिया जावे जिसके मुताबिक ऐसा जो पैसा रिकवर किया गया है, जिसका अधिकार जागीरदार को नहीं था अथवा जो इस इरादे से वसूल किया गया था कि अब तो जागीरें जा रही हैं इसलिए इस बीच जितना पैसा मिल सके वह बटोर लो और जो बोना-फाइड नहीं है ऐसा पैसा वापिस किसानों को बाँट दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब जागीरदारों के ड्यूज़ के बकाया के बारे में माननीय मन्त्री महोदय बोल रहे थे तो वे कह रहे थे कि आखिर सरकार ने कुछ जिम्मा लिया है और इसलिए लिया है कि जागीरें खत्म हो जाने के बाद इन ड्यूज को रिकवर करने में उन्हें कठिनाई आवेगी और ये रिकवरियाँ भी बहुत बड़ी तादाद में हैं और इनमें से कुछ सरकार द्वारा सस्पेन्ड भी की हुई हैं तो इनमें भी कठिनाई आवेगी तो मैं यह भी ध्यान में लाऊं कि उन किसानों की भी रिकवरियाँ हैं, उनके भी ड्यूज़ जागीरदारों में हैं, इनका जिम्मा भी सरकार को लेना चाहिये। इन किसानों को इस प्रकार के पट्टे इश्यू करके कि जिनका कोई कानूनी फायदा उनको नहीं मिला जागीरदारों ने काफी रुपया इकट्ठा किया है, वह भी वापिस दिलाने की जिम्मेदारी कुछ हद तक मिनिस्टरों की भी है, सरकार की भी है, जिसने, चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों न हो, इस प्रकार के कानूनी अधिकार जागीरदारों को देते हुए एक पत्र जारी कर दिया था और इस पत्र ने जागीरदारों को इस बात के लिए इस प्रकार के पट्टे देने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि जिससे एक नहीं, लेकिन सैकड़ों गाँवों में सैकड़ों किसानों से नहीं पर लाखों किसानों से ऐसा पैसा लिया गया। तो सरकार के कार्य की वजह से अगर इस प्रकार का कानूनी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहन मिले तो लगान की पुरानी बकाया रकम है उसका जिम्मा सरकार अपने पर लेती है; तो मैं नहीं समझता कि क्योंकर इस प्रकार की रकम जो किसान से वसूल की गई है उसकी रिकवरी जागीरदारों से करके किसानों को बाँटने का जिम्मा सरकार लेने को तैयार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्टमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भीदास गोयल।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir, I had moved my amendment on Clause 26 of the Principal Act...

एक माननीय सदस्य—You did not move.

श्री मथुरादास माथुर--It is in the List. This was Amendment No. 9 on Section 26 :—

"After sub-section (2) of section 26 of the Principal Act the following sub-section shall be added, namely.—

'(3) The interest payable under this section shall be paid along with the instalments of compensation and rehabilitation grant or with the bonds issued in lieu thereof as the case may be,' "

Because the question of payment of interest will arise and how interest shall be paid is not made clear in the Principal Act, therefore I have made it clear by adding a new sub-section to Section 26 of the Principal Act, and therein I have said that the interest shall be paid with the instalments of compensation and rehabilitation grant or with the bonds issued in lieu thereof, as the case may be. I think my amendment should be inserted at this stage.

I think in typing out, certain mistakes have crept in and so this is coming up. I think my friend on that side will agree to this.—

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Because it is a more reasonable amendment.

श्री मथुरादास माथुर—I think it is in consonance with the Pant Award,

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--It goes further.

श्री उपाध्यक्ष--You are moving an amendment to Section 26, original.

श्री मथुरादास माथुर—Amendment to Section 26 of the Principal Act of 1952 that after sub-section (2) of Section 26——

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, I would like this point to be decided. Of course I am quite prepared to concede this right of my friend, but I think he has moved an amendment to the original section to which no amendment has been proposed in this Bill. If that original has to be granted, then I would like to have a clear-cut ruling from the Chair because my other Hon'ble friends may also like to have the benefit of that. Since no amendment has been proposed to this section in the Amending Bill, I presume ordinarily it should be outside the purview of any member to move an amendment. But if the Hon'ble

Page No.49

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Deputy Speaker would be pleased to permit this I have certainly no objection, and I shall be one with my friend in joining him in moving amendments to other sections also to which no amendments have been moved. I want a ruling on this point.

श्री चन्दनमल वैद—इस बारे में पहले भी रूलिंग दी जा चुकी है।

श्री मथुरादास माथुर—I think, Sir, ordinarily, of course, no amendment can be moved to the original section of the Act to which no amendment has been moved in the Amending Bill. My submission, Sir, in this case is that this is an amendment which makes this matter very clear. I do not think the House will not let it go without making it clear, because complications will arise in the future at a later stage. That is why the amendment has been moved.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is one solution As a special case the House may pass it. It will not be a general proceudre because the rule is all right. But as a special case we can take the sense of the House and the House can agree as a special case.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Nothing like this exists under our Rules of Procedure. There is a provision already in vogue and unless a motion is made to keep that rule in suspension or for an amendment of that rule, it is not open to this House to take a decision as if it is going to be a routine matter. I, therefore, submit, Sir, that I have certainly no objection if the Hon'ble Member is allowed to move it. I only wish that a ruling should be given once for all so that the Hon'ble members on various occasions may take benefit of it.

श्री मथुरादास माथुर—I would not like to create a bad precedent. For this time, it may be only once, in a single instance for me, but for my Hon'ble friend from Jodhpur it may be one hundred times that he may move amendments. I would, therefore, not like to creat a bad precedent.

श्री श्रीदास गोयल—There is an amendment to Clause 19 of the Amending Bill and it is ...

(सदन में परस्पर वार्ता)

क्लॉज़ १९ में जो २६ ए को एड किये जाने के लिए प्रोवीजन रखा गया है उसकी (बी) क्लॉज़ में —

[श्री श्रीदास गोयल]

"granted a lease of his jagir land or any part thereof for any non-agricultural purpose for a period of three years or more, or" इसमें "For a period of three years or more" जो वर्ड्स हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ।

(सी) क्लॉज़ के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ जैसा कि वह इस प्रकार है—

"granted a lease or entered into a contract relating to any forest in his jagir land for a period of three years or more."

कि इस (सी) क्लॉज़ में "Three years or more" शब्द फोरेस्ट के मुतल्लिक है। इन वर्ड्स को डिलीट करना चाहता हूँ। यह अलग से एक प्रेक्टिकल एक्सपीरीयन्स की बात है कि जहाँ तक जंगलों के ठेके का सवाल है बड़े-बड़े जंगलों को ६ महीने में काटकर साफ किया जा सकता है और कई लाखों रुपये के जंगल इस तरह से काटे गये हैं। एक-एक साल में कई गुना काउन्ट हुआ है और तीन साल का पीरियड रख दिया गया है तो एक बहुत बड़ी रकम कायम हो जायगी जिसका कि पेमेन्ट करना मुश्किल हो जायगा और वह २० साल के एवरेज में काउन्ट किया जायगा। तीन वर्ष से यह नया प्रोवीज़न होने का सिलसिला चला तो उस वक्त से बहुत से जंगल काट दिये गये हैं। हरे वृक्ष नहीं कटवाने के बारे में कानून था लेकिन उसमें एस० डी० ओज़० को अनलिमिटेड पॉवर्स थीं और उन पावर्स का उपयोग बहुत से जंगल कटाने में हुआ। ऐसे बहुत से जिले हैं; जैसे सवाई माधोपुर, अलवर इत्यादि और आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं। ऐसी स्थिति में इस दृष्टि से कि उनको ऑनरेबल रिलीफ मिले सब को और पब्लिक मनी पर बहुत बड़ी माँग न रहे, इसलिए इन तीन वर्षों के समय को डिलीट कराने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। this should be read as under:

"granted a lease or entered into a contract relating to any forest in his jagir land."

That is all, and;

The last word 'or' should continue.

I have spoken for (c) only and not for (a) or [b].

एक माननीय सदस्य—आपने तो पहले (बी) के लिए कह दिया था।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, मेरे मित्र माननीय श्री जवानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में २-४ शब्द कहना चाहता हूँ।

मेरे माननीय मित्र श्री जवानसिंहजी ने सेक्शन २६ अ में अपना संशोधन रखा है। उस संशोधन का तात्पर्य यह है कि जैसा कि यह सेक्शन है उसके अन्दर जागीर कमिश्नर के लिए कोई

[श्री अबनिकुमार मुकर्जी]

लिमिटेशन नहीं रखा गया है। इस क्राइटेरिया को सामने रखकर कि इस बात को तय करेंगे कि यह लीज़ जो कुछ भी दिया गया है यह मेलाफाइड तरीके से दिया गया है। इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि रूल्स के अन्दर इस बात को प्रोवाइड कर देना चाहिए, प्रिन्सिपल्स क्लीयरली ले डाउन (clearly lay down) कर देने चाहिए जिसके आधार पर जागीर कमिश्नर यह फैसला दे कि यह लैंड जो कुछ दिया गया है वह मेलाफाइड तरीके से दिया गया है।

दूसरी बात मैं जो राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि अपील के सेक्शन को देखते हैं, प्रिन्सिपल एक्ट को जब देखते हैं, इसके अन्दर जब आप देखेंगे तो उसके अन्दर कहीं नजर नहीं आता कि क्लॉज़ २६ को अपीलेबल रखा गया है या नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस एमेंडमेंट में प्रिन्सिपल ले डाउन नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। रूल्स के अन्दर इन प्रिन्सिपल्स को क्लियरली ले डाउन कर देना चाहिए। उसके आधार पर जागीर कमिश्नर यह तय करेगा कि यह लीज़ या कॉन्ट्रेक्ट मेलाफाइड तरीके से नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि अपील का सेक्शन प्रिन्सिपल एक्ट में क्लॉज़ २३ का सेक्शन है। उसमें सेक्शन २६ ए को भी अपीलेबल कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह करना अत्यावश्यक है।

उसके आधार पर श्री व्यासजी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ। उन्होंने जो संशोधन रखा है वह न तो प्रेक्टिकल है और न उसको कानूनी रूप दिया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल की प्रगति कुछ धीमी हो गई है इसलिए ज्यादा वादविवाद में पड़कर तथा और समय लगाना उपयुक्त नहीं समझूँगा। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक माननीय मित्र ने जो यह कहा कि इस धारा को बिल्कुल हटा दिया जाय, वह मैं समझता हूँ कि जो पहली धारा २४ मूल एक्ट में है उसको हटाने के बाद यह बड़ा आवश्यक हो जाता है कि अगर मेलाफाइड कॉन्ट्राक्ट हुआ है उसको कम्पेन्सेशन के कन्सीडरेशन में नहीं लिया जाय, लेकिन इस पर गलत तरीके से अमल होगा, भ्रष्टाचार का द्वार खुल जायगा, यह समझने की आवश्यकता नहीं। यह कहा गया है कि निश्चित तौर पर प्रिन्सिपल्स हों, गाइडिंग प्रिन्सीपल्स हों जिसके आधार पर उन चीजों को सोचा जाय और वह आधार इस प्रकार से रख दें। आज वह डाइरेक्शन रख दें तो दूसरों के प्रति अन्याय होगा और उचित नहीं होगा। इसलिए उसको ऐसा रखा गया है।

उसके अन्त में श्री श्रीदासजी गोयल ने जो यह कहा है कि तीन साल का पीरियड नहीं हो, मैं समझता हूँ, वह ठीक बात है। तीन साल के पीरियड से कम के बीच के कान्ट्रेक्ट्स गलत मालूम होते हैं। वह केवल फोरेस्ट के लिए है। उस धारा को स्वीकार करने में मुझे एतराज नहीं है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

माननीय श्री एच० के० व्यास से मैं भूल नहीं खा सकता हूँ। वे खुद जानते हैं कि जो वे अमेंडमेंट रखते हैं वे स्वीकार करने में आसान नहीं होते हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा; इस बात को वे जानते हैं। इसलिए मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। केवल एक एमेंडमेंट स्वीकार करता हूँ।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सेक्शन २६ ए के तहत जो रूल्स बनाये जायेंगे उनमें वे प्रिन्सिपल्स ले डाउन (lay down) करेंगे या नहीं ? तो किस आधार पर डिटर्मिनेशन किया जायेगा कि लीज़ मेलाफाइड तरीके से या कान्ट्रेक्ट मेलाफाइड तरीके से दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि सारे डिटेल्स में क्या-क्या रखे जाँय। मेलाफाइड और बोनाफाइड वेलनोन (wellknown) सा है और उसी को डिसाइड किया जायगा और जो मेलाफाइड होगा उसको स्वीकार नहीं किया जायगा।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—दूसरी बात मेरी यह है कि इस क्लॉज़ २६ ए के प्रोवीज़न्स को एपीलेबल कर दिया जाय। उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अभी जैसा है उसके अन्दर यह सेक्शन अपीलेबल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि उसके आगे क्या हो। जागीर कमिश्नर को ऑथोरिटी रखा है। कोई नीचे के अधिकारियों के राइट्स नहीं हैं। जागीर कमिश्नर के लेवल पर डिसीज़न होने के अन्दर ज्यादा सहूलित है। दोनों तरफ की सहूलियत होगी और फैसला जल्दी होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि फैसला नहीं किया है। इसलिए जल्दी फैसला करने में सिर्फ उनको ही राइट्स हों। नीचे के तहसीलदार या एस० डी० ओ० को फैसला करने के अधिकार नहीं हैं।

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि कोई डिसीज़न लिया जाय मैं एक-दो शब्द खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि नोर्मल कोर्स में कोई चीज मन्जूर करते हैं तो उसके मेलाफाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यह शब्द आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखकर या तो नोर्मल कोर्स वाली चीज को हटा दें या रिलीफ वाली चीज हटा दें, तो वह ज्यादा उपयुक्त होता, क्योंकि इस कानून के तहत जितने भी फैसले या हुक्म होंगे वह उन लोगों के लिये सिविल कोर्ट्स में जाने का द्वार बन्द करता है। इस चीज को हम नहीं मान सकते हैं। सरकार ने एक ऊँचे अधिकारी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है तो हम नहीं मान सकते हैं कि वह गलती नहीं कर सकता है। वह गलती कर सकता है, चाहे कितना ही ऊँचा अधिकारी क्यों न हो ? और यदि इस गलती को सुधारने के लिये आपने कोई दूसरा तरीका नहीं रखा है तो हमें ख्याल होता है कि यह न्यायोचित बात नहीं है। या तो दूसरा तरीका यह रखिये कि सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर यह करार दिला सकें कि आया जो हुक्म दिया गया है वह वाजिब है या नहीं, कानून की तहत में है या नहीं या दूसरा

[श्री जवानसिंह]

तरीका यह हो सकता है कि आप अपील की गुन्जाइश रखिये। जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है उसको मान लीजिये ताकि सरकार जनता के सामने यह कह सके कि हम किसी एक व्यक्ति के फैसले के ऊपर ही आधारित नहीं हैं। वह अफसर गलती नहीं करेंगे, वैसा तो हमारे माननीय साम्यवादी मित्र जिस देश से इस चीज को ला रहे हैं उस देश में भी नहीं है। प्रिन्सिपल से हम दूर होते जा रहे हैं। जिन सिद्धान्तों को हम मान रहे हैं उसमें अपील का एक बहुत बड़ा हक माना है। इसलिये उन आदमियों को जिन्हें कि ऐतराज है अधिकारी के हुक्म पर उनको मौका दीजिये कि वे अपील कर सकें और सिविल कोर्ट से फैसला करा सकें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो सभी मित्र मानते हैं और माननीय राजस्व मन्त्रीजी भी मानते हैं कि यदि ऐसा कोई कार्य मालप्रेक्टिस (mal-practice) का होगा तब यह सेक्शन लागू होगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मेद नहीं थी कि मालप्रेक्टिस के कार्य के लिये धारा बनाते समय मेरे जो अमेंडमेन्ट्स हैं उन पर मालप्रेक्टिस से विचार होना शुरू हो जायगा और इस वजह से वह स्वीकार नहीं होगा। हालाँकि मुझे यह उम्मीद कभी नहीं थी कि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार किया जायगा और न अब इस प्रकार की उम्मीद रखने के कोई आधार ही नजर आते हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करने के पीछे नियोजित भावना नहीं है। इतना कुबूल करलें तो मैं अपना अमेंडमेंट शायद वापिस लेने को तैयार हूँ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हम मंजूर करलें तो क्या काम चल जायगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने माना कि मालप्रेक्टिस का एक्शन हुआ तो हरजाना देते समय इसके आमदनी का ख्याल नहीं रखेंगे, जो आमदनी हुई वह तो बच गई। एक्शन मालप्रेक्टिस का जरूर हुआ, आमदनी बच गई; यदि यह बात है तो मैं यह अमेंडमेंट विदड्रा करता हूँ, बशर्ते कि किसानों वाले सेक्शन को मन्त्रीजी विदड्रा करें। सन्तोषभाव से आपने कही होगी एरियर वाली बात को। आपने क्लॉज़ बढ़ाया और उसके बाद पता चला कि मालप्रेक्टिस का एक्शन नहीं हुआ, आमदनी हुई। किसानों के एक-एक परिवार से १००), १००) या ५०), ५०) रुपयों की आमदनी हो रही है और यह उस इलाके से ताल्लुक रखता है कि जिस इलाके का सम्बन्ध राजस्व मन्त्रीजी का है। उस इलाके के किसानों को क्या जवाब देंगे वह और उनके साथी। मैं कहता हूँ कि इस पर भी माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कुछ नहीं कहा। समय बचाने की दृष्टि से कुछ नहीं कहा हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इसलिये नहीं कहा कि ढोल के अन्दर पोल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्टेट्स मिनिस्ट्री ने एक समय पत्र द्वारा इस प्रकार का आदेश दिया था या नहीं ? क्या उस पत्र से लोगों का हौसला बढ़ा था या नहीं ? क्या स्टेट्स मिनिस्ट्री की इस कार्य में जिम्मेदारी नहीं है ? गैर कानूनी कार्य करने का मौका दिया। स्टेट्स मिनिस्ट्री के पत्र का हवाला देकर इस तरह का कार्य क्यों किया, यह न

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिर्फ श्राम उसूल की बात है बल्कि धोखा दिया। इस पर राजस्व मन्त्रीजी यह कह कर टाल जायं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मानूँगा नहीं; मानना न मानना यह तबियत की बात है, जबर्दस्ती नहीं है। जिस कार्य के लिये सरकार जिम्मेदार है, जिसने मालप्रेक्टिस माना है, किसानों की लूट हुई है, एक-एक परिवार से ५०), ५०) या १००), १००) रुपये लिये गये हैं; उस कार्य के लिये कानून बनाते समय राजस्थान की सरकार के सामने केवल एक वर्ग का ही हित हो श्रौर उसी वर्ग के हित के दृष्टि-कोण को लेकर कार्य करते हों तो उसे उचित नहीं माना जा सकता। इसलिये मैं दर्ख्वास्त करूँगा कि कम से कम शर्म बचाने के लिये तो श्राप अपने फर्ज को श्रदा करो। मैं मेरे श्रमेंडमेंट पर मत चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(श्रस्वीकृत)

संशोधन श्रस्वीकृत हुश्रा।

(विराम)

दूसरा संशोधन श्री एच० के० व्यास का है। प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(श्रस्वीकृत)

संशोधन श्रस्वीकार किया गया।

(विराम)

तीसरा संशोधन श्री श्रीदास गोयल का है श्रौर उसको मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है। क्या यह सदन को स्वीकृत है ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर—मैं श्रपना श्रमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की श्राज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर—मैं श्रपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

Clause 19, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 20, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, आज प्रातःकाल ऐसा हुक्म हुआ था कि आज जल्दी ही चले जायेंगे क्योंकि शाम को वापिस मिलना है, इसलिये अब हाउस को एडजोर्न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—कुछ समय तक और काम करलें।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल एक्ट की धारा २७ में मैंने एक-दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। पहला संशोधन इस प्रकार है :

"In the propose section 27 (i) of the amending Bill 1954, after the words, 'under any existing law' the words 'usage or Custom or practice' be added."

दूसरा मेरा संशोधन है इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (२), में जो इस प्रकार है :

"Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Government may, in the case of the widow......"

यहां पर 'may' शब्द के बजाय "shall" शब्द लगाने के लिये निवेदन किया है। इसके आगे :

"... ......in the case of widow who is entitled to such maintenance allowance, continue to pay to her........the whole or any part of......"

'or any part' को डिलीट करने के लिये संशोधन है। इसके बाद में पूरा क्लॉज इस प्रकार पढ़ा जायगा :

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government shall, in the case of a widow who is entitled to such maintenance allowance, continue to pay to her out of the Consolidated Fund of the State the whole of the maintenance allowance during her life time........".

[श्री जवानसिंह]

ये तीन अमेंडमेंट्स मैंने प्रस्तुत किये हैं। इनके अलावा एक अमेंडमेंट मैंने और प्रस्तुत किया था लेकिन उसको मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इन तीनों संशोधनों को प्रस्तुत करने का मेरा मकसद यह है कि उन जागीरदारों का जिनका भविष्य आप कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन से कर रहे हैं उनके साथ में दूसरे उनके सहारे पर पलने वाले आज कितने ही व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का पालन-पोषण भी आप उनके सहारे ही करेंगे। अगर उन आदमियों को आपने छोड़ दिया जो जागीरदारों के भरोसे पर पल रहे हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता जागीरदारों से मिलती रही है, उनको अगर आपने छोड़ दिया तो उनके जीवन-निर्वाह का कोई जरिया बाकी नहीं रहेगा। इसलिये मैंने इस क्लॉज़ में इस तौर से निवेदन किया है कि जहां जो लॉ (law) है, जहां पर जैसा रीति-रिवाज है, जिनके अनुसार किसी तरह की रकम जागीरदार से कोई आदमी पाता रहा है और उस रकम से पलता रहा है, वह सहायता उन लोगों को मिले, जब तक कि जागीरदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलती रहे तब तक उसमें से कुछ हिस्सा उनको भी दिया जाय ताकि वह अब तक पलते रहे हैं, केवल जागीरदारों के भरोसे बस नहीं सके हैं उनको भी अपने में सहायता मिल सके। इसमें मैं यह निवेदन करूँगा कि सरकार को किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनको कुछ विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन, जो रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट की रकम मिलेगी उसी रकम में से उन लोगों का प्रबन्ध करना है जो आज तक जागीरदारों से पलते रहे हैं। हो सकता है कि जागीरदारों पर इसका उल्टा असर पड़े परन्तु जब जागीरदारों का सवाल कर रहे हैं तो उन आदमियों का भी ख्याल करना चाहिये जो कि आज तक जागीरदारों के भरोसे पर ही रहे हैं और जिनके पास जीवन-निर्वाह का और कोई साधन नहीं है। अगर इस तरफ दृष्टि रखेंगे तो उस समस्या को सुलझा सकेंगे और अनएम्प्लोयमेंट को घटायेंगे ही नहीं, बल्कि बढ़ायेंगे।

इसके अलावा जो दूसरा संशोधन रखा है वह विधवाओं के अलाउन्स के बारे में है कि उनको जो रिहेबिलिटेशन एलाउन्स और कम्पेन्सेशन अलाउन्स देने जा रहे हैं उसकी मयाद खत्म हो जाने के बाद में कितनी सहायता मिलनी चाहिये? इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करने जा रहे हैं जिनका दुनियां में कोई सहारा नहीं है। उनको मैंन्टेनेन्स इसलिये दिया जा रहा है कि उनके दूसरा कोई सहारा नहीं है। आपने जो यह क्लॉज़ रखा है इसके लिये मैं आपकी सराहना करता हूँ। जागीरदारों के साथ-साथ आपने उनको १५ वर्ष तक निर्वाह करने का सहारा दिया है, इससे आगे भी सहारा देने की बात सोचें। जिनके कोई सहारा नहीं, मैं उन बुढ़ियाओं की आपके सामने दास्तान रखना चाहता हूँ जो ५०–६० साल से ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, कोई धन्धा नहीं कर सकतीं, दूसरा कोई सहारा नहीं, इस सहायता के ऊपर जो जीवन-निर्वाह कर रही हैं। आज से १५ साल बाद में हो सकता है कि उनमें से बहुत सी स्वर्ग पहुँच जायं। उससे पहले कि स्वर्ग पहुँचे, उन्हें कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन एलाउन्स दिया जायगा, परन्तु इसकी मयाद के खत्म हो जाने के बाद भी उन विधवाओं में से जीवित रह सकती हैं जो उस कम्पेन्सेशन के पीरियड के बाद न बच सकें और न कमा सकें। तो इसमें जो आपने 'may' शब्द रखा है इसका मतलब यह है कि उस अधिकारी की इच्छा होगी तो उन्हें आगे भी मेंटेनेन्स देगा।

[श्री जवानसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, उनके जीवन-निर्वाह का काम किसी की मर्जी के ऊपर निर्भर रहे, इसे मैं नहीं मानूँगा और न इस सदन का कोई सदस्य ही मानेगा। उनको जीने का हक है, उन्हें जीना है और मैन्टेनेन्स के अलावा उनके लिए और कोई भी जीवन-निर्वाह का सहारा नहीं है, ऐसी सूरत में आप अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर रखें कि आपकी इच्छा हो तो उसे मैन्टेनेन्स एलाउन्स दें और अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप उनको मैन्टेनेन्स एलाउन्स नहीं दें, इस बात को कोई नहीं मानेगा। मैं उन व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ जिनके बारे में शायद आप तय कर दें कि उनको मैन्टेनेन्स अलाउन्स नहीं दिया जायगा। क्या इस पीरियड के खत्म हो जाने के बाद में आप यह मान लेते हैं कि वे जिन्दा नहीं रहेंगी? यह तो किसी के हाथ की बात नहीं कि आपने मैन्टेनेन्स अलाउन्स खत्म कर दिया है इसलिये जिन्दा नहीं रहेंगी। तो आप इसको मानते हैं कि वे जिन्दा रहेंगी और आपको मैन्टेनेन्स अलाउन्स देना है तो 'may' शब्द यहाँ ठीक नहीं। उस मैन्टेनेन्स अलाउन्स का कोई हिस्सा तो सार्थक हो जिससे कि उनका जीवन-निर्वाह हो सके। यदि आप किसी की दुआ नहीं ले सकें तो कम से कम उन विधवाओं की तो दुआ लें ताकि उनकी दुआ से ही सरकार कोई न कोई भला काम कर सके। इसलिये आप यह सुअवसर लीजिये कि उनका भविष्य में भी मैन्टेनेन्स अलाउन्स कायम रहे ताकि वे तो कम से कम आपको आशीष दें, आप और किन्ही की आशीष से नहीं तो कम से कम उनकी आशीष से तो कोई भला काम करें।

इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वे मेरे इन तीनों ही संशोधनों को स्वीकार कर लें।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 20 :—

"(a) Insert the words "or a person who is physically unfit" between the words 'widow' and 'who' occurring in the second line in the proposed sub-section (2);

(b) Delete the words 'or any part' occurring in the 4th & fifth line of the proposed sub-section."

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के द्वारा सरकार ने एक ऐसी उदारता बताई है जिसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। आज जब जागीरी प्रथा समाप्ति हो रही है उस वक्त सरकार के सामने यह प्रश्न अपने आप आ जाता है कि जो लोग जागीरों के पूर्ण आश्रित हैं और इस प्रकार से आश्रित थे कि उस जागीर के अलावा कोई दूसरा जीवन-निर्वाह का साधन नहीं है। उन लोगों के प्रति सरकार का क्या उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को निबाहने के लिये सरकार ने यह क्लॉज़ रखा है जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है।

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

लेकिन इस उदारता के साथ ही साथ सरकार इसमें से खास चीज को छोड़ देती है। जिन कारणों से एक स्थान पर सरकार अपनी उदारता प्रदर्शित करती है वही सरकार दूसरी जगह इस क्लॉज़ को रख कर उनका अहित करती है। इस क्लाज़ के रखने से उन लोगों के साथ अन्याय हो जायेंगे। जो अपंग हैं, किसी काम करने के अयोग्य हैं और इस कारण किसी भी तरह से अपना जीवन का पालन-पोषण नहीं कर सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार ने विधवाओं के लिये जो क्लॉज़ रखा है वह आवश्यक है। उनको मेन्टीनेन्स एलाउन्स मिलता था और मिल रहा है। उनको जागीरें जब्त करने पर और जागीरदारों को कम्पेन्सेशन की मियाद खत्म होने पर भी मेन्टीनेन्स एलाउन्स देना माना है। वह एलाउन्स सरकार के कन्सोलीडेटेड फन्ड से मिलेगा। जितनी जिम्मेदारी सरकार की विधवाओं के साथ है उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी सरकार की है जो बिल्कुल अनफिट फिजिकली और मेन्टली है (physically and mentally unfit) है। सरकार को उनकी तरफ भी विचार करना होगा। ऐसे कई लोग हैं जो जागीरदारों द्वारा प्राप्त मेन्टीनेन्स एलाउन्स को अपने जीवन-निर्वाह का साधन बनाये बैठे हैं। यदि उन लोगों को कोई एलाउन्स नहीं दिया तो उनके सामने सिवाय मरने के कोई चारा नहीं होगा। जागीरदारों को कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट जिस समय बन्द हो जावेगी उस समय जागीरदार तो यह कह कर छूट जावेंगे और अपना छुटकारा ले लेंगे कि उनको खुद को अब कुछ नहीं मिल रहा है और ऐसी सूरत में वे किसी तरह की सहायता उनको नहीं दे सकते। आपने उन पर किसी प्रकार का कानून के रूप में या व्यवहार के रूप में या किसी दूसरे प्रकार का प्रतिबन्ध तो नहीं डाला है कि जागीरदारों को उनको एलाउन्स देना ही होगा। तो ऐसी सूरत में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि जिनके पास कोई साधन नहीं हों उनको साधन दिये जावें। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि विधवाओं के साथ सरकार ने जो उदारता बताई है उसी प्रकार की उदारता उन लोगों के साथ भी दिखाई जानी चाहिये जो जागीरदारों के मेन्टीनेन्स एलाउन्स पर आश्रित थे। मैं तो यह कहूँगा कि उनको सरकार की तरफ से अवश्य मदद मिलनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि जागीरदारों के एलाउन्स पर निर्भर रहने वाले अपंगों को को कुछ सहूलियतें देने का जिम्मा जागीरदार पर डाले और अगर सरकार चाहे तो जागीरदार के मुआवजे में से कुछ काट कर उनको दे या पूरा का पूरा खुद दे या जागीरदारों से दिलावे। इसमें मेरा यह संशोधन है कि जब सरकार ने पुराने रिवाज और कानून के अनुसार यह उदारता दिखाई है तो इसके बाद सरकार को यह मान लेना चाहिये कि विशेष परिस्थितियों के कारण मेन्टीनेन्स एलाउन्स पर्याप्त कर दिया है। जब सरकार सारी चीजों पर गौर करके न्याय करेगी तो स्पष्ट हो जावेगा कि इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार यह निश्चय करेगी कि कितनी रकम किसको मेन्टीनेन्स के लिये रखनी चाहिये और कितनी रकम से वह अपना गुजारा चला सकता है। इसके बारे में जब वह विचार कर लेगी तो सरकार और जागीरदारों के लिये किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। जब जागीरदारों का कम्पेन्शेसन बन्द हो जावेगा तो वह रकम जो सरकार मुकर्रर करेगी उसको देना सरकार का जिम्मा होगा जो सरकार ने जागीरदारों के कम्पेन्सेशन कायम करते समय मेन्टीनेन्स एलाउन्स रखा है। वह उसी कायदे-कानून के अनुसार

[श्री भैरूँसिंह (१६)]

विधवाओं और अपंगों को मिलता रहेगा । इसलिये मेरा यह संशोधन है । मैं माननीय मन्त्री से या उनकी एवज में यहां पर जो जवाब देंगे उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बिलकुल ठीक है और इससे अपंगो को सहायता मिलेगी, इसलिये उसको मंजूर किया जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, उधर तो केबिनेट का कोई भी मेम्बर आगे की बेंचों पर नहीं है जो सुन कर मुझे उत्तर दे सकें ।

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)--आपको जवाब मिल जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सुनने वाला ही नहीं है तो फिर जवाब कैसे दिया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद--मैं सुन रहा हूँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप केबिनेट के सदस्य नहीं हैं । डिप्टी मिनिस्टर को केबिनेट में बैठने और वोट देने का अधिकार नहीं है । माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस सम्बन्ध में कुछ आदेश फरमावें । हाउस ऑफ दी पीपल्स में भी ऐसा आदेश है कि कम से कम केबिनेट का एक मेम्बर तो उपस्थित रहना ही चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष, आपकी इसमें क्या आज्ञा है ?

श्री उपाध्यक्ष—Carry on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं ऐसा मानकर कि मिनिस्टरों के न होते हुए भी सदन के ज्यादा जिम्मेदार सदस्य और उपाध्यक्ष सुन रहे हैं इस तसल्ली से अर्ज कर रहा हूँ ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह सेक्शन दरअसल एक ऐसा सेक्शन है कि जिसके बारे में हमें सही और ठीक विचार करना चाहिए और कुछ हद तक मेरे माननीय मित्र श्री जवानसिंह और श्री भैरूँसिंहजी ने इस धारा के अंश को बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए हैं; और मैं तो यह कहूँगा कि वे भी तथ्यपूर्ण हैं और वे बढ़ाये जाने चाहिए, लेकिन बशर्ते कि मेरा एमेंडमेंट भी मान लिया जावे । मेरा एमेंडमेंट यह है कि सरकार को जरूर देना चाहिए; बुढ़ियाएं हैं, विधवाएं हैं और अपंग हैं, जिनका जीवन का एक मात्र सहारा जागीरदारों पर मुनस्सर है; सरकार जागीरदारी प्रथा खत्म कर रही है तो फिर उनका आगे क्या होने वाला है, भविष्य में उनके बारे में कोई जवाबदार नहीं हो, यह बात तो कोई कह नहीं सकते हैं । मैं यह कहूँगा कि उन लोगों को जरूर मेन्टीनेन्स दिया जाना चाहिये, उनको खानगी मिलनी चाहिये । जो रियायतें उनको आज मिलती हैं वे दी जानी चाहिए । मैं तो कहूँगा कि पार्ट (part) तो क्या फुल (full) दी जानी चाहिये । इसमें आखिरी शब्द हैं "even after the full compensation and rehabilitation grant payable under this Act have been paid to the Jagirdar" हटा कर जोड़ा जावे "and the commuted value

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

of such maintenance allowance shall be deducted out of the compensation and rehabilitation grant."

तो दरअसल हम जिन लोगों के भविष्य के बारे में इतने चिन्तित हैं और होने भी चाहिए उनके भविष्य में एक निर्णायक कदम लेना चाहिये और इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ से अंग्रेज अधिकारी और आई. सी. एस. जो थे, जब भारत आजाद हुआ १९४७, में जब राज्य का ढाँचा बदला तब कई लोगों को आपने कहा कि अब आप अपनी तशरीफ ले जावें तो अच्छा हैं, अब आप की जरूरत नहीं है, आप पधारें। उस वक्त यह सवाल आया कि उनके पेन्शन के जो हक थे उनका क्या किया जावे। तो सरकार ने उनकी पेन्शन आदि के लिए कमेटी स्टलिंग एक्सचेन्ज से बात की और उनसे मामला बिठा लिया कि वे वहाँ से रुपया ले लें। इस तरह से व्यवहार का तसफिया हो गया। आजीवन उनको पेन्शन देने का जिम्मा ब्रिटिश की हुकूमत का हो जाता है, कॉम्युटेड वेल्यु का जिम्मा भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। अब उसी प्रकार आप जागीरदारों की संस्था को वाइन्ड अप (wind up) कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि जो लोग उनके आश्रित हैं और जिनके लिए जागीरदारों के आमदनी के आसरे के सिवाय कोई दूसरा चारा ही नहीं उनकी क्लेम फर्स्ट आनी चाहिये और इस संस्था को वाइन्ड अप करने के लिए जो रकम सरकार दे रही है उसकी कॉम्युटेड वेल्यु इसमें से बाद दे दी जानी चाहिये।

मेरा खयाल है कि इस धारा के एक्स्टेन्शन के सिलसिले में, इसके स्कोप को बढ़ाने के सिलसिले में हमारा सुझाव है। उसके साथ-साथ मेरे मित्र जवानसिंहजी इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो तत्काल और तुरन्त यह हल हो सकता है और ऐसी हालत में बल के साथ कह सकता हूँ कि इस स्कोप को बढ़ाया जाय, फुल (full) दिया जाय जितना दे सके उतना उनको दिया जाय। संस्था को खजाने में जो मिल रहा है उस खजाने में से कॉम्युटेड वेल्यू निकाल दी जाय। वे चाहे मानें या न मानें; हालांकि माननीय मन्त्री इस समय नहीं बैठे हैं किन्तु उनके सहयोगी बैठे हैं जो उनको सूचना दे सकते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि कन्सोलिडेटेड फन्ड पर बोझा डालने के पहले, आर्थिक मदों पर, जो कि वर्षों तक रहने वाली हैं, बोझा डालने के बजाय उसका एक उसूल जरूर कायम कर दीजिये और वह यह होना चाहिए कि उसकी कॉम्युटेड वेल्यू निकाल दी जाय और इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

(श्री भैरोंसिंह ने इस अमेंडमेंट के पक्ष में स्वीकृति सिर हिला कर दी)

मेरे माननीय मित्र श्री भैरोंसिंहजी ने इसको स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार इसको ताकत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और बल मिलेगा। मैं माननीय मित्रों को कहूँगा कि न्याय की यही बात हो सकती है। अतः इन शब्दों के साथ मैं अमेंडमेंट को मूव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Deputy Speaker, Sir. I move a simple amendment to Clause 20, sub-clause (2) :—

"In clause 20, sub-clause (2) of the Amendment Bill, the words and figures 'of section 27 of the Principal Act' occurring after the words and figures 'after sub-section (I)' shall be omitted."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस तरमीम के बारे में जो कि बहुत टेक्निकल है विशेष न कह कर दो-तीन बातें आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा और वे यह हैं कि जो तरमीमें यहाँ पर पेश हुई हैं और जो तरमीम खास तौर पर श्री जवानसिंहजी ने रखी हैं वह है कि "custom, usage or Practice." एग्जिस्टिंग जागीर लॉ की परिभाषा सन् ५२ के एक्ट में जो दी हुई है, आप उसको पढ़ लें और उससे आपका मतलब हल हो जायगा। उसमें रूल्स, रेग्युलेशन्स, कस्टम्स, युसेज इत्यादि सब आ जाते हैं। इसमें तरमीम रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक श्री भैरोंसिंहजी ने तरमीम रखी है वह यह है कि जो फिज़िकली अनफिट आदमी हों उनके लिए कुछ करना चाहिये। जहाँ तक १५ साल का मामला है जागीरदार देगा। १५ साल के बाद यदि फिज़िकली अनफिट हों तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन रखना मुनासिब नहीं होगा। श्री एच० के० व्यास ने यह अमेंडमेंट रखा है कि विडोज़ को १५ साल के बाद भी मेंटेन करने के लिए स्टेट फन्ड से नहीं दिया जाय। इसमें हमारे यहाँ की सरकमस्टान्सेज़, यहाँ के वातावरण को देखते हुए हमें आपत्ति है और यह उचित नहीं। मुझे उम्मीद है कि तीनों तरमीम की गई हैं उनको मेरे भाई शीघ्र ही वापिस ले लेंगे और जो मौजूदा क्लॉज़ है वह स्पष्ट है, उसको पास करेंगे।

एक माननीय सदस्य—क्या यह गवर्नमेंट रिप्लाई हुआ।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय उपाध्यक्ष......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, only the Member in-charge of the Bill has got the right of reply, and according to the rules of procedure

Page No.62

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

the Member in-charge of the Bill has been defined as a Minister. I think the Hon'ble Member does not come into the category of the Member in-charge. Therefore, I object to his reply as Member in-charge of the Bill.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—I think some Minister should reply as the words stand in the Rules. and not the Deputy Minister.

(विपक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री चन्दनमल वैद—(श्री एच० के० व्यास से) Thank you very much for your kind advice.

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर—Now the reply can be postponed. Reply is not necessary. In any case, it should be postponed.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Let the mover of the amendment have the right of reply, if he wants.

श्री मथुरादास माथुर—How can he reply ? Supposing the Minister does not exercise his right. Nobody can force him to reply. His absence has to be considered as if he does not want to reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If the Minister in-charge of the Bill likes to say, let him say.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Let it be voted.

श्री उपाध्यक्ष—The position is......

श्री हरिकृष्ण व्यास—He also cannot say because he is not a Minister.

श्री मथुरादास माथुर—If the Minister in-charge goes out, let it be considered that he dors not want to reply:

श्री हरिकृष्ण व्यास—Who can say so in his absence ?

श्री मथुरादास माथुर—By his absence. If he is not present in the House it means that he does not want to reply,

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Let the question be put to vote.

श्री उपाध्यक्ष—समय हो गया है और मैं अब हाउस को एडजॉर्न करता हूँ। शाम को पाँच बजे फिर सेशन होगा। We will meet at 5 P. M.

(सदन की बैठक ११ बज कर २७ मिनट मध्यान्हपूर्व पर, आज दिनांक ७.६.५४ के ५ बजे मध्यान्होत्तर तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—७ जून, १९५४

मन्नसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

राजस्थान विधान सभा

३८ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–७ जून, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ५ बज कर ८ मिनट

(मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(सायंकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न संख्या १०३१

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३२

श्री महादेव प्रसाद—(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १०३३

बांसवाड़ा जिले से १९५०-५१ में तिल्ली का निर्यात तथा इस संबन्ध में मुकदमें

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या मन्त्री, कस्टम व आबकारी विभाग यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(१) बांसवाड़ा जिले से १९५०-५१ में तिल्ली की कितनी निकासी हुई, कितनी तिल्ली राजस्थान में रही और कितनी राजस्थान से बाहर गई तथा कितना महसूल इससे वसूल हुआ ?

(२) क्या कस्टम्स की जाली मोहर का प्रयोग करके अनाधिकृत रूप से तिल्ली की निकासी इलाके से बाहर (राजस्थान राज्य से) हुई और इस मामले में कोई मुकदमें चल रहे हैं ?

Page No.65

(३) यदि हाँ, तो किस अधिकारी के समक्ष इस समय ये मुकदमें हैं एवं कब से चल रहे हैं ? इनमें से क्या कोई फैसल भी हुए हैं ? वे कितने हैं ?

(४) असिस्टेन्ट कमिश्नर कस्टम्स को क्या ऐसे मुकदमात सुनने के अधिकार हैं और असिस्टेन्ट कमिश्नर, बांसवाड़ा ने ऐसे कितने मुकदमें सुने व फैसले किये हैं ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मंत्री)—(१) बांसवाड़ा जिले से राजस्थान के बाहर सन् १९५०-५१ में १९६२ मन २७ सेर ८ छटांक तिल्ली निकास होकर ११९५६ रु० २ आना की रकम महसूल कस्टम के निर्यात कर के रूप में वसूल हुई। राजस्थान के अन्दर कितनी तिल्ली रही, इसके आंकड़े कस्टम विभाग द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं।

(२) बांसवाड़ा जिले से जाली दस्तखतों आदि की सहायता से अनधिकृत रूप से तिल्ली निकास होने के १८ मुकदमें सन् १९५१ के सितम्बर व अक्टूबर मास में असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम एन्ड एक्साइज़ बांसवाड़ा के ऑफिस में दायर हुये हैं।

(३) ये मुकद्दमे कस्टम व एक्साइज कमिश्नर राजस्थान के समक्ष कम्पाउन्ड करने की कार्यवाही के हितार्थ विचाराधीन हैं।

(४) असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स व ऐक्साइज़ बांसवाड़ा ने ऐसे तिल्ली के सम्बन्ध में १८ मुकद्दमे सुने और अपनी राय के साथ मारफत डिप्टी कमिश्नर उदयपुर, दफ्तर कमिश्नर कस्टम्स एवं एक्साइज के पास पेश किये क्योंकि उनका पद सुपरिन्टेंडेंट का नहीं है, जैसा कि बांसबाड़ा का कानून था।

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में जाली रसीदें छपवाकर व्यापारियों द्वारा तिल्ली की निकासी की गई और इसके केसेज जो पकड़े गये वे केस कितने हैं, यह नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—बतला दिया १८, है।

श्री घीसीसिंह—वे विचाराधीन बतलाये।

श्री अध्यक्ष—उनको (धूलजी भाई को) पूछने दीजिये।

श्री धूलजी भाई भावसार—तो ये केस कितने वर्षों से चल रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—सितम्बर, १९५१ से।

श्री धूलजी भाई भावसार—अब तक क्यों चल रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—फैसला नहीं हुआ इसलिए चल रहे हैं ?

श्री धूलजी भाई भावसार—फैसला कब हो जावेगा। इसमें लेजाने वाले बाहर के भी थे, तब स्थानीय लोगों पर ही केस चलाये गये हैं, ऐसा क्यों ?

श्री भोलानाथ—जालसाजी करने वाले बाहर के हों या स्थानीय हों, सब बराबर जुर्म करने वाले हैं।

श्री धूलजी भाई भावसार—अब उनका फैसला कब हो जावेगा ?

श्री भोलानाथ—यह तो आपने सुनने की कोशिश नहीं की। ए० सी० ने मामले कस्टम कमिश्नर के पास पहुँचा दिये हैं और जल्दी ही फैसला होने की उम्मीद है। कार्यवाही चल रही है।

श्री धूलजी भाई भावसार—कब भेजे हैं ये मुकद्दमे ?

श्री अध्यक्ष—१८ मुकद्दमे हैं आप किनके बारे में जानना चाहेंगे ? इन्होंने उत्तर दिया है कि ये मुकद्दमे कमिश्नर के पास भेज दिये गये हैं। कार्यवाही चलरही है, यह उत्तर दिया है।

श्री जसवन्तसिंह—तीन साल तक चलते रहने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—जालसाजी।

श्री जसवन्तसिंह—सरकार क्या प्रोत्साहन देना चाहती है इस जालसाजी को ?

श्री भोलानाथ—इस जालसाजी को खोजने और साबित करने में काफी दिक्कतें उठाना पड़ती हैं।

श्री जसवन्तसिंह—गवर्नमेंट का तो इसमें हाथ नहीं है ?

श्री भोलानाथ—यह विश्वास तो आप कर सकते हैं।

श्री जयनारायण व्यास—खोजने में हाथ है।

श्री धूलजी भाई भावसार—बांसवाड़ा में पड़े हुए हैं ये केस सारे ?

श्री भोलानाथ—वे तो कस्टम कमिश्नर, उदयपुर के पास हैं।

प्रश्न संख्या १०३४

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १०३५

रूपनगर तहसील में श्री जगदीशसिंह को नरेना ग्राम में गोचर भूमि से परचा, बन्दोबस्त विभाग द्वारा

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में श्री जगदीशसिंह को नरेना ग्राम में गोचर भूमि में से करीब ५००० बीघा जमीन का परचा सैटिलमेन्ट द्वारा दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि जगदीशसिंह अब मवेशी किसानों से इस जमीन में मवेशी चराने की चराई वसूल करता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) जी नहीं। गोचर भूमि में से ५७३ बीघा का पर्चा तथा बीड की जमीन के ६०७ बीघा १४ बिस्वा का पर्चा श्री जगदीशसिंह जी के नाम किया गया है। ११५ बीघा का पर्चा ठुकरानी जी के नाम तथा १६१ बीघा ३ बिस्वा का परचा जगदीशसिंह जी की माता के नाम किया गया है।

(ख) श्री जगदीशसिंहजी सैटलमेन्ट की रेट के माफिक चराई वसूल कर सकते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सैटलमेन्ट के पहले यह जमीन जगदीशसिंह के कब्जे में नहीं थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह जमीन जागीर की थी और इसलिये उनके नाम पर परचा हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३६

आगामी वर्ष से कक्षा ८ के लिए बोर्ड परीक्षा

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Is it a fact that there will be the Board Examination for Class VIII in Rajasthan from the next year ?

(b) What are the reasons which have necessitated the introduction of such examination for Class VIII in Rajasthan ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) No. Government have taken no such decision so far.

(b) Question does not arise in view of reply to (a).

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि आज-कल ज्यादा सिफारिशें चलने की वजह से अनडिज़र्विंग स्टूडेन्टस को भी प्रोमोशन (promotion) दे दिये जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—'Government have taken no such decision so far' से मतलब यह है कि यह विचाराधीन मामला है।

श्री खेतसिंह—जवाब कुछ और हो गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—He has replied to the impending supplementary.

श्री भोलानाथ—वह यह जानना चाहते हैं कि एडमिशन चेक करने की जरूरत है क्या; इसका जवाब मैंने दिया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सब सवालों का एक ही जवाब है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३७

राजस्थान में कृषि कॉलेज तथा उन्हें आर्थिक सहायता

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :—

[श्री खेतसिंह]

(a) How many Agricultural Colleges are there in Rajasthan ?

(b) What sums are given to them as grants-in-aid ?

(c) Do the Government propose to start a new Agricultural College ? If so, where ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) 1.

(b) 80% of the approved expenditure.

(c) Government are examining the question of starting one more Agriculture College in Rajasthan.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—When do they propose to open it ?

श्री भोलानाथ—"Examining" means 'not decided'.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the College be opened from the next session ?

श्री भोलानाथ—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो बजट में पैसा प्रोवाइड किया गया है वह इस वर्ष में खर्च करने के लिए था ?

श्री भोलानाथ—अभी कोई जगह सिलेक्ट नहीं हुई है और यूनिवर्सिटी से इस मामले में देर हो गई है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो मन्जूरी नवम्बर में ली गई थी इस कॉलेज के सिलसिले में कि यह जुलाई के महीने से चालू हो जावेगा, तो मन्जूरी लेने के बाद क्या कारण है कि उस प्रोग्राम पर सरकार अमल नहीं करना चाहती ?

श्री भोलानाथ—इसमें गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से भी कुछ बात चल रही थी। उन सारी बातों का भी निर्णय हुआ नहीं है और इसीलिए इस विषय में अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री खेतसिंह—सरकार ने साइट ऑफ प्लेस (site of place) के अतिरिक्त क्या और सब बातों के बारे में निर्णय ले लिया है ?

श्री भोलानाथ—और बातों में भी कुछ बातों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से बात-चीत चल रही है।

श्री खेतसिंह—कौन-कौन से स्थान आपने अभी तक इसके लिए प्रोपोज़ किये हैं?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That is the main question.

श्री भोलानाथ—यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रिन्सिपल टाउन्स पूछे हैं, जहाँ-जहाँ कि खोले जा सकते हैं?

श्री भोलानाथ—अभी नहीं कहा जा सकता।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या शेरगढ़ का नाम भी विचाराधीन है?

श्री अध्यक्ष—It is not in public interest to disclose. Next.

प्रश्न संख्या १०३८

बगड़ नगरपालिका के चेयरमेन द्वारा निजी बरामदा बनवाना

श्री महादेव प्रसाद—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बगड़ नगरपालिका के चेयरमेन ने कोई अपना निजी बरामदा बनवाया है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त बरामदे को बनवाने के लिए नगरपालिका से अनुमति प्राप्त की थी?

(ग) उक्त बदामदे की बाबत नगरपालिका में कितनी फीस जमा करवाई?

श्री रामकरण जोशी—(क) बगड़ नगरपालिका के चेयरमेन ने कोई अपना निजी बरामदा नहीं बनाया।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री महादेव प्रसाद—क्या यह सही है कि उसने बनाया है ?

श्री रामकरण जोशी—जी नहीं, उसने नहीं बनाया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०३६

किशनगढ़ तहसील में ग्रामों में नम्बरदार चुने जाना

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ तहसील के किस किस गाँव में कौन कौन नम्बरदार चुने गये हैं ?

(ख) चुनाव की तिथियाँ क्या थीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) और (ख) इस विषय की सूचना का स्टेटमेंट सदन की मेज पर पेश कर दिया गया है।

श्री चान्दमल मेहता—इस तरह का स्टेटमेंट जो सदन की मेज पर रखा जावे, धारा ३८ के माफिक उसकी एक प्रति सदस्य को पहले मिलनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय, आपने पहले कई बार इस बारे में वार्निंग भी दी, पर फिर भी कोई प्रति हमें नहीं मिल रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष—(रसद मन्त्री से) नोटिस आफिस में आपने इसकी कॉपी दे दी है न ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्व मन्त्री ने दे दी होगी, ऐसा मेरा खयाल है। मैं फिर भी सुना सकता हूँ। २८ नाम है, ज्यादा लम्बी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रूल ३८ के मुताबिक जो भी उत्तर या स्टेटमेंट लेन्दी हों उनके उत्तर की एक प्रति नोटिस ऑफिस में १५ मिनिट पहले दे दी जानी चाहिये और जो मेम्बर कन्सन्ड हैं वे वहाँ से ले लें। इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। नेक्स्ट।

श्री चांदमल मेहता—मुझे इसमें सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—आप पहले उत्तर देख लीजिये इसके बाद कर लीजिएगा। (श्री भोगीलाल पंड्या से) आप उन्हें कॉपी दे दीजियेगा।

प्रश्न संख्या १०४०

जुलाई सन् १९५४ में बालेसर दरबार मिडल स्कूल को हाईस्कूल बनाना

श्री खेतसिंह--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जुलाई, सन् १९५४ में बालेसर दरबार मिडिल स्कूल हाई स्कूल बनाई जा रही है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि तहसील शेरगढ़ की एक प्राइमरी स्कूल, जो गाँव फलसुन्ड में चल रही है, उसे लड़कों की तादाद व मकान की सहूलियत देखते प्राइमरी से मिडिल स्कूल बनाया जा रहा है ?

(ग) क्या होने वाली बालेश्वर हाई स्कूल में कृषि शिक्षा दी जाने के बाबत भी कोई नया विषय खोलने की तजवीज सरकार के पास है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(क) हाँ, बालेश्वर दरबार मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए राजपूताना विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रार्थना-पत्र भेज दिया गया है। मान्यता आने पर हाई स्कूल खोलने पर विचार किया जावेगा।

(ख) अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि इस वर्ष कितने और कहाँ कहाँ मिडिल स्कूल खोले जावेंगे। निर्णय होने पर तहसील शेरगढ़ गाँव फलसुन्ड की प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

(ग) राजपूताना विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए जो प्रार्थना पत्र भेजा गया है उसमें होने वाले बालेश्वर हाई स्कूल में कृषि विषय के लिए भी मान्यता चाही गई है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या शेरगढ़ में भी यूनीवर्सिटी खोलने का सरकार का इरादा है ?

श्री खेतसिंह—नहीं तो, लूनकरणसर में है।

प्रश्न संख्या १०४१

कस्बा ककोड़ (उनियारा) में पंचायत बोर्ड का निर्माण

श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.73

[श्री सरदारसिंह]

(क) कस्बा ककोड़ (उनियारा) डिस्ट्रिक्ट टोंक में क्या कोई पंचायत बोर्ड है ?

(ख) अगर हाँ, तो कितने सदस्य हैं ?

(ग) क्या उनका चुनाव पंचायत एक्ट के अनुसार होकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

(घ) सरपंच की क्या योग्यता है ?

(ङ) क्या ऐसी भी कोई दरख्वास्तें सरकार के पास आई हैं कि चुनाव नहीं हुआ है और इन्सपेक्टर पंचायत टोंक ने किसी के दबाव में आकर नाम लिखकर भेज दिये हैं ?

(च) सरकार ने उन दरख्वास्तों पर क्या एक्शन लिया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासनमन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) २७। ग्राम पंचायत में २२ और पंचायत अदलत में ५०

(ग) जी नहीं। जयपुर ग्राम पंचायत एक्ट ४८ के अन्तर्गत पंचायत सदस्यों की सूची राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं थी।

(घ) पंचायती कार्यवाही लिख सकने की योग्यता।

(ङ) इसे निर्वाचन के संबन्ध में आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(च) जाँच के पश्चात् शिकायतें निराधार होना पायी गयीं।

प्रश्न संख्या १०४२

भू-राजस्व मेन्युअल का प्रकाशन

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-(क) क्या लेन्ड रेवेन्यू मेन्यूअल प्रकाशित की जा चुकी है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह अभी विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां। लेन्ड रेवेन्यू मेन्युअल का मसविदा कमिश्नर और कलेक्टर के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया। उनकी राय आने के बाद प्रकाशित कर दिया जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—यह कब से विचाराधीन है ?

श्री भोगीलाल पंडया—वह लम्बे अर्से से (विचाराधीन) था। उनकी राय आने के बाद प्रकाशित होना बाकी है।

श्री चाँदमल मेहता—अब और कितने समय की आवश्यकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राय आते ही प्रकाशित कर दिया जायगा।

श्री चाँदमल मेहता—कब तक आने की संभावना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जल्दी ही।

प्रश्न संख्या १०४३

शाहपुरा में इन्टरमीजियेट कॉलेज खोलना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(1) Is it a fact that a deputation of the people of Shahpura met the Minister for Education for the opening of Intermediate College there ?

(2) Is it a fact that the Minister assured them for the opening of such college ?

(3) If so, by what time the Government propose to open the Intermediate College there ?

श्री भोलानाथ (श्री शिक्षा मन्त्री)—(१) हां।

(२) नहीं।

(३) इस संबंध में अभी निश्चय नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो डेपूटेशन माननीय मन्त्री से मिला या जिसको इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया था ?

श्री भोलानाथ—ऊपर कहा है कि 'नहीं'।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि उनके कहने का असर उन लोगों पर कम से कम यह हुआ है कि आपने आश्वासन दिया है ?

श्री भोलानाथ—यह आपकी राय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उन लोगों ने इस प्रकार का लिखित रिप्रेज़ेन्टेशन माननीय मन्त्री महोदय को भेजा है ?

श्री भोलानाथ—जी हां

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४४

गूंगे तथा बहरों की पाठशाला, जयपुर का ऑडिट

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(1) Is it a fact that in the Deaf and Dumb School, Jaipur, audit was conducted in the year 1950-51 and some serious objections were pointed out by the audit ?

(2) If so, whether these objections have been cleared off ? If not, why not ?

श्री भोलानाथ: (शिक्षा मन्त्री)—(१) हां।

(२) हां। एक के अतिरिक्त सब एतराजात साफ कर दिये गये हैं। एक एतराज बाकी है। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूल के लिए कितने बोर्डर्स की सालाना सेन्क्शन है ?

Page No.76

श्री भोलानाथ—केवल अब तक १० बोर्डर रहते थे जिनमें से ८ तो फ्री हैं और २ व्यय वाले हैं। व्यय वाले छोड़े गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने पूछा था कि कुल मन्जूरी कितने बोर्डर्स के लिए है ?

श्री भोलानाथ—सैंक्शन के लिए मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि २५ बोर्डर्स की मन्जूरी का इसमें प्रोवीजन रखा है लेकिन अभी तक ८,१० या ३ बोर्डरों पर वह सालाना जो सेन्क्शन है वह उतनी खर्च होती है ?

श्री भोलानाथ—यह तो ऑडिट के संबंध का सवाल है। इसमें कितने बोर्डर होने चाहिए, इसका संबंध नहीं था इसलिए इसकी सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑडिट में इसके बारे में ऐतराज हुआ है।

श्री भोलानाथ—ऑडिट का ऑब्जेक्शन मैं सुना दूं अगर आप पसन्द करें तो।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसका जवाब तो दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—डेफिनिट क्वेश्चन पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डेफिनिट ही पूछा है कि मन्जूरी नहीं थी......

श्री अध्यक्ष—That he objects and that is beyond the scope of this qeustion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में क्या ऑडिट ने कुछ एतराज किया है कि जितने मन्जूर शुदा लड़कों की व्यवस्था है उससे वहां बहुत कम लड़के होते हुए भी खर्चा उतना ही किया गया ?

श्री भोलानाथ—खर्चे का सवाल नहीं पूछा गया था, ऑडिट ऑब्जेक्शन्स क्लियर हुए या नहीं उसके बारे में पूछा था; यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि बोर्डर्स की सेन्क्शन क्या है, इसलिए मेरे पास कोई इन्फोरमेशन नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऑडिट रिपोर्ट में बोर्डर्स के बारे में कोई ऐसा ऐतराज है ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ऑडिट ने बोर्डिंग के मेस के बारे में एकाउन्ट स में गड़बड़ है, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री भोलानाथ—नहीं मेस का सवाल नहीं है और ही एतराजात हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आडिट रिपोर्ट और अपनी तरफ की इन्सपेक्शन रिपोर्ट क्या मन्त्री महोदय सदन की टेबिल पर रखने की कृपा करेंगे ?

एक आवाज—पूरी रिपोर्ट।

श्री भोलानाथ—ऑडिट ने १४ ऑब्जेक्शन्स दिये हैं; उनके जवाब आपको पेश कर सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑडिट होने के बाद जो रिपोर्ट डिपार्टमेंट से भेजी जा रही है वह पूरी रिपोर्ट क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ—हाँ, रखवा दी जायगी। इस समय नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठीक है।

प्रश्न संख्या १०४५

बांसवाड़ा और डूंगरपुर सरहद्दी जिलों में १९५१,५२ और ५३ में घी का आयात-निर्यात तथा उससे कस्टम की आय

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बांसवाड़ा, डूंगरपुर सरहद्दी दोनों जिलों में १९५१-५२-५३ में घी की निकासी एवं आयात कितनी तादाद में हुई एवं प्रतिवर्ष कस्टम डयूटी की कितनी आय हुई ?

(ख) बाहर से आने वाला घी निकासी से कितने मन अधिक मात्रा में इन दो जिलों में अधिक आयात हुआ ? उसकी जाँच-पड़ताल किस अधिकारी द्वारा कस्टम नाकों से हुआ करती है।

(ग) जाँच करते समय (वेजिटेबल घी) डालडा, तेल मिश्रित घी लाने वाले कितने व्यापारियान पकड़े गये एवं मुकद्दमें चालान हुए ? नहीं हुए तो क्यों नहीं ? इसकी जाँच क्या सरकार शीघ्र करायेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क)

वर्ष	जिला	निर्यात	आमदनी महसूल कस्टम्स
१९५१-५२	बांसवाड़ा	११ सेर	२२ रु०
	डूंगरपुर	२४ १/२ सेर	४९ रु०
१९५२-५३	बांसवाड़ा	२२ सेर	४४ रु०
	डूंगरपुर	१ मन १ सेर १२ छटांक	८३॥) रु०

(ख) बाहर से आने वाले घी की तादाद के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि उस पर कोई ड्युटी नहीं है। आयात होने वाले घी की सरसरी जांच, यह जानने के लिए कि घी वेजीटेबिल किस्म का तो नहीं, नाकेदार किया करता है।

(ग) बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सन् १९५१-५२ में गैर कानूनी तौर पर वेजिटेबिल घी लाने के दो मुकदमें पकड़े गये। दोनों में अदालत से अभियुक्त सजायाब हुये। इसी तरह ५२-५३ में भी दो मुकदमे पकड़े गये, दोनों में अदालत से अभियुक्त सजायाब हुए। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों वर्षों में इस तरह के केस नहीं हुए।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या माननीय मन्त्री महोदय को पता है कि बांसवाड़े से बाहर जाते हैं और २०० डिब्बे बाहर से मिश्रित होकर आते हैं।

श्री भोलानाथ--घी के बाहर से आने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री धूलजीभाई भावसार--क्या सरकार को यह मालूम है कि घी जो वहां आता है उसकी जांच करने के लिए वहाँ कोई हेल्थ ऑफिसर है?

श्री भोलानाथ—घी के लिए नहीं, वेजीटेबिल घी को कन्फ्यूज मत करिए।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो वेजीटेबिल घी असली घी में मिला लिया जाता है तो उसकी जांच का कोई प्रबन्ध है या नहीं?

श्री भोलानाथ--जी।

श्री श्रीदास गोयल--क्या इस प्रकार की व्यवस्था उस क्षेत्र में कर रखी है?

श्री भोलानाथ—नाकेदार चेक करते हैं; रिपोर्ट मिलती है कि कोई बेईमानी से घी ला रहा है तो वह उसको पकड़ते हैं।

श्री श्रीदास गोयल--राजस्थान में कहीं इस प्रकार के मिश्रित घी की जांच कराई है।

श्री भोलानाथ—जहाँ ऐसा घी पकड़ा गया है वहां सजा हुई है ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार के हजारों डिब्बे हैं, इसमें लोगों को २ रु० सेर के घी के साढ़े पाँच देने पड़ते हैं ।

श्री भोलानाथ--मालूम हुआ है उसको सजा दी है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही है, ताकि इस प्रकार के आदमी पकड़े जा सकें ।

श्री भोलानाथ—वहां पर कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है । सारे राजस्थान में लोग जालसाजी करते हैं या चोरी करते हैं । बांसवाड़े के लिए कोई खास सजा देने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या वहाँ से घी जाँच के लिए, जयपुर भेजा है ?

श्री भोलानाथ—लेबोरेट्री में जाँच करना आवश्यक है यदि घी में मिलावट है तो ।

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या जाँच वहाँ नहीं की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०४६

पोर्सीलेन (फेक्ट्री) अलवर के भूख हड़तालियों की मांग

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer :

(a) Is it a fact that the Government had assured the hunger striking workers of Porcelain Factory, Alwar, that their claims would be given preference ?

(b) What were the other assurances given to them by the Government ?

(c) Has the Government fulfilled any of those assurances ? If not, why not ?

(d) Is it a fact that the Factory was ordered to be auctioned ?

(e) Why was the auction stayed ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(f) Is the Government aware that according to labour laws the claims of the labourers must be met prior to all other claims ?

(g) Is it a fact that the Government had assured the workers to give them money to be used for legal purposes ?

(h) Did the Government give that aid to the workers ?

(i) Is the Government aware that all the machinery in the Factory is rusting and wearing away as it is lying idle and uncared ?

(j) Will the Government consider re-opening the Factory under its own control ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) हां ।

(ङ) डिस्ट्रिक्ट जज, दिल्ली ने उसको रोकने का आदेश दिया था ।

(च) लेबर लॉज़ को तो कोई प्रायोरिटी नहीं दी है लेकिन इन्डियन कम्पनीज़ एक्ट के मातहत दी जाती है। जब दिया जायगा उस उक्त इन बातों का ध्यान दिया जायगा ।

(छ) नहीं।

(ज) नहीं।

(झ) हां ।

(ञ) नहीं । चूंकि मामला न्यायालय के आधीन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस राजस्थान सरकार के श्रम मन्त्रीजी की मौजूदगी में हुई थी जिसमें कुछ निर्णय लिये गये थे ।

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय से मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मिलने आये थे तो इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था ।

श्री रामकरण जोशी—इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया था। मिलने-जुलने तो आते ही रहते हैं, लेबर के मामले में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि दिल्ली के जज ने उस चीज को करने का निर्णय दे दिया है। सरकार लीगल एक्शन लेने के लिए फ्री है।

श्री रामकरण जोशी—अभी तक सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इसके बारे में कोई कदम उठाया है जिससे समय पर सूचना मिल जाय।

श्री रामकरण जोशी—ऐसे मामलों में, जैसा कि यह है, सरकार के पास इस प्रकार की खबर पहुँच जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि दिल्ली में फैसला हुए कितने दिन अवश्य हो गये।

(घन्टी)

श्री रामकरण जोशी—अवश्य।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०४७

सलावास हवाई-मैदान के बेरेक्स को गिराने का ठेका

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that contract has been given to demolish the Salawas (Airfield) Barracks near village Guda Bishoiyan, Tehsil Jodhpur ?

(b) Why are these buildings so mercilessly being demolished ?

(c) Is the Government aware that even after demolition of the barracks, the land will not be cultivable because of the deep foundations, cemented floor and the net work of metalled roads ?

(d) Is the Government aware that these barracks can be turned into a model village ?

Page No.82

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(e) Has the Government received any representation from the inhabitants of the above village forwarded by the village Panchayat in this connection ?

(f) What bars the Government from accepting the very just demand of the villagers ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—[क] हां, सलावास हवाई अड्डे के बेरेक्स तोड़े जा रहे हैं।

(ख) यह संपत्ति भारत सरकार की है। उनके द्वारा यह नीलाम किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हाँ।

(ङ) जी हां।

(च) इस बारे में लिखा-पढ़ी की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार ने उन गांवों के लोगों की मांग को उचित करार दिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपना उत्तर दे चुका हूँ, जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार से पत्र-व्यवहार करके जब तक फैसला नहीं होता तावक्ते इस इमारत को तुड़वाने से रुकवा देगी।

श्री भोगीलाल पंडया—मैं उत्तर दे चुका हूँ कि भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक आप लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और इसका अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक क्या डेमोलिशन (demoliton) का काम रोक दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सब डेमोलिश हो जायगा, इसके बाद कार्यवाही की जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, गिरने से पहले की जायगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—गिराने की प्रोसेस जारी है तो गिराने से पहले कार्यवाही कैसी होगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसको रुकवाने की कार्यवाई की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह माना जाय कि काम रुकवा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—But is it within the competence of the State Government ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir ,why not?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १०४८

किशनगढ़ सबडिवीजन में पाठशाला भवन निर्माणार्थ सन् १९५३-५४ में स्वीकृत धन-राशि

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

किशनगढ़ सब डिवीजन में स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये ५३-५४ के वर्ष में कितना रुपया स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना-कितना रुपया किस-किस ग्राम को दिया गया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—सन् १९५३-५४ में किशनगढ़ सब डिवीजन में स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये सरकार की तरफ से कोई रकम स्वीकृत नहीं हुई।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री को जानकारी है कि रकम स्वीकृत हुई और लेप्स भी हो चुकी है।

श्री भोलानाथ—इस डिपार्टमेन्ट से कोई रकम किसी स्कूल को बनाने के लिये नहीं मन्जूर हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह मन्त्रीजी की जानकारी में है कि कुछ स्कूलों के लिये कलेक्टर जयपुर के डिस्पोज़ल पर रकम रखी गई थी और वह खर्च न करके लेप्स कर दी गई ?

श्री भोलानाथ—ऐसे लोकल डेवलपमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल कर लीजियेगा।

श्री चाँदमल मेहता—इस प्रश्न का जिनसे सन्बन्ध था उससे भी प्रश्न पूछना चाहिए, मालूम होता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—The question ought to be have been rejected ?

प्रश्न संख्या १०४६

जुलाई १६५३ के पश्चात किशनगढ़ तहसील की भिन्न-भिन्न पाठशालाओं में अध्यापकों की नई नियुक्तियाँ

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई सन् १६५३ के बाद किशनगढ़ शहर की भिन्न-भिन्न स्कूलों में किन किन अध्यापकों की नई नियुक्तियाँ की गईं ?

(ख) इन अध्यापकों में से किन-किन को गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) जुलाई सन् १६५३ के बाद किशनगढ़ शहर की भिन्न-भिन्न स्कूलों में निम्नलिखित अध्यापकों की नई नियुक्तियाँ की गई हैं।

नाम	योग्यता	वेतन व ग्रेड	नाम स्कूल
१. श्री चन्द्रशेखर	इन्टर साइन्स	७०:४:६०	मिडिल स्कूल मदनगंज
२. श्री प्रेमचन्द	इन्टर	५०.४.७०	,,
३. श्री दुर्गाप्रसाद	इन्टर	३५.१.४०	,,
४. श्री नन्दलाल	मैट्रिक	,,	मिडिल स्कूल किशनगढ़

श्री अध्यक्ष—कितने नाम हैं ऐसे ?

श्री भोलानाथ—६ नाम है, बोलने दीजिए, इनका भी मन भर जाय।

५. श्री मगराज	मैट्रिक	३५.१.४०	मिडिल स्कूल किशनगढ़
६. श्री श्यामसुन्दर	,,	,,	,,
७. श्री चतुरभुज	,,	,,	,,
८. श्री मोहनलाल	इन्टर	,,	,,
६. श्री मदनलाल	मिडिल	,,	,,

[श्री भोलानाथ]

(ख) इनमें से निम्नलिखित अध्यापकों को, जो खाली स्थानों पर नियुक्त किए गये थे, गरमी की छुट्टियों की तनख्वाह प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और बाकी के अध्यापक ट्रेनिंग में गए हुए अध्यापकों के रिक्त स्थान पर एवजी पर नियुक्त किये गये थे अतः यह ग्रीष्म अवकाश की वेतन के अधिकारी नहीं हैं।

१. श्री चन्द्रशेखर इन्टर साइन्स बायलोजी	७०) रु०	७०-४-९०
२. श्री नन्दलाल मैट्रिक्युलेट	३५) रु०	३५-१-४०

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गई वे प्रथम में अस्थाई तौर पर नियुक्त किये गये थे ?

श्री भोलानाथ—शुरू में सभी अस्थायी होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अस्थायी अध्यापकों को समर वेकेशन भी नहीं देने का नियम बना हुआ है ?

श्री भोलानाथ—इसमें अस्थायी या स्थायी का सवाल नहीं है। उनमें से केवल २ अध्यापक अस्थायी तौर पर नौकर हुये और बाकी सभी एवजी में थे। असल आसामी जब छुट्टी से आ गया तो वे हट गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्रीजी के ध्यान में यह बात है कि असल में एवजी का जो नाम लिया है वह सही माने में गलत है ?

श्री भोलानाथ—मायने आप लगाइये।

श्री चांदमल मेहता—जिन अध्यापकों को समर वेकेशन की पे (pay) नहीं दी गई, यदि वे एवजी में नहीं हैं तो क्या आप उनको पे (pay) दिलवायेंगे ?

श्री भोलानाथ—जो राज्य के नौकर हैं उनको बाकायदा तनख्वाह दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—वे नौकर तो हैं ही क्योंकि आपने उनका नाम लिस्ट में बताया है, पर सवाल यह है कि यदि ये एवजी में नहीं है और उनको समर वेकेशन की पे (pay) नहीं मिली है तो उनको तनख्वाह देने को आप तैयार हैं या नहीं ?

श्री भोलानाथ—जरूर तैयार हैं।

प्रश्न संख्या १०५०

कोटा में बृज टाकीज को कम मूल्य में भूमि देना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to answer:—

[1] Is it a fact that some land in tank at Kotah was sold to Brij Talkies [Sanghi Brothers] at the rate of —/12/—per ft. ?

[2] Is the Government aware that the market price of the land was about Re. 1/—to Rs. 2/—per ft. ?

[3] If so, why a special favour with the said company ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) जी हाँ।

(२) कोटा के तालाब एरिया में कुछ प्लोट्स बने। शोपिंग एरिया में जो प्लोट बने, वे १ रु० प्रति फुट की दर से दिये गये और नोन शोपिंग एरिया में ४ आना प्रति फुट की दर मन्जूर शुदा है।

(३) बृज टॉकीज़ को १२ आना प्रति फुट के हिसाब से देने में कोई रियायत नहीं की गई क्योंकि नोन शोपिंग एरिया में मन्जूर शुदा दर ४ आना प्रति फुट है जिसके बजाय १२ आना प्रति फुट लिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह जमीन बृज टॉकीज़ को देने से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि यह जमीन सरकार बेचने के लिए तैयार है, जो लेने को तैयार हो वे अपनी बिड दें।

श्री रामकरण जोशी—जी हां, घोषणा की थी; आवेदन पत्र माँगे थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने आवेदन-पत्र आये थे उनमें १२ आने से ज्यादा ओफर किसी ने किया था या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—१२ आ० से ज्यादा देने की हैसियत का कोई आदमी नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑफर किसी ने किया था या नहीं ? हैसियत का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—जी हाँ, ऑफर किया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—हैसियत का अनुमान आपने कैसे लगाया ?

श्री रामकरण जोशी—बात करने के लिए सामने आया लेकिन उसके पास पैसा नहीं था।

श्री श्रीदास गोयल—क्या उससे कहा गया था कि आप जमानत दिला सकते हैं, रुपये दिलाने के बारे में ?

श्री रामकरण जोशी—बराबर कहा गया था।

श्री मोतीराम—क्या हरिजनों के लिये प्लोट काट कर जमीन रखी गई ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में अलग सवाल करिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—जितने आवेदन-पत्र आये उनमें से एक आवेदन पत्र बारां के सिनेमा वाले का था जिसकी हैसियत आप मान चुके हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हाँ, तीन आवेदन-पत्र आये थे। मिनर्वा टॉकीज़ का रिप्रेजेन्टेटिव शरीक नहीं हुआ। सुन्दर टॉकीज़ और वृज टॉकीज़ वाले उपस्थित थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सूचना अखबारों में प्रकाशित की गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—जरा जोर से बोलिए।

श्री अध्यक्ष—अखबारों में सूचना प्रकाशित की गई थी या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—इन सारी बातों पर पहले से अर्बन इंप्रूवमेंट बोर्ड ने फैसला किया था, उसके बाद यह बात सरकार के पास आई थी।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड ने नियमानुसार नोटिस निकाला था ?

श्री रामकरण जोशी—सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, उसके बाद में आवेदन-पत्र आये थे।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने जाँच करवाई कि जमीन बेचने का निर्णय लेते समय आवेदन पत्र माँगने का नोटिस अखबारों में छापा किया गया था या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—इसमें ३ व्यक्तियों के आवेदन-पत्र समय पर आये थे इसलिए।

Page No.88

श्री हरिकृष्ण व्यास—आवेदन पत्र आने से पहले अमुक-अमुक तारीख को इस जमीन के सिलसिले में आवेदन-पत्र दिए जा सकते हैं, इस तरह का नोटिस जारी किया गया था या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—हाँ, किया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब और किसने जारी किया था ?

श्री रामकरण जोशी—सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जारी किया था और आवेदन-पत्र आने के पहले जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत तीन आवेदन-पत्र आये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसकी विज्ञप्ति अखबारों में नहीं कराई गई ?

श्री रामकरण जोशी—जरूर हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे दो सप्लीमेंट्रीज़ और हैं।

(विराम)

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब आवेदन-पत्र विचार में लिए जा रहे थे तब हाइएस्ट बिड (highest bid) किसकी थी ?

श्री रामकरण जोशी—हाइएस्ट बिड और किसी की नहीं थी। उन्हीं की थी जिनको दिया गया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी ने १२ आने से ज्यादा देने के लिए तैयारी नहीं दिखाई ?

श्री रामकरण जोशी—तैयारी किसी ने नहीं दिखाई, बल्कि इसके विपरीत जब पूछा गया तो उन्होंने मध्यभारत में किसी दोस्त से रुपये लाने के लिए १ महीने की मोहलत मांगी थी, बल्कि ३ साल पहले उनको एक सिनेमा बनाने के लिए मन्जूरी मिल गई थी। लेकिन अब तक नहीं बनाया उनके पास फंडस की कमी हैं। बोर्ड के चेयरमेन और कमिश्नर ने लिखकर प्रकट किया कि उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि इतना पैसा जुटा सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि आवेदन-पत्र में ज्यादा दर दिखाई या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—उनके पास चौथाई जमा करने के लिए भी पैसा नहीं था और उसके लिए मोहलत माँग रहे थे, फिर उनको कैसे दिया जाता ?

प्रश्न संख्या १०५१

सन् १९५३-५४ में फिक्सेशन से असन्तुष्ट होकर कुछ अध्यापकों द्वारा रिटायरमेंट के प्रार्थना पत्र

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) १९५३-५४ के वर्ष में फिक्सेशन से असन्तुष्ट होकर शिक्षा विभाग में कितने व्यक्तियों ने रिटायरमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये ?

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन में ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनकी योग्यताएं क्या हैं ?

(ग) जिन व्यक्तियों की नियुक्ति रिटायरमेंट चाहने वाले व्यक्तियों के स्थान पर की गई है उनकी योग्यताएं क्या-क्या हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) १९५३-५४ के वर्ष में फिक्सेशन से असन्तुष्ट होकर इस विभाग के अन्तर्गत किसी व्यक्ति ने रिटायरमेंट के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिया है। किन्तु हाँ, एक व्यक्ति ने फिक्सेशन के बाद अपने रिटायरमेंट के लिये प्रार्थनापत्र अवश्य पेश किया है।

(ख) किशनगढ़ सब डिविजन में जिस व्यक्ति ने फिक्सेशन के बाद अपने रिटायरमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किया है वह श्री फैयाज़अली खाँ हैं जो इन्टर कॉलेज किशनगढ़ में लेक्चरार एवं अस्थाई प्रिन्सिपल के पद पर नियुक्त थे। उनकी योग्यता एम० ए०, पी एच० डी० थी।

(ग) श्री फैयाज़अली खाँ के रिक्त स्थान पर श्री नन्दलाल जोशी एम० ए० की नियुक्ति की गई थी और इस स्थान पर स्थाई लेक्चरार की नियुक्ति के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन कराया जा रहा है और प्रिन्सिपल के स्थान पर श्री सोभागचन्द्र माथुर एम० ए० की नियुक्ति हो चुकी है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री की जानकारी में है कि जो महाशय अभी प्रिन्सिपल की जगह काम कर रहे हैं, उनसे फैयाज़अली ज्यादा क्वालिफाइड और ज्यादा सीनियर हैं।

श्री भोलानाथ—ज्यादा क्वालिफाइड या ज्यादा सीनियर का सवाल नहीं उठता, पी० एस० सी० ने सिलेक्शन किया था और श्री फैयाज़अली को पी० एस० सी० ने नामन्जूर कर दिया।

श्री चाँदमल मेहता—फैयाज़अली डबल एम० ए० थे और जो साहब उनके स्थान पर इस समय काम कर रहे हैं वे केवल एम० ए० ही हैं, तो ऐसी सूरत में पी० एस० सी० अगर गलत फैसला कर दे तो क्या सरकार उस फैसले के ऊपर मुहर लगाना चाहती है ?

श्री भोलानाथ--पी० एस० सी०.के निर्णयों पर सरकार आम तौर पर मुहर लगाती है।

श्री चांदमल मेहता—फैयाज़अली के स्थान पर काम करने वाले साहब को पी० एस० सी० ने लेक्चरार के रूप में भेजने का निर्णय लिया या प्रिन्सिपल के रूप में ?

श्री भोलानाथ--प्रिन्सिपल के रूप में।

प्रश्न संख्या १०५२

जिला जोधपुर के कृषि अधिकारी का जोधपुर जिले में सेवा-काल

श्री खेतसिंह—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर ऑफीसर को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में तैनात हुए कितना अर्सा गुजर चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त अफ़सर ने तैनाती के इतने लम्बे अर्से में एक बार भी तहसील शेरगढ़ के किसी भी गाँव का दौरा नहीं किया है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऑफिसर इतने लापरवाह हैं कि इनकी जोधपुर तैनाती होने के बाद से आज तक दिन प्रति-दिन कृषि विभाग की अवनति हुई है ?

(घ) क्या यह सही है कि इन ऑफीसरों की वजह से आज तक महज तीन किसानों को तहसील शेरगढ़ में सिंचाई के कूए खोदने की तकाबी मिली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) एक साल, ६ महीना।

(ख) नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

प्रश्न संख्या १०५३

भूतपूर्व जयपुर राज्य की सेवा से लिये गये बी० टी० सी० अध्यापकों को नये ग्रेड में लेने सम्बन्धी

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) नये ग्रेड के अन्तर्गत बी० टी० सी० अध्यापक जो भूतपूर्व जयपुर राज्य की सर्विस से लिए गये हैं उनमें से कितनों को तरक्कियां दी गई हैं ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(ख) ऐसे बी० टी० सी० अध्यापकों में से इस समय किसको अधिक से अधिक वेतन दिया जा रहा है :

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क)—२६३ बी० टी० सी० अध्यापकों को, जो जयपुर राज्य की सर्विस से राजस्थान में आये, ट्रेन्ड मिडिल स्कूल के नये ग्रेड में फिक्स किया गया और उन सबको तरक्की मिली।

(ख) ऐसे व्यक्तियों का इस समय अधिक से अधिक वेतन ५३ ६० है जो ८६ व्यक्तियों को मिल रहा है।

प्रश्न संख्या १०५४

सवाई माधोपुर जिले के हाईस्कूल तथा मिडिल स्कूलों में वहीं के निवासी अध्यापक

श्री श्रीदास गोयल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर जिले के हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूलों में उसी जिले के निवासी अध्यापकों की प्रतिशत क्या संख्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का कार्यालय कोटा होने से वहाँ के अध्यापकों की संख्या उक्त जिले में बहुत बढ़ रही है ?

(ग) क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर का शिक्षा विभाग सम्बन्धी सम्बन्ध इन्स्पैक्टरजी, जयपुर से स्थापित करना उचित समझती हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ६१ प्रतिशत।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न जिला इन्स्पेक्टरों के पुनर्संगठन के समय स्वतन्त्र रूप से लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक पुनर्गठन का निर्णय हो जायगा ?

श्री भोलानाथ—सरकार के विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस कार्य में प्रगति हो रही है ?

श्री भोलानाथ—हाँ, हो रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०५५

मई १९५३ के पश्चात् जिला बोर्ड में औषधालय तथा वैद्यों की नियुक्तियाँ

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) मई सन् १९५३ के बाद जयपुर जिला बोर्ड में कितने औषधालय खोले गये ?

(ख) कितने वैद्यों को नियुक्त किया गया ?

(ग) वैद्य जो नियुक्त हुए उनकी क्या योग्यता थी ?

(घ) क्या नियुक्ति से पूर्व खाली जगहों का ऐलान पत्रों में किया गया था ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) २९.

(ख) ३१ को।

(ग) भिषगाचार्य की योग्यता के व्यक्तियों को वैद्य 'ए' श्रेणी में तथा आयुर्वेदाचार्य भिषग्वर, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न और आयुर्वेद शास्त्री की योग्यता के व्यक्तियों को 'बी' श्रेणी में नियुक्त किया गया है।

(घ) हाँ, स्थानीय पत्रों में।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे स्थानीय पत्र कौन-कौन से हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यहीं के पत्रों में, यह तो बोर्ड से पूछना चाहिए कि यहाँ कौन-कौन से पत्र हैं ?

प्रश्न संख्या १०५६

जयपुर डिवीजनल वेटरनरी कार्यालय तथा वेटरनरी, सेक्शन जोधपुर में हजारों रुपयों का गबन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to state:—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

[1] Whether an embezzlement to the extent of thousands of rupees took place in Jaipur Divisional Veterinary Office and Veterinary Section Jodhpur ?

[2] If so, what is the amount involved ?

[3] What action has been taken by the Government against the persons concerned ?

[4] Has the case been reported to the Accountant Ganeral, Rajasthan, Jaipur ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)--(१) हाँ ।

(२) पूरी जाँच अभी जारी है । परन्तु अब तक की जाँच से यह जाहिर हुआ है कि डिप्टी डाइरेक्टर वेटेरिनरी जोधपुर के दफ्तर में १०,०००) रुपये का और डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी ऑफिसर, जयपुर के दफ्तर में २६१ रुपये ४ आना का गबन हुआ है ।

(३) दोनों केशों में विभागीय जाँच जारी है । जाँच पूरी होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायगी । फिलहाल डिप्टी डाइरेक्टर, जोधपुर के दफ्तर वाले अभियुक्त को सस्पेंड कर दिया गया है ।

(४) हाँ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जाँच कब से शुरू हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में मालूम हुआ, तभी से जाँच शुरू हुई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार ने जाँच करते समय किसी आदमी को मोअत्तिल किया या किसी प्रकार से किसी के खिलाफ एक्शन लिया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने उत्तर दिया कि मोअत्तिल किया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कौन-कौन को मोअत्तिल किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया था कि जोधपुर वाले को मोअत्तिल किया गया ।

(हँसी)

Page No.94

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर वाले को किसको, नाम भी तो कुछ होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नाम मैं अभी जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया किसकी कस्टडी में गिना गया ?

Who was considered responsible for its safe custody ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एकाउन्टस का अहलकार था उसकी कस्टडी में था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रकम की इतनी बड़ी तादाद वहां रखने का क्या कारण था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इतनी बड़ी रकम रखी, इसीलिए तो उसको सस्पेन्ड किया गया।

श्री चंदपाल त्यागी—डिपार्टमेंट का कुछ न कुछ तो नियम होगा कि किसके मातहत कितनी तादाद का रुपया वहां रखा जा सकता था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियमों का पालन नहीं किया क्योंकि उसकी नियत अच्छी नहीं थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह एम्बेज़लमेंट (embezzlement) घास की खरीद-फरोख्त के सिलसिले में हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने सम्बन्धित डिप्टी डाइरेक्टर वेटेरिनरी की जांच की है कि इतनी बड़ी सरकारी रकम इम्प्रेस्ट में क्यों रखी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी जांच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो-जो इसमें जिम्मेदार समझे गये हैं उनमें से किस किस के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिसकी गलती होगी। सब के साथ यही कार्यवाही की जायगी।

Page No.95

एक माननीय सदस्य—यह जांच कौन कर रहा है ?

श्री भोग लाल पंड्या—सम्बन्धित अधिकारी इसकी जांच कर रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ए. जी. के पास यह केस भेजा गया है ?

श्री भोगीलाल पंडया—वहां नहीं गया है, पुलिस को केस दे दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जांच के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां।

(विराम)

डिप्टी डाइरेक्टर, वेटेरिनरी, जोधपुर के दफ्तर में, जिसे सस्पेंड किया गया, उसका नाम उगम लाल है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०५७

जयपुर जिला बोर्ड की मोटर गाड़ियों का दुरुपयोग

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिला बोर्ड में कितनी मोटर गाड़ियां हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जिला बोर्ड की जीप अध्यक्ष महोदय के निजी उपयोग में में आती है।

(ग) इस जीप पर मई १६५३ के बाद कितना पेट्रोल व मोबिल ऑइल व्यय होता है व मई ५३ के पूर्व प्रतिमाह कितना पेट्रोल व मोबिल ऑइल व्यय होता था ?

(घ) क्या जो दौरे इस जीप से किए जाते हैं उनका कोई विवरण रखा जता है ?

प्रश्न संख्या १०५७

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--(क) २. (१ जीपकार तथा १ स्टेशन वेगन ।)

(ख) जी नहीं ।

(ग) मई १९५३ के पूर्व औसतन २६ गैलन प्रति माह पैट्रोल व्यय हुआ था । यह जीप फरवरी, १९५३ के अन्त में ही खरीदी गई थी ।

मई १९५३ के बाद में ८२ गैलन पैट्रोल तथा आधा गैलन मोबिल ऑइल प्रतिमाह व्यय हुआ जिसमें जिले भर में माह के अन्दर किये गये दौरों का पैट्रोल भी शामिल है ।

मई १९५३ के पूर्व जिले का कोई दौरा अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया ।

(घ) जी हां । लोक बुक, डायरी में यह विवरण रखा जाता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह माननीय मंत्रीजी या सरकार के ध्यान में आया है कि जिला बोर्ड के अध्यक्ष जिला बोर्ड की जीप में जयपुर शहर में भी घूमते दिखते हैं ?

श्री रामकरण जोशी--वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काम से ही शहर में जाते हुए मिले होंगे, वैसे उनके घरू कार है ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सही है कि इस जीप का पेट्रोल शहर में घूमने में ज्यादा खर्च हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो लोक बुक देखने से मालूम हो सकता है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिला बोर्ड की यह जीप अध्यक्ष जिला बोर्ड के प्राइवेट कामों में काम आई है ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या १०५८

ग्राम आलोदा (त० दौसा) में भूराजस्व तथा लगान की दरें

श्री रामलाल बंसीवाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि ग्राम आलोदा (तहसील दौसा) में भू-राजस्व तथा लगान की दरें बहुत ऊँची हैं ?

[श्री रामलाल बसीवाल]

(ख) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार की लगान की दरें दौसा तहसील के आसपास के हिस्से में प्रचलित दरों से तिगुनी है ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेगी और इस प्रकार की बढ़ी हुई दर को कम करके उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित दर के अनुरूप करेगी और यदि हां, तो कब तक वह ऐसा कर देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) जी नहीं। इस इलाके में सेटलमेंट द्वारा लगान की दरें कायम की गई हैं और अभी उजरदारियें सुनना बाकी हैं।

(ख) जी नहीं। लगान की दरें सर्किल रेट के अनुसार ही हैं।

(ग) १५-६-५४ से उजरदारियों पर सुनवाई शुरू की जायगी और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार लगान की दरों में हेर-फेर किया जा सकता है।

श्री रामलाल बंसीवाल—जिन लोगों ने अर्जियें दीं उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले तो लगान की दरें सेटलमेंट रेट के अनुसार ही हैं, फिर भी उजरदारियों को सुनने के लिये १५-६-५४ की तिथि रखी है।

श्री रामलाल बंसीवाल—ये उजरदारियें कब तक की जा सकती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने इसका उत्तर दे दिया है, १५-६-५४ तक।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०५६

(श्री मोहब्बतसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा पूछा गया)

सन् १९५३-५४ में सिरोही और जालोर की जिला पाठशालाओं के लिये फर्नीचर खरीदना

Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Whether any amount has been spent for the furniture of District Schools of Sirohi and Jalore Districts in the year 1953-54 ?

[श्री अध्यक्ष]

(b) If the answer is in affirmative, what amount has been spent ?

(c) If the answer is in negative, why no amount has been spent on furniture in these districts when there has been an acute need for the same ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) Yes.

(b) The following amounts spent for the furniture of the District Schools of Sirohi and Jalore for the year 1953-54 :—

(i) Primary schools of Sirohi District	Rs.	5,799/8/-
(ii) Primary schools of Jalore District	Rs.	2,899/12/-
(iii) Middle Schools of Sirohi and Jalore Districts	Rs.	4,034/3/3
Total		12,733/7/3

(c) Does not arise.

श्री जवानसिंह—क्या ये मन्जूर शुदा रकमें खर्च भी हुई हैं ?

श्री भोलानाथ—खर्च ही बताया गया है।

श्री जवानसिंह—यह कब तक और कौनसे महीने तक खर्च हुई है ?

श्री भोलानाथ—यह रकम सन् १९५३-५४ तक खर्च हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६०

लक्ष्मणगढ़ सालासर रूट को फेयर-वेदर योजना में लेना

श्री बलवीरसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) लक्ष्मणगढ़ सालासर रूट को फेयर-वेदर स्कीम में लिया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

[श्री बलवीरसिंह]

(ख) क्या यह रास्ता इतना तंग है कि आमने-सामने से मोटर गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट या अन्य कोई सवारी व पैदल आदमी तक पास नहीं हो सकता है ?

(ग) क्या यह रास्ता इतना तंग है कि मोटर में बैठे पेसेन्जरों का जी मिचलाने लगे तो वे बाहर मुंह निकाल कर कै भी नहीं कर सकते ?

(घ) अगर वास्तव में यह इतना ऊबड़-खाबड़ व तंग रास्ता है तो इसे सुधारने की दिशा में अब तक सरकार ने क्या काम किया है ? अगर नहीं किया, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद (उपमन्त्री)—(क) लक्ष्मणगढ़ से सालासर रूट को फेयर वेदर स्कीम में नहीं लिया गया है। प्रत्येक रूट का अपना महत्व है और अपेक्षा कृत महत्व की दृष्टि से ही स्कीम में इनका समावेश किया जाता है।

(ख)
(ग) } इस विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।
(घ)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फेअर वेदर का क्या मतलब होता है ?

श्री चन्दनमल वैद—वह सड़क जो अच्छी मौसम में चालू रह सकती है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फेअर वेदर स्कीम क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष—This is a word coined by the Member.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Schemes liked by the Hon'ble Member.

श्री बलवीरसिंह—क्या माननीय मन्त्री इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रूट से चलने वाली गाड़ियों में सफर करने वाले और दूसरे लोगों की तरफ से काफी शिकायतें होते हुए भी यह सड़क ठीक नहीं बनाई गई ?

श्री चन्दनमल वैद—राजस्थान में जहां-जहां बसें और लोरियें चलती हैं वे रास्ते सारे के सारे दिये जावें, यह नामुमकिन है।

श्री बलवीरसिंह—जहां से रोजाना लोगों की जो शिकायतें आती हैं उनकी शिकायतों के आने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक सड़क को ठीक क्यों नहीं कराया ?

Page No.100

श्री चन्दनमल वैद—शिकायतों की मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Government has no information of Complaints.

प्रश्न संख्या १०६१

राजस्थान के समस्त पटवारियों के वेतन के ग्रेड बनाना तथा उन्हें वे देना

श्री घासीराम—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के समस्त पटवारियों की तनख्वाह के ग्रेड बन गये हैं या नहीं ?

(ख) अगर ग्रेड बन गये हैं तो कौनसी तारीख से लागू हैं ?

(ग) क्या इन ग्रेडों के मुताबिक तनख्वाह और तरक्कियां दी जा रही हैं ?

(घ) इन ग्रेडों के मुताबिक कहां-कहां तनख्वाह और तरक्कियां दी जा रही हैं और कहां-कहां नहीं दी जा रही हैं ?

(ङ) अलवर जिले की क्या समस्त तहसीलों में ग्रेड के मुताबिक तनख्वाह व तरक्की मिल रही है ?

(च) क्या यह सही है कि अलवर जिले में तहसील तिजारा के पटवारियों को ग्रेड के मुताबिक तनख्वाह और सालाना तरक्की नहीं मिल रही है ? अगर यह सही है, तो इसका क्या कारण है ?

(छ) जिस अधिकारी व कर्मचारी की गलती से तिजारा के पटवारियों को ग्रेड के मुताबिक सालाना तरक्की नहीं मिली है क्या सरकार उसको सजा देगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) पटवारियों के नये ग्रेड बन गये हैं।

(ख) १ अप्रेल, १९५० से।

(ग) जी हां।

(घ) राजस्थान में सब जगह इन्हीं ग्रेडों के अनुसार वेतन व तरक्कियां दी जा रही हैं।

(ङ) जी हां।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(च) तहसील तिजारा, जिला अलवर के पटवारियों का वेतन नये ग्रेड के अनुसार ही मिल रहा है। सालाना तरक्कियों के लिए फिक्सेशन स्टेटमेंट बना कर ए० जी० को भेजे गये थे जो अब मन्जूर होकर आ चुके हैं और अब इसके अनुसार सबको तरक्कियां दे दी जायेंगी।

(छ) इसमें किसी की गलती नहीं थी। फिक्सेशन ए० जी० द्वारा मन्जूर होने पर ही तरक्कियां दी जा सकती हैं।

श्री घासीराम—दूसरे तहसील वालों को तरक्कियें मिल रही थीं तो तिजारा वालों को क्यों नहीं मिली ?

श्री भोगीलाल पंड्या—फिक्शेसन स्टेटमेंट ए० जी० से मन्जूर नहीं हुआ था, इसलिये नहीं मिलीं। अब मिल जावेंगी।

श्री घासीराम—क्या और भी जगह ऐसी हैं जहां अभी तक नहीं मिली हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—और भी जगह ऐसी हैं जहां फिक्सेशन नहीं हुआ। जहां फिक्सेशन स्टेटमेंट ए० जी० से एप्रूव हो गया है वहां मिल गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६२

(श्री मोहब्बतसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा पूछा गया)

सिरोही जिले की पाठशालाओं तथा डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के कार्यालय में चपरासियों को समान स्तर पर लाना

Will the Minister for Education be pleased to state :

Have the peons of the office of the Deputy Inspector of Schools, Sirohi, and those of District Schools of Sirohi been provided with uniforms (dresses) during the last two years ? If not, why not ? Is there no need for the same or there has been no demand for the same ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—हां।

प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जवानसिंह—ये कब की गईं ?

Page No.102

श्री भोलानाथ—सन् १९५२-५३ में दी गई उसकी संख्या १८ है।

सन् १९५३-५४ में दी गई उसकी संख्या १९ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६३

(श्री मोहब्बतसिंह की अनुपस्थिति में श्री जवानसिंह द्वारा पूछा गया)

जोधपुर डिविजन के शासकीय मिडिल स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक

Will the Minister for Education be pleased to state :—

How many trained post graduates are in the Government Middle Schools in Jodhpur Division ? If so, in which middle schools ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—Only one. He is Shri Achal Mal Shah M. A., B. Ed. posted at Govt. Middle School Kalindri in Jodhpur Division.

प्रश्न संख्या १०६४

सवाई माधोपुर नगरपालिका की सीमा का निर्धारण

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर नगरपालिका की सीमा सरकार द्वारा कब निर्धारित हुई ?

(ख) क्या महकमा जंगलात उस सीमा के अन्तर्गत वृक्षों पर अनुचित अधिकार करने में प्रयत्नशील है ?

(ग) क्या नगरपालिका द्वारा वृक्षों के पत्तों के लिये हुये ठेके में महकमा जंगलात द्वारा अड़चने डाली जा रही हैं ?

(घ) क्या सरकार से इस सम्बन्ध में शिकायत की गई है ?

(ङ) यदि हाँ, तो जंगलात के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) १४ अगस्त, सन् १९४४।

(ख) नगरपालिका द्वारा ऐसा आरोप है।

(ग) नगरपालिका का ऐसा कहना है।

(घ) हाँ।

(ङ) वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि महकमा जंगलात एवं नगरपालिका को अपने-अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान न होने से एवं इस आपसी गलतफहमी के कारण ही यह शिकायत है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है जिससे भविष्य में यह गलतफहमी दूर हो जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि म्युनिसिपेलिटी की हद्द पर फारेस्ट वालों ने एन्क्रोचमेंट कर दिया है ?

श्री रामकरण जोशी—नगरपालिका द्वारा ऐसा आरोप है और यह बात जंगलात के उच्च अधिकारियों के पास भेज दी गई है।

श्री श्रीदास गोयल—मेरा प्रश्न यह है कि जो निर्धारित सीमा म्युनिसिपेलिटी है उस सीमा पर जंगलात ने वृक्षों पर अपना अधिकार कर लिया है ?

श्री रामकरण जोशी—जंगलात वाले जहाँ जंगल देखते हैं वहाँ पर अपनी सीमा निर्धारित कर देते हैं, लेकिन वह जंगल म्युनिसिपेलिटी के अधिकार में है इसलिए बचत हो सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर चारों तरफ जंगल और पहाड़ों से घिरा है ?

श्री रामकरण जोशी—इसीलिये तो वह जंगल से घिरा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या म्युनिसिपेलिटी की सीमा पर जंगलात वालों ने एन्क्रोचमेंट किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री श्रीदास गोयल—मुझे इस पर कुछ पूरक प्रश्न और पूछने हैं ?

म्युनिसिपेलिटी ने अपनी हद्द में ठेका दिया था और जंगलात ने उसमें दखल डाला था, क्या यह वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष—That is the information he gives.

श्री श्रीदास गोयल—That is my question.

श्री अध्यक्ष—Other supplementaries ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि म्युनिसिपेलिटी वालों से जंगलात वालों ने झगड़ा किया ?

श्री रामकरण जोशी—इसको जंगलात के अधिकारियों की जानकारी में लाकर इस मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है।

Page No.104

श्री श्रीदास गोयल—म्युनिसिपेल्टी ने म्युनिसिपेलटी एरिया में ठेका दिया और उसमें जंगलात वालों ने रुकावट डाली, उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—जंगलात वाले अपने जंगल के रखवाले होते हैं। जहाँ उन्होंने जंगल देखा अपना दखल किया।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह जंगल म्युनिसिपेल्टी की प्रोपर्टी है या जंगलात की ?

श्री रामकरण जोशी—प्रोपर्टी के आधार पर वह म्युनिसिपेल्टी का है और उसी आधार पर म्युनिसिपेल्टी ने ठेका दिया है। लेकिन जंगलात वाले अपना स्वयं अधिकार मानते हैं कि पेड़-पत्तों पर उनका अधिकार है और इसीलिये उन्होंने म्युनिसिपेल्टी के उस ठेके का विरोध किया और वह शिकायत सरकार के पास आई है और इस पर विचार हो रहा है।

श्री श्रीदास गोयल-जब म्युनिसिपल एक्ट में साफ दर्ज है कि म्युनिसिपेलिटी की सीमा में म्युनिसिपेलिटी को हर एक अधिकार है तो फिर जंगलात वालों ने अपना दखल क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष--The rights of Municipalities are enumerated in the Act.

श्री रामकरण जोशी–म्युनिसिपेलिटी की हदूद का जहाँ तक सवाल है वह आवश्यकता के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। सरकार उसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा सकती है और घटा सकती है। लेकिन यहाँ वह प्रश्न उपस्थित नहीं होता। यह तो एक सीधी सी शिकायत है कि म्युनि-निपेलिटी ने ठेका दिया और उस पर जंगलात वालों ने दखल किया। इस पर विचार हो रहा है। जंगलात के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात-चीत हो रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६५

जैसलमेर व बाप तहसील के टिड्डी ग्रस्त क्षेत्र

श्री हनवन्तसिंह—क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जैसलमेर व बाप तहसील में कौन-कौन ग्राम ऐसे हैं जहाँ टिड्डी ने भारी नुकसान किया है ?

(ख) क्या यह सच है कि गवार की फसल के अलावा सब खेतों में कुछ हाथ नहीं आया ?

(ग) क्या सरकार इन ग्रामों में अकाल घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) जैसलमेर तहसील के किसी भी गाँव में टिड्डियों से फसल को नुक्सान नहीं हुआ । बाप तहसील के निम्नलिखित गाँवों में कुछ हद तक टिड्डियों से फसल का नुक्सान हुआ :

(१) बरसलपुर।

(२) मोड़ावत

(३) बाजू

(४) मिठारी

(५) ग्रांधी

(६) नगराजसर

(७) टेकड़ा

(८) भवाई

(९) नेबान

(ख) यह सच नहीं है कि गंवार की फसल के अलावा सारी फसल में कुछ हाथ नहीं आया। उपरोक्त गाँवों की फसल में नुक्सान १५ प्रतिशत हुआ।

(ग) नुक्सान की हद को देखते हुए इन गाँवों को अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हनवन्तसिंह—फसल में नुक्सान को देखते हुए उसको अकालग्रसित क्षेत्र घोषित क्यों नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कुछ नुक्सान नहीं हुआ।

श्री हनवन्तसिंह—आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि फसलों को नुक्सान हुआ है। बाप तहसील और जैसलमेर तहसील दोनों में हुआ है।

श्री भोगीलाल पंड्या—अब वहाँ क्या जाँच की जाय, वहाँ तो रेत ही रेत उड़ रही है।

(हँसी)

श्री हनवन्तसिंह—फसल कटती नहीं है, अभी भी खड़ी है।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कँवरलाल जेलिया—प्रश्नकर्त्ता (श्री माधोलाल खानपुरिया) उपस्थित नहीं हैं। यह सार्वजनिक हित का प्रश्न है अतः इसको प्रस्तुत करने के लिये मुझे आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष—Yes.

प्रश्न संख्या १०६६

माँगरोल में जनता की माँग पर भी दो वर्ष से ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं

श्री माधोलाल—(श्री कँवरलाल जेलिया द्वारा प्रस्तुत) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) माँगरोल में वहाँ की जनता की लगातार माँग पर भी ग्राम पंचायत का चुनाव दो साल से क्यों नहीं कराया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि वहाँ की जनता को ग्राम पंचायत के अभाव में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ग) अब कब तक वहाँ चुनाव कराये जाने का खयाल है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जनता की यहाँ शीघ्र ही नगरपालिका स्थापित करने की माँग होने से पंचायत का चुनाव करवाना उपयुक्त नहीं समझा गया।

(ख) सम्भव है कि पंचायत का चुनाव न होने से कुछ असुविधायें जनता को हुई हों।

(ग) २६ जून, सन् १९५४ को।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६७

जैसलमेर में पंचायतें स्थापित होने का समय व स्थान

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जैसलमेर डिवीजन में कब और कहाँ-कहाँ पंचायतें खुल रही हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—जैसलमेर में पंचायतें स्थापित करने की रूपरेखा सरकार के विचाराधीन है। उसके बाद पंचायतें शीघ्र स्थापित हो जावेंगी।

श्री हनवन्तसिंह—कितना समय लगेगा ?

(विघ्न)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—वे पूछ रहे हैं कि कितना समय लगेगा।

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से जल्दी ही हो जायगा।

(हँसी)

श्री खेतसिंह—जैसलमेर में पंचायतें वर्क नहीं कर रही हैं और पानी की भी काफी कमी है, तो क्या एडहॉक कमिटीज़ वहाँ रखने की तजवीज है?

श्री रामकरण जोशी—एडहॉक कमिटीज़ से काम लिया जा सकता है।

श्री खेतसिंह—एडहॉक कमिटीज़ बनाने के लिए कोई तारीख निश्चित कर सकते हैं?

श्री रामकरण जोशी—एडहॉक कमिटीज़ बनाने के लिये पंचायत डिपार्टमेंट को आदेश दे दिये गये हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या हम पंचायतों से यह आशा करें कि एक ही पार्टी के नुमाइन्दे नहीं रखे जावेंगे और वह दूसरी पार्टी के नुमाइन्दे भी रखेगी?

श्री रामकरण जोशी—डिपार्टमेंट में पार्टी बन्दी का सवाल पैदा नहीं होता है।

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—यह आप किस बुनियाद पर फरमाते हैं?

श्री रामकरण जोशी—सरकारी महकमों में कोई पार्टीबन्दी नहीं है, पार्टीबन्दी तो असेम्बली में होती है।

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—पंचायतों में फिर एक ही पार्टी के नुमाइन्दे क्यों रखे जाते हैं?

श्री राककरण जोशी—रेवेन्यु अधिकारी की सलाह से ही एडहॉक कमिटीज़ बनाई जाती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या दलबन्दी असेम्बली से डिपार्टमेंट में शुरू हो गई है?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से सवाल पूछिये।

(हँसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या पार्टी के दफ्तर में हमारे मित्र को आने देंगे?

श्री रामकरण जोशी—जरूर आने देंगे, यदि शिकायत लेकर आवेंगे तो।

(हँसी)

एक सदस्य—मेरे सवाल रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री गुलाबचन्द कासलीवाल।

अल्पकाल-सूचना प्रश्नोत्तर

प्रश्न सं० १३ एस. एन. क्यु.

जयपुर नगर के महावीर रोड़, 'सी' स्कीम पर पड़ी मृतक दे सम्बन्धी पुलिस कार्य-वाही

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—will the Chief Minister be pleased to state :—

Is it a fact that on 18-5-1954 at about 4,00 P. M. the Secretary of the Jaipur City Congress Committee telephoned to the Police that the body of a youngman is lying on the Mahabir Road, 'C' Scheme, Jaipur City ?

Was it removed on the 19th May, 1954. ? If so, at what time ?

Between the time of receipt of the information and the time of removal what were the Police authorities doing ?

What was the probable reason of the death of that person ?

What action does the Government propose to take against the authri-ties concerned in not removing the body in time ?

श्री जयनारायण व्यास—No information wat sent to the police on phone by the Secretary, City Congress Committee, Jaipur on 18-5-54 in this connection.

No. One incident, however, took place on 18/5/54 and the matter was reported to the police station, Statue Circle, at about 6. 10 p. m. on that day. Immediate action to remove the dead body could not be taken as another report was simultaneously received at the P. S. that a man was lying unconscious due to heat stroke or some other cause. It was, therefore, necessary to save this life first. After removing this person to Hospital and holding enquiry about him, the S. H. O. held the inquest of the dead body. It was already dark and he took one hour to prepare panchayatnama. As the photograph of the dead body was necessary to be taken at the spot, a photographer was looked for but due to late hours in the night none could be secured. The S. H. O. contacted the City Municipality for the cart to remove the dead body, but the cart did not arrive.

[श्री जयनारायण व्यास]

As it was already very late, the S. H. O. posted a guard there and removed the body early morning after getting it photographed.

The place where the dead body was lying was not a thoroughfare but some distance away from the Road. However, Neem leaves were placed on the dead body to prevent the polluting of the atmosphere.

No probable reason for the death can be given at present as the post-mortem report has not been received. The deceased was a Hindu as he had a 'Pigtail' i. e. "Choti" and was wearing a Dhoti There were no visible marks of injury on his body. His identity could not be established so far.

Action against the police officer concerned for delay in removing the dead is, however, being taken by the S. P. Jaipur.

श्री वेदपाल त्यागी—At what hour next day was the photograph taken ?

श्री जयनारायण व्यास—I have already replied that it was in the morning.

श्री वेदपाल त्यागी—At what hour ? I want to know the exact time.

श्री जयनारायण व्यास--It is early morning. Must be about 6 o'clock.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—At what time did the Police get the information that the body was lying ?

श्री जयनारायण व्यास—6. 10. P. M. in the evening.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Did the Chowkidars ramain on duty throughout the night ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, Sir.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Are not the Chowkidars police employees ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, they are.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—How was it that they did not inform the Police then, the other higher authorities ?

श्री जयनारायण व्यास—The information was received at 6. 10 P. M. and the body was taken in charge by the Police; but since there was another report received at the same time, the Police rushed to that spot and they did not attempt to remove that body. However, as to why the matter was delayed I have already said the matter is being investigated and suitable action will be taken against the man due to whose fault the delay occured.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Is there only one S. H. O. for the whole of Jaipur.

श्री जयनारायण व्यास—I have informed that the S. H. O. was busy and the other Police staff was in charge of that body.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Which Police staff ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Did the S. H. O. not inform the other senior officers that he will be late or that he was busy otherwise and that they should reach there ?

श्री जयनारायण व्यास—That matter is under investigation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह समझा जाय कि जयपुर की पुलिस फोर्स की शक्ति केवल एक व्यक्ति के बारे में ही जाँच करने तक सीमित है, यदि दो हो जायँ तो क्या हो ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा समझना नासमझी होगी। देरी हुई है और उस पर जांच हो रही है। उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने देरी होने दी, उसके विरुद्ध जांच हो रही है; फिर ऐसी आशंका करना समझदारी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच के लिए किसको मुकर्रर किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—That has been replied to in the main question.

श्री श्रीदास गोयल—एस. एच. ओ. के पास कितनी स्ट्रेंग्थ (Strength) है ? कितने कॉन्स्टेबल हैं और कितने हैडकॉन्स्टेबल हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए अलग प्रश्न की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या २४ एस. एन. क्यु.

पॉवर हाउस जयपुर में गबन तथा मानमल को पुलिस नियन्त्रण में मृत्यु

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Chief Minister be pleased to state :—

Has any embezzelment taken place in the Power House, Jaipur ?

Was one Man Mal, Store-keeper in the Power House called to any Police Station in Jaipur City on 16-5-54 and was formally arrested on 18-5-54 ?

Was he enlarged on bail on 25-5-1954 ? If so, at what time ?

Was he re-arrested ? If so, at what time ? Was he again ordecved by the District and Sessions Judge, Jaipur City to be released and was he released in compliance of this Order ?

Has any notice for contempt of Court been issued by the District and Sessions Judge to the Investigating Officer ?

Was Man Mal taken from Kotwali to Sadar Thana on foot and without shoes at about 10 A.M. on 28-5-1954, while he was suffering from fever ? Did he offer to pay tonga hire and was it refused by the Police escort ? Was he brought back from the Sadar Thana to Kotwali and thence to Manak Chowk Police Station ?

Did he fall down unconscious near Sanganer Gate and was he beaten there and even drinking water was refused to him ?

Did he die at the Central Jail at about 3. 45 P. M. on 28-5-1954 ?

Is the Government ready to institute a public inquiry into the conduct of Police Officers concerned ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Yes.

No. He was not called to any Police Station on 16-5 54. It is correct, he was arrested on 18-5-54.

[श्री जयनारायण व्यास]

He was enlarged on bail on 25-5-54 at 6. p. m. and was rearrested at 10.50 p.m. in case No. 46.

The Sessions Judge accepted bail application in another case No. 46 and ordered his release on bail with two securities of Rs. 20,000/- each and personal security of the same amount directing that till the securities were furnished he should be kept in judicial lockup. The City Magistrate issued a warrant for his detention in the judicial lockup which was handed over to the incharge, Thana Sadar at about 1. p m.

No.

Yes. He was wearing shoes. He was not suffering from any disease whatsoever at the time of his despatch to Jail, from Thana Sadar: On 27-5-54 he was produced before the City Magistrate for remand and he made no complaint of any sort. None of his relatives were present near the Thana nor did he make any such request. The question, therefore, does not arise.

He felt feverish near Sanganer Gate and subsequently he was taken to the outpost where he was given water etc. and later on escorted to Jail in a jeep. He was never beaten.

Yes.

It would depend on the magisterial enquiry report, which is being conducted.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Was any post-mortem examination held ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What was the real cause of ......

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—My question remains unanswered, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—Yes, please.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What does the post mortem examination indicate about the reason of the death ?

श्री जयनारायण व्यास—(पत्रादि देखकर) I am sorry, Sir.

(विराम)

[श्री जयनारायण व्यास]

The post-mortem indicates that the death may have occurred due to coronary thrombosis, i. e., the stoppage of the blood vessels of the heart.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Was there any spot of heart disease ?

श्री जयनारायण व्यास—It was not discovered. When he went to the Court there must be something wrong with his heart.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was this report shown to the family members of the deceased ?

श्री जयनारायण व्यास—No, the heart was not examined when he went to the Court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is not the point. After the post-mortem was taken, did the family members of the deceased ask for the report and they were refused ?

श्री जयनारायण व्यास—I have no information like that; they were refused and my friend knows that equally.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Soon after his death, was the body given to the family members or it remained in the custody of the Police ?

श्री जयनारायण व्यास—Well, it was held up for post-mortem of course and then given over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Were any marks of internal or external injury found on the body of the deceased during the post-mortem ?

श्री जयनारायण व्यास—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was he not beaten at all ?

श्री जयनारायण व्यास—Not at all.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Does the Chief Minister think that kicking or striking by boots is not beating ?

Page No.114

श्री जयनारायण व्यास—He was not beaten nor given any booting.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is kicking not beating ?

श्री जयनारायण व्यास—Not even kicking. It was not kicking,

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that certain yellowish fluid with poison was found in the heart ?

श्री जयनारायण व्यास—The medical report says that it may be coronary thrombosis. The viscera was therefore sent for further chemical examination. Further information can be given only when the viscera has been chemically examined.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that the medical jurist also says that all the same such marks on the internal limbs as are seen in cases of Opium, Dhatura or Stricknin poisoning were found on his body ?

श्री जयनारायण व्यास—It is a new information that my friend is supplying to me. I will make the enquiries and let my friend know.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Report of the Medical Jurist been perused by the Government ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, by the Government of course; and not by the Chief Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister take the trouble of straightaway perusing that report ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, if necessary; after the papers are received by the Chief Minister and not in the interim period.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the report of the chemical examination regarding the contents of the post-mortem received ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes, by the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state as to what was found as a result of the chemical examination ?

Page No.115

श्री जयनारायण व्यास—That is a separate question. Information can be supplied only when the question is put.

श्री वेदपाल त्यागी—That is a necessary corrolary and that may be asked. The Chief Minister should have come prepared with a reply to this supplementary.

श्री जयनारायण व्यास—I am very grateful for your kind piece of advice, but my friend must know that all this technical information cannot form necessary corrolary to this question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to state whether it would be necessary for the Government and for the Chief Minister also to know the result of the chemical examination before making up its mind on the cause of the death ?

श्री जयनारायण व्यास—Of course.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Will the Government take steps immediately to find out what is the report of the chemical examination ?

श्री जयनारायण व्यास—Well the viscera has been sent for further chemical examination and nothing can be said till the result of the examination comes. But necessary information will be placed before the House, if necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that the chemical examination was completely ready and that the viscrea has been sent for further chemical examination ?

श्री जयनारायण व्यास—Till after the result of the chemical examination is known, tha examination cannot be said to be complete.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that in the chemical examination it was found that the fluid did contain traces of poison ?

श्री जयनारायण व्यास—That information has been given by my friend now and I will examine it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that after the body was handed over to the relatives it was photographed and it shows marks of beating and injury to the body ?

श्री जयनारायण व्यास—That information can be obtained from the relatives of the deceased.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I place on the Table of the House a photograph of the deceased which shows definite marks of injury and they are obtained in the course o f police custody. Will the Chief Minister order an enquiry on the basis of this photograph ?

श्री जयनारायण व्यास—No, if the information is put on the Table of the House; but if the information is given to the Chief Minister in his executive capacity it can be done. The property of the House is not the property of the Government, my friend must know.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, in the question put by Shri Kasliwal there is one thing. Has any notice for contempt of Court been issued by the District and Sessions Judge on the Investigating Officer.

श्री जयनारायण व्यास—The answer has been given.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I have not followed the answer.

श्री जयनारायण व्यास—The answer was 'no.'.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is the Government aware that he (Shri Manmal) was never released even after he was ordered to be released by the Court.

श्री जयनारायण व्यास—He was re-arrested.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Did he go out of the Police station after his release ?

श्री जयनारायण व्यास—It may be the release and the re-arrest were simultaneous.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is it a fact that the release and re-arrest were simu ltaneous ?

श्री जयनारायण व्यास—It is.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Not clear.

श्री जयनारायण व्यास—It is, that is what I said.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Is it a fact that this gentleman was made to stand in the sun at the Manak Chowk proper for about 15 minutes where he

Page No.117

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

was crying for water and when he was crying for water, hundreds of other people witnessed the scene ?

श्री जयनारायण व्यास—I said 'no' to it earlier.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Government order a judicial enquiry to find out whether any fault had been committed by the Police in this connection ?

श्री जयनारायण व्यास—If necessary.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—What was the idea in carrying him though all the main bazars of the city ?

श्री जयनारायण व्यास—All the persons are carried by this route.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was the accused lodged in the Kotwali and he was taken from the Kotwali at the Sadar Police station and brought back by this journey ?

श्री जयनारायण व्यास—He might have been taken to the Police station where investigations were going on and after that he was brought to the Manak Chowk Thana.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What was the idea in taking him to the Sadar Thana from the Kotwali and from there to the Manak Chowk Thana through the main streets of the city ?

श्री जयनारायण व्यास—I have already replied to it.

प्रश्न संख्या २५ एस० एन० क्यु०

राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष राजस्थान सरकार का स्मार-पत्र

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Chief Minister please state :—

If any memorandum has been submitted by the Rajasthan Government to the States Re organisation Commission ?

If so, what areas and from which of the States have been claimed for Rajasthan ?

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

Has any claim been put up for the inclusion of Ajmer-Merwara in our State ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(1) Yes. A Memorandum has been submitted to the States Reorganisation Commissioner.

(2 & 3) The Government do not consider it in public interest to disclose the contents of that Memorandum at this stage.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--Does not the Government want to take this House also into confidence ?

श्री जयनारायण व्यास—It will take the House into confidence when the need arises.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Are they suspicious of this House when they disclose a particular information to the House ?

श्री जयनारायण व्यास—I am not suspicious of this House, but this House is a public house and it is open to Members as well as to others.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--Does the Chief Minister consider the Memorandum a confidential document ?

श्री जयनारायण व्यास—At this stage, yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Does the Government consider the re-organisation of the country into various States as a secretive matter ?

श्री जयनारायण व्यास—I think it is in public interest not to throw light on these subjects which are under considration.

श्री वेदपाल त्यागी—What is the criteria to judge whether it is in public interest to disclose a particular thing or not ?

श्री अध्यक्ष—It is perfectly the discretion of the Government.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Would not the Government like to have the guidance of this House ?

श्री जयनारायण व्यास—The guidance of this House would be received when the Government thinks such guidance necessary.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—The Memorandum has been submitted. Why the guidance of the House was not taken before it was submitted ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—Do the Government claim any more territory for the Rajasthan State ?

श्री जयनारायण व्यास—It would not be in public interest to say this at present.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अन्यान्य प्रान्तों ने स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने अपने मेमोरेन्डम जिस तरह से पेश किये हैं उस तरह से पेश करने की बात को राजस्थान सरकार ने कन्सिडर क्यों नहीं किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं समझता कि हम उनका अनुसरण करें। राजस्थान सरकार अपने आपको एक गम्भीर सरकार समझती है और उन्हीं विषयों की चर्चा हाउस में और बाहर करना उचित समझती है जिन पर कि चर्चा होने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा न हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, My question has been printed (typed) regularly and two points which have been included in that have not been covered by the earlier question.

श्री अध्यक्ष—They can be asked by way of supplementaries.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I can ask them now ?

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I sat down only because I thought they would come up.

एक माननीय सदस्य—Sir, I have asked a similar question.

श्री अध्यक्ष—I want to say one thing. When more than one questions are put on the same subject, only one question can be allowed. The other members who have tabled the questions on those very points may seek information by way of supplementaries. In this case I think the Hon'ble Member or Members who are very keen to put questions and who were more enthusiastic

[श्री अध्यक्ष]

have put more supplementary questions than the Members who tabled the question.

एक माननीय सदस्य—That is true, Sir, but my objection here is that why this discrimination between one Member and another Member ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—It has been put on the List.

श्री अध्यक्ष—That has been put by mistake. The question has been included in the list by priority.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I did not put all the spplementaries..

श्री अध्यक्ष—Order ! Next.

प्रश्न संख्या १८/एस० एन० क्यू०

कल्याणजी जिला सवाई माधोपुर के मेले में चमारों पर अत्याचार

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ता० १८-५-५४ को श्री कल्याणजी के मेले में जो गंगापुर कस्बे में जिला सवाई माधोपुर में भरा, उसमें कुछ लोगों ने गरीब हरिजन (चमारों) पर लाठियों एवं बरछियों से हमला कर दिया था ?

(ख) यदि हां, तो उसमें से कितने हरिजनों को चोटें आईं ?

(ग) क्या घायलों को तुरन्त अस्पताल पहुँचाया गया था ?

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी भी की गई ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और नहीं तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) गंगापुर में कल्याणजी के मेले में तारीख १८-५-५४ को गाने और नाचने के सम्बन्ध में मालियों और चमारों के बीच उठने वाले विवाद ने दोनों पक्षों के बीच बलवे का रूप धारण कर लिया।

(ख) तीन चमारों को चोटें लगी थीं।

(ग) घायल व्यक्तियों को तत्काल ही अस्पताल पहुँचाया गया।

[श्री जयनारायण व्यास]

(घ) घटना होने के बाद तुरन्त ही तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह जो हमला हुआ वह सामुहिक रूप से था ?

श्री जयनारायण व्यास—हां, तभी तो दंगे का रूप धारण किया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस हमले का कारण क्या मालूम हुआ ? सरकार ने जो जानकारी प्राप्त की जांच करने के बाद उसमें हमला होने का क्या कारण मालूम हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—नाचने-गाने के बीच में, ये बेवकूफ थे, इसलिये लड़-पड़े आपस में।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस सम्बन्ध में कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अभी कहा न, तीन।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ये किस तरह के अपराध में पकड़े गये ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी तो बलवे के बारे में है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रिपोर्ट आने पर पूरा-पूरा पता चल सकेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—भेजेंगे तब आवेगी, खुद बखुद वापिस नहीं आवेगी।

श्री कंवरलाल जैलिया—इसे आप हमला मानते हैं या आपस का झगड़ा ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Any other supplementary.

(विराम)

Next, Shri Gurudayal Singh.

प्रश्न सं० २१ एस. एन. क्यु.

दिनांक २५ मई, १९५४ को गंगानगर जिले के जयपुर में पकड़े गये व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

(क) क्या यह सही है कि ता० २५ मई को गंगानगर जिले के जो प्रदर्शनकारी जयपुर में पकड़े गए उनको सबको सामान्य कैदियों का दर्जा दिया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि उनको अलहदा-अलहदा रक्खा जा रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि २५ मई की रात को और २६ मई को सुबह उनके साथ मारपीट की गई और उनमें से दो को ज्यादा चोटें आई हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उनको जमानत पर भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनको अपने रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया जाता ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हाँ। १८ गंगानगर जिले के प्रदर्शनकारी २५/५/५४ को पकड़े गए और वे सेन्ट्रल जेल जयपुर में दाखिल किए गये। उनको साधारण कैदियों में रक्खा गया है क्योंकि कोर्ट ने उनको कोई स्पेशल क्लास नहीं दिया। इनके साथ कोई दुर्व्यवहार जेल में नहीं किया गया।

(ख) इन लोगों को एक ही बारक में जेल के कानून के मुताबिक रक्खा जा रहा है और वे लोग सकुशल हैं।

(ग) यह बिल्कुल गलत है कि इन लोगों को उन तारीखों में, जिनका जिक्र पत्र में है या किसी और तारीख को पीटा गया है। किसी को कोई चोट नहीं आई है।

(घ) जमानत पर छोड़ने का मामला अदालत से सम्बन्धित है। इनकी मुलाकात के बारे में कोई खास रोक नहीं लगाई गई और इनकी मुलाकात की इजाजत जेल के नियम के अनुसार दी जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह एम. एल. ए. ने खुद इन दो कैदियों, श्री सुरजीतसिंह व श्री शिवकुमार सिंह से २७/५/५४ को जेल में मुलाकात की। इसके अलावा कैदी श्री कृष्णराम ने श्री करनसिंह से ३०/५/५४ को मुलाकात की।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सही है कि तारीख २५ को इनके पकड़े जाने के बाद ता० २६ को प्रातःकाल इनसे मिलने और वकील बनाने के लिए उनके जो रिश्तेदार गए तो उन लोगों को नहीं मिलने दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी कोई इनफॉरमेशन सरकार के पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि २६ तारीख को श्री गुरुदयालसिंह जेल के फाटक के बाहर २ घण्टे तक मुलाकात के इन्तजार में बैठे रहे ?

श्री जयनारायण व्यास—वहाँ कुछ कायदे होते हैं मुलाकात करने के, जो पूरे नहीं किये होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उनके रिश्तेदार उनसे वकील के सिलसिले में बातचीत करने के लिए मिलना चाहते थे। इस प्रकार का एक आवेदन-पत्र भी उन्होंने जेल सुपरिटेन्डेन्ट के पास किया था।

श्री जयनारायण व्यास—आवेदन पत्र तो मेरे सामने नहीं हैं। लेकिन गुरुदयालसिंहजी को मुलाकात करने की इजाजत दी गई है, यह बात सही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ता० २७ को दी गई और २६ को इन्कार किया गया था।

श्री गुरुदयालसिह सन्धु—क्या उन लोगों को सजा देने से पहले मुलाकात की इजाजत दी गई ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप जानते होंगे।

श्री गुरुदयालसिह सन्धु—दूसरे लोग भी वहाँ गए थे।

श्री जयनारायण व्यास—जेल में मुलाकात करने के सम्बन्ध में कुछ नियम होते हैं, रिश्ते होने या वकीलों के सम्बन्ध में या कोई न कोई मुलाकात के नियम होते हैं। यह बात सही है कि मुलाकात नहीं दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उनकी ट्रायल जेल में ली गई है।

श्री जयनारायण व्यास—उसके बारे में सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि वकीलों को पैरवी करने की इजाजत नहीं दी गई ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न ट्रायल के सिलसिले में डिटेल्स के बारे में है। वह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है। अलग से प्रश्न कीजिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वकीलों को नहीं पहुँचने दिया, इसका इससे सम्बन्ध कैसे नहीं है ?

श्री जयनाराय व्यास—ट्रायल का अलग से प्रश्न लाया जा सकता है। यह मामला अदालत का है। यह उनसे सूचना लेनी पड़ेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या वकीलों से मुलाकात करने के लिए जेल सुप्रिन्टेन्डन्ट ने इन्कार कर दिया था २६ तारीख को ?

श्री जयनारायण व्यास--इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई निश्चित जवाब नहीं दिया गया है। मैंने कहा था कि उनके रिश्तेदार मिलना चाहते थे, वकील मिलना चाहते थे तो भी उन्होंने इन्कार किया है।

श्री जयनारायण व्यास—यह आपकी सूचना है। इस पर इन्कार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, १६५४.
(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—We come to the Bill under consideration. Clause 20.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--जो क्लॉजेज़ बाकी थे उनको पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री सुखाड़िया से) १३ और १७ क्लॉजेज़ का जवाब दीजिये।

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉजेज़ १३ और १७ के लिए अगर सदन के माननीय सदस्यों को एतराज नहीं हो तो मैं उनके लिए कुछ और समय चाहूँगा और कल उनके बारे में निश्चित रूप से उत्तर देना चाहूँगा। समय और थोड़ा मुझे प्रदान किया जाय।

क्लॉज़ २० के बारे में जिसकी सुबह चर्चा हुई थी जवाब देना बाकी था। मैं समझता हूँ कि जो मूल एक्ट में धारा रखी गई है इसके अन्दर उसको स्वीकार करना उपयुक्त होगा बजाय इसके कि जैसा कि हमारे माननीय सिरोही के एक मित्र ने यह रखा कि "May" के बजाय "Shall" शब्द रख दें जिससे कि जो विधवाएँ हैं उन्हें गवर्नमेंट को आगे निश्चित रूप से देना पड़ेगा और अगर आगे चलकर ऐसी पोजीशन नहीं रही तो मैं समझता हूँ कि वह उपयुक्त नहीं होगा। तो धारा में रखने के अन्दर गवर्नमेन्ट की यही मन्शा रही है कि जागीर रिजम्प्शन के बाद कुछ इस प्रकार की स्थिति पैदा हो खास तौर से विधवाओं के बारे में जिनको बाद में कहीं से कोई मदद नहीं रहे तो गवर्नमेन्ट आगे मदद देती रहे और मदद देने के लिए कम से कम कुछ जीवन-निर्वाह के लिए देती रहे। लेकिन जो बाद में बातचीत की अभी तो मालूम हुआ कि जो कम्पेन्सेशन में तय होगा फिर भी वही हमें बाद में देना होगा। अभी, नहीं मालूम कि क्या तय किया जाय कि कितना दिया जायगा, वह सरकार के लिए आवश्यक है कि उतना ही दे। यह उचित नहीं है। वह तो केवलमात्र उनके पोषण के लिए जितना देना आवश्यक हो उतना ही देने के लिए जिम्मेदारी लेना चाहती है। उससे ज़्यादा

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जिम्मेदारी लेना बड़ा मुश्किल है। उसका असर स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड पर कितना पड़ेगा और कितना नहीं, लेकिन मानवता की दृष्टि से यह आवश्यक था इसलिए हम इस एक्ट में लाये, नये तौर से प्रोवीजन। यह पर्याप्त होना चाहिए। वाकई में वहाँ कस्टम, यूसेज के बारे में बातचीत की गई हैं। वह चीजें जो की जा रही हैं उनका समावेश हो जाता है। इसलिए उसको नये तौर से लाना आवश्यक नहीं होगा।

दूसरे जो एमेंडमेन्ट्स आए उनको मैं स्वीकार करमें में असमर्थ हूँ। यह जो मूल धारा है इसको ही सदन स्वीकार करे, यह मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ।

श्री जवानसिह—मैंने कस्टम, यूसेज के बारे में जो संशोधन रखा था मैं सदन की इजाजत चाहूगा कि मैं इसको वापिस लेलूँ। इसलिए मुझे इज़ाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जवानसिह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो दूसरा संशोधन श्री जवानसिहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूँसिंहजी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २१, श्री चाँदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Speaker, Sir, in Clause 21 of the Amending Bill clauses (a) and (b) of Section 28 sought to be substituted in the Principal Act shall be snbstituted by the following :—

"(a) that a religious institution was receiving from the income of any jagir resumed under this Act a grant of money for a period exceeding six years from the date of resumption, Government may continue to make such grant or any part thereof as it may deem fit from the consolidated Fund of the State.

(b) that a Jagirdar was liable to pay to any person out of the income of his jagir land resumed under this Act any pension Government may pay such pension or any part thereof as it may deem fit from the Consolidated Fund of the State."

[श्री मथुरादास माथुर]

This is my amendment. Sir, which I have moved.

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not want to move.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादासजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 22, Shri Vedpal Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी—I do'nt want to move.

श्री जवानसिंह—I do'nt want to move.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—"(a) The present clause should be renumbered as sub-clause 1 and, the following two new sub-clausesbe inserted to this clause:--

(2) 'Substitute the word 'Jagir' for 'Jagirdar' in Section 29 of the Principal Act.

(3) The law of primogeniture under any existing Jagir law, will ceas to operate and will always be deemed to have ceased to operate in the case of real brothers and sons of a Jagirdar.' "

[श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आज इस सदन में जागीर प्रथा समाप्त करने के बिल पर विचार किया जा रहा है उस समय सदन के विचार के लिए मैं एक ऐसी बात की और सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा जिसमें इस जागीरदारी प्रथा के कारण से ही एक वर्ग के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष, जिस समय से जागीरी प्रथा कायम हुई थी उस समय जागीरों को एक इकाई के रूप में रखने का कारण यह था कि जागीर के अन्तर्गत रहने वाली जनता को हर प्रकार से सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। सारी सुविधाएँ जनता को उसी वक्त दी जा सकती थीं जब कि जागीरें इकाई के रूप में रहतीं जिसके कारण होने वाली आमदनी से जनता को सुख-सुविधाओं, रक्षा आदि का प्रबन्ध किया जा सकता था। इसी कारण से इकाई के रूप में जागीरें रखी गई थीं। लेकिन आज समाज के सामने जागीरों का स्पष्ट चित्र आ गया है जिससे इस जागीरी प्रथा का कोई उपयोग नहीं समझा जाकर इस प्रथा को समाप्त करना है, यह दृष्टिकोण सामने आता है। ऐसी हालत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस दृष्टिकोण के मातहत जब जागीर इकाई बनी हुई थी त कुछ प्रथाएँ बन गई थीं। उन कुप्रथाओं को भी हमें इसके साथ ही दूर कर देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, जागीरों में जाकर वास्तविक हालत को देखेंगे तो मालूम होगा कि ईश्वर की कृपा से एक जागीरदार के ४ संतान होती है और इस प्रथा के कारण उस जागीरदार का बड़ा बेटा जागीर का मालिक हो जाता है और उसके बाद जितने छोटे बेटे होते हैं तो उनको मेन्टिनेन्स के नाम पर, १० हजार रुपयों की सालाना आमदनी किसी जागीर की होती है तो उसमें से १०० रुपये या इसके आस-पास प्रत्येक छोटे बेटे को देकर उसको अलग कर दिया जाता है, ठिकाने से उसे अलग कर दिया जाता है। उनकी सेवा-सुश्रुसा, पढ़ाई-लिखाई, विवाह आदि का जो उत्तरदायित्व है उससे भी जागीरदार अपने आपको मुक्त कर लेता है। आज यह अन्याय है जब कि एक ही बाप के ४ संतान हैं तो समाज के किस कानून के अनुसार यह अन्याय होना चाहिये? पिता के चार बेटे हैं तो उसकी संपत्ति का बँटवारा चारों बेटों में बराबर-बराबर होना चाहिये। आज के जमाने की यह मांग है कि बाप की संपत्ति का बँटवारा सब में बराबर होना चाहिये। जब यह बिल लोगों के सामने आया तब उस समय लोगों को आशा थी कि राजस्थान सरकार जो अपने आपको जन-कल्याणकारी कहती है, सामन्त प्रथा को समाप्त करने के लिये आतुर हो रही है; वह गरीब राजपूतों की दशा के बारे में सोचेगी जो कुचले जा रहे हैं, ऐसी आशा थी। एक जागीरदार का बड़ा बेटा तो मोटर में बैठकर सैर को जाता है और उसी जागीरदार का छोटा बेटा उसकी मोटर का ड्राइवर बनता है। एक जागीरदार की ठकुरानी तो बड़े महल में बैठ कर अच्छा खाती-पहनती है और उसी के छोटे भाई की ठकुरानी बरतन साफ कर अपना पेट भरती है। शर्म आती है उनकी हालत को देखकर। शर्म आनी चाहिये उन जागीरदारों को भी जिन्होंने छोटे भाइयों की यह हालत कर दी है। मैं उनसे निवेदन करूँगा और उनको शायद मेरी अपील मन्जूर होगी कि वे अपने छुट भाइयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करें। वे स्वयं जानते हैं कि वे अपने छोटे भाइयों के साथ किस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं और इस प्रथा के कारण भी मजबूर हैं। उनमें से भी कई अच्छे आदमी हैं जो चाहते हैं कि उनकी सम्पत्ति का बंटवारा हो। लेकिन जो प्रथा चल रही है उसके अनुसार उन जागीरदारों को एक प्रकार की राहत मिलती है तो

[श्री भैरोंसिंह]

आज यह आशा नहीं की जा सकती कि वे स्वयं अपनी १००) रु० की आमदनी में से २५)-२५) रु० के हिस्से अपने छोटे भाइयों के लिये भी करें, इस बंटवारे से उनका रास्ता खोलकर संपत्ति का सदुपयोग करें। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज जब यह प्रथा खतम हो रही है उस वक्त भी इस प्रथा को कायम रखने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त सम्पत्ति ले रहे हैं तो उसके कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में सरकार उनको एवजाना देगी। लेकिन जागीर उस एक ही आदमी की सम्पत्ति नहीं है। पिता के ४ औलाद है तो चारों का हक उस जागीर पर है। इकाई के रूप में जागीर रखने के सिद्धान्त के कारण उनका नाम भलेही जागीर में न हो, क्योंकि यदि जागीरदार के पुत्रों में बंटवारे की प्रथा जारी रहती तो जागीर इकाई रूप में नहीं रह सकती थीं और आमदनी के बंट जाने से जनता के हित में पैसा खर्च नहीं किया जा सकता था, लेकिन जागीरदार को कभी हक नहीं था कि जागीर को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुँचाता। आज यदि जागीर जाती है, क्योंकि जमाने की यह माँग है कि जागीरें नहीं रह सकतीं, उनके सामन्तशाही के स्वप्न नहीं रह सकते और जागीरदार को कम्पेन्सेशन रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में कुछ मिलता है तो उस पर अकेले जागीरदार का हक नहीं होना चाहिये, उसके भाइयों और छोटी संतान का भी हक होना चाहिये। आज रेवेन्यु रेकर्ड, सेटलमेंट रेकर्ड्स को देखने से मालूम होगा कि उसमें काफी गड़बड़ की गई है, महज इसलिये कि जागीरें जा रही हैं और एवज में कम्पेन्सेशन, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलेगी। यह सोच कर उन्होंने अपने छुट भाइयों के, लड़कों के और सम्बन्धियों के मेन्टिनेन्स अलाउन्स का हिसाब अपने यहाँ दर्ज कर लिया है। चाहे कोई ४-५ साल का ही हो फिर भी उसके मेन्टेनेन्स का इन्द्राज कर लिया है। इस प्रकार के रेकर्ड्स जागीरदारों ने तैयार कर लिये हैं महज इसलिये कि जागीरें जाने के समय वे शायद बंटवारे की माँग न कर बैठें। इसके लिये उन्होंने सारी की सारी चीजें बदल दी हैं। आज आप किसी भी इतिहास को देखें तो मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि जिनके पास सम्पत्ति नहीं है वे देश भक्त रहे हैं और आज भी देश भक्त हैं और जिनके पास पैसा है वे जयचन्द, शक्तिसिंह, कोटा के दुर्जनसिंह और राजा मानसिंह के समान निकले हैं जिन्होंने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में विदेशियों का साथ दिया, जिनके हाथ में अधिकार था, सत्ता थी और उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जो देश को आजाद कराने की कोशिश में थे। उन्हीं लोगों को, जिनके कारनामे इस प्रकार के थे उन्हें फायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जो रकम उनको दी जाने वाली है उसका बंटवारा उनके सभी भाइयों में होना चाहिये। यदि इस प्रकार की बात करनी है कि गरीबों का आर्थिक शोषण कैसे हो तो बात दूसरी हैं, वरना हमको यही करना चाहिये कि जो कुछ उनको कम्पेन्सेशन या ग्रान्ट के रूप में दिया जाय उसका बंटवारा करें। जब जागीरें ही नहीं रहेंगी तो इस प्रकार क प्रथा भी समाप्त करनी चाहिये। आप जो करने जा रहे हैं उससे केवल एक जागीरदार का भला होता है और मैं जो माँग कर रहा हूँ उससे लाखों का भला होता है जो रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट या कम्पेन्सेशन दें उसका बंटवारा अवश्य करें। यदि इस प्रकार का बंटवारा कर दिया तो उनकी सारी तकलीफें दूर हो जायेंगी और सरकार को भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार का संशोधन मन्जूर कर लिया गया तो गरीब राजपूतों की दुआ मिलेगी ही और साथ ही एक बड़ी समस्या का सिद्धान्तरूप से हल हो जायगा। जो कानून बनाने वाले हैं उसके जरिये समाज के सामने

[श्री भैरोंसिंह]

आर्थिक शोषण बन्द करने का चित्रण प्रस्तुत कर सकें और जिसके जरिये छोटे-बड़े जागीरदारों को ही नहीं, बल्कि बाकी समाज को भी राहत मिले तो बहुत अच्छा हो। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि जब जागीर प्रथा समाप्त हो रही है तो इस टीकाई की प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिये। यह तो जिस वक्त जागीरदारों से मिलिट्री पुलिस आदि के अधिकार लिये गये जिन कामों के लिये कि जागीरें कायम हुई थीं, उस समय ही टीकाई की प्रथा को समाप्त करना चाहिये था।

लेकिन उस वक्त राजाओं का राज्य था, जनता का राज्य नहीं था। इन गरीबों की आवाज राजाओं तक पहुँचती ही नहीं थी। अब तो जनता का राज्य है। अतः अब तो इन गरीबों की सुनवाई होनी चाहिये। इसलिए मैं राजपूतों की ओर से निवेदन करूँगा कि उनकी ओर से सद्भावना प्राप्त करने के लिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय। मैं इस सदन से और माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि इस अमेंडमेंट को अवश्य स्वीकार करें।

श्री जवानसिंह—दूसरों पर छींटा-कशी करने से पहले क्या माननीय सदस्य यह बतलायेंगे कि उन्हें कम्पेन्सेशन का कितना हिस्सा मिलेगा ?

श्री भैरोंसिंह—मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूँ कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उससे मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। फिर भी मुझे किसी जागीरदार के कम्पेन्सेशन से हिस्सा मिलेगा तो उसे मैं माननीय सदस्य को देने को तैयार हूँ।

श्री अध्यक्ष—कुछ न कुछ मिलेगा तो सही ? यह तो जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह—नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने रोयल ब्रदर्स के लिये रखा है।

(श्री तनसिंह और श्री एच० के० व्यास साथ-साथ बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—We should have discussions above personal level.

श्री खेतसिंह—खड़ा तो पहले मैं हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष—Mr. Vyas catches my eyes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो संशोधन दाँता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने पेश किया है क्या इसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member is very clear on this point. We should come to more important clauses for discussion then.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a very vital question.

श्री खेतसिंह—This is one of the most important clauses.

श्री अध्यक्ष—Are the Treasury Benches going to accept this ?

श्री खेतसिंह—अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वे डेमोक्रेट नहीं हैं। (हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो संशोधन माननीय मित्र, दाँता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और इस आधार पर समर्थन करता हूँ कि उन्होंने दर-असल ऐतिहासिक दृष्टि से, जागीरी प्रथा की मूलभूत बातों को, जिन उसूलों पर जागीरी प्रथा कायम हुई उन बातों को बड़े परिश्रम के साथ खोज कर हमारे, आपके, सदन के और राज्य सरकार के सामने रखा है। यह एक रिलीफ की बात तो है ही, पर साथ ही बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ देने की बात है। हमारा यह इन्स्टीट्यूशन दरअसल लॉ एण्ड ऑर्डर (Law and order) का, प्रोटेक्शन (protection) का इन्स्टीट्यूशन रहा है। इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं उनका उल्लेख नहीं करते हुए मैं यही कहूँगा कि आज जब सरकार मानती है कि इस प्रथा को खत्म करना है तो ऐसी सूरत में यह जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है वह प्रथा की समाप्ति की वजह से दिया जा रहा है, न कि एक व्यक्ति को व्यक्तिगत वजह से दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में इससे ज्यादा न्याय-संगत बात और क्या हो सकती है कि इस तरह का कम्पेन्सेशन सबको दिया जाय। पन्त रिपोर्ट के अनुसार भी इसमें कोई तरह की बाधा नहीं आती है। कम्पेन्सेशन की रकम और बंटवारा, जिनके कि इसमें क्लॉज़ हैं उन बातों को तो मान कर ही चलना चाहिये। मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है वह तो इतना आसान है कि इस संशोधन से हजारों की तादाद में और कुछ कुछ इलाकों में तो लाखों की तादाद में लोगों को फायदा होगा। वैसे देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में इस प्रकार का कानून पहले से ही संशोधित रूप में प्रचलित है (रिवाज प्रचलित है)। उदयपुर वाटो और दूसरे इलाकों में इस प्रकार से पहले से ही जमीन के बंटवारे की प्रथा चालू है तो कोई कारण नहीं है कि कम्पेन्से-शन और रिहेबिलिटेशन के बटवारे के सिलसिले में सारे राजस्थान में यही प्रथा चालू नहीं कर दी जाय।

बस इन्हीं शब्दों में मैं मेरे माननीय मित्र का जो अमेंडमेंट है उसका समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकारी पक्ष इसे स्वीकार कर लेगा।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य जब दांता रामगढ़ से आये हुए सदस्य के संशोधन का समर्थन कर रहे थे तो लूणकरणसर से आये हुए सदस्य ने 'हियर-हियर' की आवाज उठाई। मैं नहीं समझता कि वे दिल से ऐसा चाहते हों कि ऐसा होना चाहिये। यह बात सही है कि सदियों से छुटभाई, किसानों से भी गई गुजरी हालत में रहे हैं। जब हमारे किसानों की दुहाई देने वाली सरकार इतना अच्छा कानून बना रही है तो छुट भाइयों को जिनकी कि हालत किसानों की हालत की तरह ही है उनको भी रियायत देगी। सबसे अच्छी रियायत यही हो सकती है कि जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है उसका हिस्सा छुटभाइयों को भी दे। यदि माननीय मन्त्री इसे स्वीकार नहीं करते तो हकीकत में वे डेमोक्रेट कहलाने के हकदार नहीं हैं। इस काम में उनके सामने कोई बाधा आये तो वह यह कि पंत एवार्ड में कोई गड़बड़ी हो। मैं अच्छी तरह से देख कर आया हूँ कि पंत एवार्ड में कोई क्लॉज़ ऐसा नहीं है कि जिसके कारण वे ऐसा कह सकें कि हमने जागीरदारों को जुबान दे दी है। सरकार इस संशोधन को बड़ी खुशी से

[श्री खेतसिंह]

स्वीकार कर सकती है। यदि ऐसी हालत में भी मन्त्री महोदय इसे मन्जूर नहीं करते हैं तो हम यह सोचेंगे कि मन्त्री महोदय बड़े जागीरदारों की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं छोटे जागीरदारों की तरफ नहीं।

हम मानते हैं कि इस सदन में इलेक्शन से ज़्यादा जागीरदार आये है और उनका रिप्रेज़ेंटेशन इस सदन में ज्यादा है और छुटभाइयों का कम रिप्रेजेन्टेशन है। पर हमें उस वक्त इलेक्शन के समय में यह मालूम नहीं था कि बड़े जागीरदार वहां जाकर अपना ही उल्लू सीधा करेंगे।

(हँसी)

मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि वे न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वे न्याय करें व छोटों को भी अवश्य राहत दें और इस अमेंडमेंट को जिसे कि श्री भैरोंसिंहजी ने मूव किया है उसे मन्जूर करें। यदि इसे अभी मन्जूर करने में असमर्थ हों और सोचने के लिये और समय चाहते हों. तो समय रख कर इस पर पूरा विचार करें। कहीं ऐसा न हो कि अमुक जागीरदार की रिक्वेस्ट करने के कारण ध्यान नहीं दें और जैसा है वैसा का वैसा क्लॉज़ पास कर दें। ऐसा कर दिया तो छुट भाइयों के अन्दर बड़ा असंतोष रहेगा।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है वह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि माननीय मन्त्री महोदय ही इसे स्वीकार नहीं करें तो दूसरी बात है। इसे स्वयं जागीरदार भी स्वीकार करेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला था, हमारी जातीय संस्था में यह शिक्षण उन्होंने दिया था कि जमाना बदल गया है, हमारा हित इसी में है कि कांग्रेस में मिल जायं। जब उन्होंने हृदय से यह बात स्वीकार की है कि बदलना चाहिये तो मेरा ख्याल है कि इतनी सद्भावना तो हमारे साथ भी रखते ही होंगे। हमेशा से जो उनके राजनैतिक शत्रु रहे हैं, उनके साथ समझौता करके औदार्य का वातावरण बना लेते हैं, सद्भावना का वातावरण बना लेते हैं; तो जो भाई हैं, जिनका शोषण आज तक वे करते आये हैं उनकी सद्भावना तो उन्हें हासिल करनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—भाई सामाजिक शत्रु हैं।

(हंसी)

श्री मथुरादास माथुर—Why don't you ask your Leader to speak on this problem.

श्री तनसिंह—जब राजनैतिक शत्रुओं के साथ औदार्य का वातावरण बना सकते हैं तो भाइयों के साथ चाहे वे सामाजिक शत्रु ही हों, उनके साथ तो सद्भावना का वातावरण बना ही लेना चाहिये। अब कांग्रेस में मिलकर उन्हें अजातशत्रु बनना चाहिये। अब रहा सवाल 'कांग्रेस बेंचेज़ की तरफ से, उनको निश्चित रूप से मानना चाहिये कि न उन पर वादा खिलाफी का

[श्री तनसिंह]

आरोप होगा बल्कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने पर निश्चय पूर्वक कांग्रेस की तरफ से समर्थन ही प्राप्त होगा कि कम्पेन्सेशन में से छुटभाइयों के हिस्सों को भी दिया जाना चाहिये। ऐतराज हो तो व्यक्तिगत ही हो सकता है।

इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करता हूँ।

अब यदि किसी प्रकार का ऐतारज हो तो मैं यह समझूंगा कि यह उनका व्यक्तिगत ऐतराज हो सकता है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मेरे मित्र ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि अगर कानूनी अड़चन सरकार को मालूम हो तो इस पर समय लेकर विचार करें और कानूनी सलाहकारों से इस विषय पर राय लें। मैंने पूर्ण रूप से इस पर विचार किया है और सदन के समक्ष रखा है और प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे।

(श्री मथुरादास माथुर द्वारा अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह सवाल जो सदन के सामने अभी उपस्थित हुआ है यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। यह प्रश्न इस प्रकार का नहीं है कि जागीरों को समाप्त करने के बाद जागीरदारों के वारिसों के लोगों को फायदे पहुँचाने के लिए कुछ लोगों ने एक प्रकार की आवाज उठाई है। लेकिन यह बात है सिद्धान्त की। हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जब कि कानून के अनुसार धन और धरती का बंटवारा होकर रहेगा और जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले ५-७ सालों में इस संबन्ध में क्रान्तियें हुई हैं; वे हमारी आँखों से ओझल नहीं हो सकतीं। चीन में जो क्रान्ति हुई, रूस में क्रान्ति हुई और दूसरी जगह जो कुछ होने जा रहा है वह सब हमारे सामने है। इसलिए हमको ऐसे समय में परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए और यह देखना चाहिये कि आज हम इस प्रकार का कानून तो नहीं बना रहे हैं जिससे एक इन्ट्रेस्ट को खतम करके दूसरे इन्ट्रेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। जागीरें किसी समय में उपयोगी थीं और उनको कायम रखने के लिये वे बनाई गई थीं। उस समय के राजाओं और जागीरदारों के लिए यह जरूरी था कि उनका बंटवाड़ा जागीरों और स्टेटों का नहीं हो। लेकिन आज जब जागीरी प्रथा समाप्त हो रही है, आज आप उनको कम्पेन्सेशन दे रहे हैं तो कोई कारण नहीं मिलता कि उनके छुट भाइयों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जावे और उनको कुछ नहीं दिया जावे और उनका बंटवारा नहीं किया जावे, जिसके वे हकदार हैं। मैं सरकार से और जागीरदारों से कहूँगा कि आप प्रभुत्वशाली हैं।

और वही कानून उन पर भी लागू होने चाहिए क्योंकि वे भी आपके खून हैं। ये छुटभाई भी उसी पिता की औलाद हैं और उनको भी वही अधिकार हैं कि उस स्टेट में, उसी स्थिति में वे रहें जिस प्रकार कि आप रह रहे हैं इसलिए जब आप जागीरें समाप्त करने जा रहे हैं तो उस समय उनको भी साथ में लिए जावें। मैं समझता हूँ कि इस तरफ बैठने वाले और उस तरफ बैठने वाले इस विचार करेंगे और अपनी सम्मति देंगे और नहीं दें तो भी इस विषय पर यदि कोई समझौत।

[श्री वेदपाल त्यागी]

सरकार के और जागीरदारों के बीच नहीं हुआ है; फिर भी सरकार को इसे मन्जूर करना चाहिए । मैं पुरजोर शब्दों से इसका समर्थन करते हुए यही कहूँगा कि इस पर विचार किया जावे ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, मैं मेरे मित्र श्री भैरूंसिंह जी के एमेंडमेंट के समर्थन में दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने एमेंडमेंट एक्ट पढ़ा। उसमें कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट जागीरदारों को दिया जावेगा। आइन्दा उनकी विरासतें जो पर्सनल लॉ से गवर्न की जावेंगी वे पुराने लॉ से नहीं बल्कि हिन्दू लॉ से गवर्न की जावेंगी और कम्पेन्सेशन आदि हिन्दू लॉ से दिया जावेगा। जो आइन्दा दिया जाने वाला है उसको दिया जाना चाहिए क्योंकि जिन्दगी का कोई खास भरोसा नहीं। जो चीज मौत के बाद उनके हाथों में पड़ेगी उसको जिन्दगी में ही क्यों न दे दी जावे। अगर जिन्दगी में दे दी जावे तो भी उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि Law of inheritence जागीरदार पर लागू होता नहीं। इसलिए जो अमेंडमेंट आया है वह अच्छी भावना से आया है और इसको मन्जूर करना चाहिये।

दूसरी बात, कानूनी स्थिति जो है वह यह है कि कम्पेन्सेशन जो दिया जावेगा वह मौजूदा जायदाद जिसके पास है उसको दिया जावेगा। मौजूदा जायदाद जागीरदारों के पास है इसलिए कम्पेन्सेशन छुटभाई को नहीं दिया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन आदि ऐसे मामलों में असर नहीं करेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर रेवेन्यू मिनिस्टर यह करेंगे कि रिहेबिलिटेशन को कानूनी दृष्टि से भी एप्लाई किया जा सकता है। ऐसी सूरत में यह सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस एमेंडमेंट को स्वीकार किया जावे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं मेरे मित्र श्री भैरूंसिंह के संशोधन के समर्थन में दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ।

मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जागीर अगर एक ऐसी चीज है कि अगर कम्पेन्सेशन के बारे में यह कहा जावे कि उसका कम्पेन्सेशन छुटभाइयों को नहीं मिलना चाहिए तो मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार कोई भी जागीरदार कम्पेन्सेशन पाने का हकदार नहीं हो सकता है। कम्पेन्सेशन देने के लिए यह दलील दी जाती है कि वह उनकी निजी चीज है और वह उनसे छीनी जा रही है और उसके बदले में उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी दलील यह दी जाती है कि वे बेघरबार हो जावेंगे इस लिए उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि एक जागीरदार के चार बेटे हैं। सबका हक बराबर होना चाहिए, मगर आप उन तीनों को बेघरबार करना चाहते हैं और एक को घरबार देना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि एक को हम बेघरबार करना चाहते हैं। मैं यह कहूँगा कि जागीरदारी जो है उसमें टीकाई हुआ करता है, उसको वह ग्रान्ट मिलती थी। अगर अब सरकार उस टीकाई को जिसके पास सब जायदाद है इस प्रकार का कम्पेन्सेशन देना चाहती है तो गवर्नमेंट मनी और पब्लिक मनी का इतना वेस्टेज होगा कि ७५ प्रतिशत जागीरदारों के बच्चे बगैर घरबार पड़े रहेंगे और कम्पेन्सेशन की रकम टिकाई हजम कर जावेगा। इस तरह से मैं यह कहूँगा कि जो

[गोपीलाल यादव]

उद्देश्य सरकार का कम्पेन्सेशन देने का और रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट देने का है वह समाप्त हो जाता है।

टीकाई की स्थिति यह है कि वह एक लीडर ऑफ दी फेमिली की हैसियत से काम करेगा और इसका मतलब यह नहीं कि बाकी भाइयों को खाने-पीने को नहीं मिलेगा। जागीरदारी हमेशा टीकाई के पास रही है। जागीरदारों में कुछ ऐसे जालिम लोग रहे हैं जिन्होंने छुटभाइयों को कुछ नहीं दिया। अब जब जागीरदारी समाप्त होगी तो उस वक्त कम से कम छुटभाइयों की इस हिस्से में समानता अवश्य होनी चाहिए। अगर ज्यादा हिस्सा छुटभाइयों का रख दिया जावे तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। ज्यादा इसलिए रखा जाना चाहिये कि उन छुटभाइयों के पास कुछ नहीं है। अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि छुटभाइयों की बनिस्पत उनके (जागीरदारों के) घरों में ज्यादा माल मिलेगा और छुटभाई गरीब मिलेंगे। जागीरदार लोग ज्यादा जमीन अपने नाम बढ़ाते जाते हैं और छुटभाइयों के पास कम करते जा रहे हैं। इसलिये अगर हम देना चाहें तो जो टीकाई है उसको २० प्रतिशत ज्यादा दे दिया जावे और बाकी ८० प्रतिशत सब में बाँट सकते हैं। अगर टीकाई की हालत बहुत अच्छी नहीं है, अगर वह इतना ईमानदार रहा है कि उसने अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है तो सब को बराबर बाँट दिया जाना चाहिये। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपको अगर यहाँ पर शान्ति पैदा करनी है और सद्भावना रखना है तो छुटभाइयों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिये। अगर यह प्राइमोजेनिचर का लॉ रहा तो छुटभाई कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको अवश्य जागीरदारों की भलाई के लिए स्वीकार किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस बारे में कई तरह की अलग-अलग रायें आई हैं और अगर सदन को ऐतराज न हो तो इसका जवाब भी मैं कल दे दूंगा। दूसरी दो धारायें और हैं उनके साथ इसका भी जवाब दे दूंगा।

('कोई एतराज नहीं है' ऐसी सदन में आवाज)

श्री अध्यक्ष—खण्ड २३, श्री चान्दमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

(विराम)

आप (राजस्व मन्त्री) इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Yes.

श्री अध्यक्ष--[The amendment is as under—

"(a) In clause 23 the following marginal heading be added at the beginning—

'Amendment of section 31, Act VI of 1952'

(b) The words and figures 'section 21' occurring after the words 'issued under' shall be substituted by the words 'that section',

In section 31 of the Principal Act the following proviso shall be added to sub section (i).

'Provided that the Jagir Commissioner may entertain a statement submitted after the period prescribed in this section if he is satisfied that the jagirdar was prevented by sufficient cause from submitting the statement within the prescribed time.' "]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, एक संशोधन मैंने भी प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन मुझे अभी मिला है।

श्री श्यामलाल गोयल—यह एक टेक्निकल अमेन्डमेंट है और इसकी मुझे इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर इस तरह से हाउस में ही (संशोधन) आवेंगे तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। मैं इसको पढ़ देता हूँ।

"Sub-clause (b) of clause 23 shall be deleted, i. e. the words 'Jagir Commissioner' shall not be substituted by the words 'prescribed authority in Section 31 of the Principal Act.' "

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—I have no objection.

श्री अध्यक्ष--Then we take that this motion has been moved.

The question is that "sub-clause (b) of clause 23 shall be deleted; i. e the words 'Jagir Commissioner' shall not be substituted by the words 'prescribed authority in section 31 of the Principal Act.' "

[श्री अध्यक्ष]

be accepted.

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३, संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड २३, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड २४। श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेंट क्लॉज़ २४ में यह है, "The proposed part (a) of the clause be deleted and present sub-clause (b) be numbered as (a)."

मेरा ख्याल यह है कि यह ऐसी कोई कठिन बात नहीं है और न ही मुझे कुछ ज्यादा कहने की इच्छा है। ओरिजिनल एक्ट में ये शब्द हैं,

"On receipt of a statement of claim under the last preceding section or, if no such statement of claim is received within the period specified in that section, on the expiry of that period, the Jagir Commissioner shall, etc. etc," अब जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा "or if no such statement of claim is received within the period specified in that section, on the expiry of that period." शब्द ओमिट किये जा रहे हैं। इस प्रकार सेक्शन ३२ यों रीड करेगा : "On receipt of a statement of claim under the last preceding section the Jagir Commissioner shall..." इत्यादि-इत्यादि......

तो यह भी मुमकिन है माननीय अध्यक्ष, कि स्टेटमेंटस में इनकम इत्यादि के आँकड़े मांगे गये हैं वे आंकड़े उपलब्ध किये जांय लेकिन जब मियाद पूरी हो जायगी तो एक्सपार्टी करने का जो प्रोविजन धारा ३२ में है उसको क्यों हटा दिया जाय ? बन्धनकारी जो तरीका जागीर कमिश्नर के लिए रखा गया है उसमें क्यों परिवर्तन किया जाय ? सेक्शन ३२ जो पहले था उसको वैसा ही रखा जाय तो ठीक रहेगा।

श्री जवानसिंह—I don't want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—जवाब दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह समय इसलिए रखा गया है कि बाद में स्टेटमेंट आयें तो उनको स्वीकार किया जाय। इसमें रुकावट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे टाइम लिमिट नहीं रहे इसी लिहाज से इसको हटा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—इसको आप प्रेस करेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इस संशोधन को वापिस लेने को सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

सदन की स्वीकृति है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २४ स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड २४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २५.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २५ स्वीकार किया जाया?

(स्वीकृत)

खण्ड २५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २६, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरूँसिंह (वि० स० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 26 :—

[श्री भैंरोंसिंह (वि० स० १६)]

"The following new sub-clause be inserted as sub-clause (2) and the existing sub-clause (2) be renumbered as sub-clause 3—

'2—The following proviso should be inserted to sub-section 1 of section 35 of the Principal Act:—

'Provided that the Jagirdar whose annual rental income does not exceed rupees 5000/- shall be paid half of the compensation in lump sum and the rest in two annual instalments.' "

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३५ के मातहत जब सभी प्रकार के डिडक्शन्स होने के बाद में जागीर कमिश्नर के सामने एक मसला रह जाता है कि किसी जागीरदार को इस एक्ट के मातहत कम्पेन्सेशन देना है तो वह निश्चय करेगा कि इस कम्पेन्सेशन को कितने इन्स्टालमेंटस में देना है ? इसमें यह तय किया गया है कि १५ इन्स्टालमेंटस में वह कम्पेन्सेशन दे दिया जाय और यदि जागीरदार की अनुमति हो तो वे पन्द्रह इन्स्टालमैंटस हाफ इयरली (half yearly) इन्स्टालमेंटस में यानि ३० इन्स्टालमेंटस में दिये जा सकते हैं। जहां तक कम्पेन्सेशन देने का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरु में ही इसका विरोध किया था कि जागीरदारी प्रथा को बिना मुआवजा दिये ही समाप्त किया जाय लेकिन सरकार के सामने कुछ ऐसी अड़चने हैं कि वे जागीरदारी बिना मुआवजा के समाप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह तय कर दिया है कि जागीरदारों को मुआवजा देना है, फिर भी मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं सरकार के सामने से सुझाव रखूं कि जो जागीरदारी समाप्ति के लिए मुआवजा दिया जा रहा है उसका तरीका क्या होगा ? जो इस धारा के द्वारा तरीका अपनाया गया है उससे छोटे जागीरदारों को किसी तरह से राहत नहीं मिल सकेगी। इस सम्बन्ध में छोटा-सा सुझाव मैं माननीय मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहता हूँ और आप सब भी उस पर विचार करें। बड़े जागीरदारों को रिहेबिलिटेट करने के लिए तो कोई कठिनाई नहीं होगी किन्तु छोटे जागीरदारों के लिए कई कठिनाइयां सामने आने वाली हैं और जो कठिनाइयां सामने आने वाली हैं उनको माननीय मन्त्री महोदय स्वयं भी महसूस करते हैं और महसूस करते हैं इसीलिए उन्होंने यह किया कि छोटे जागीरदारों को भी कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए मुआवजा मिले। परसों माननीय मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने मेथेमेटिकल केल्कुलेशन के आधार पर बताया और छोटे जागीरदारों को उन्होंने सम्बोधित करते हुए बताया कि जागीरदारी की समाप्ति पर जिस जागीरदार की आमदनी २५०) रु० या उससे (२५०) से कम है तो २२५ रुपये १५ साल तक मिलते रहेंगे। यदि इस पर भी मैं विश्वास कर लूं तो माननीय अध्यक्ष, यही माना जायगा कि जागीरदारी प्रथा कम से कम १५ साल तक के लिए तो समाप्त नहीं हुई है और उसको १५ साल तक के लिए जारी रखा गया है। अगर उनको २५०) रुपया मिलता है तो उनके जीवन-निर्वाह के लिए ही होगा। २२५) रुपया इन्वेस्ट करके वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके आधार पर दो-तीन वर्ष या १५ साल तक बाद भी कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन नहीं मिला तो वह उन्हीं २२५) रुपयों पर आश्रित रह जायगा। उनको तो कोई एक मुश्त रकम देनी चाहिए जिससे कि वह उसको इन्वेस्ट करके उससे लाभ

Page No.140

[श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)]

हासिल कर सके और उसके आधार पर कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन अलाउन्स को हमेशा के लिए तिलान्जली दे दे। वह रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार का आश्रित न बना रह सके, किन्तु वह जीवन-निर्वाह के साधन जुटा सके।

सवा दो सौ या ढाईसौ रूपया जो दिया जायगा उससे कोई उनका जीवन-निर्वाह होने वाला नहीं है। २२५) या २५०) रुपये को यदि किसी चीज में इनवेस्ट करते हैं तो उससे कोई जीवन-निर्वाह के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते। ढाई सौ रुपये केवल उनके रोजाना के खर्च के लिये ठीक हो सकते हैं किन्तु उनको अपने जीवन-निर्वाह के साधनों को स्थायी तौर से जुटाने में ये ढाई सौ रुपये कुछ काम नहीं दे सकते। उनको रिहेबीलिटेट करने की उतनी बड़ी समस्या नहीं, बल्कि उनके खाने-पीने के प्रबन्ध को करना है। आपको यह सिद्धान्त मानना चाहिये कि जागीरी प्रथा के समाप्त होने के बाद वे कोई ऐसा काम, धंधा शुरू कर लें, जिस काम धंधे के कारण वे अपना-निर्वाह ठीक चला सकें और समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकें। ये ढाई सौ रुपये महज डेली एक्स्पेन्डीचर (daily expenditure) के लिये काफी हो सकते हैं। किन्तु यदि वे इसको इन्वेन्स्ट कर किसी काम-धंधे या व्यापार, घरेलू उद्योग-धंधों में लगाना चाहें चाहे किसी होम इन्डस्ट्री या एग्रीकल्चरल काम के जरिये वह इन्वेस्ट करे, उस रकम से फायदा उठावे तो वे लोग कमा नहीं उठा सकते।

बड़े जागीरदारों को चाहिये कि सरकार के सामने जो आर्थिक संकट है उसको देखते हुए वे अपने मुआवजे की रकम को तीस इन्स्टालमेंट के बजाय ६० कर दें। तो इससे सरकार के सामने कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अगर उनको ढाई हजार रुपये एक साथ दे दिये जांय तो उनका काम चल सकता है, ताकि इस रुपये को वे किसी धंधे या व्यापार में इन्वेस्ट करके जीवन-निर्वाह के साधन जुटा सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस पुनर्संस्थापन की समस्या को ठीक तरह से सुलझाने के लिये उनको चाहिये कि ऐसे छोटे जागीरदार जिनको ढाई सौ रुपये तक दिया जाने वाला है उनको एक मुश्त रकम दे दी जाय ताकि सरकार पर उनको बसाने का बर्डन न आये और जनता पर भी विशेष बर्डन न रहे। इस रकम को वे अपने काम-धंधे में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन-निर्वाह के साधन जुटा सकते हैं। इस समस्या को लेकर आर्थिक संकट आ सकता है, किन्तु यदि इस प्रकार हल किया गया कि बड़े जागीरदारों को उनका कम्पेन्सेशन ज्यादा इन्स्टालमेंट में दिया जा सकता है और छोटे जागीरदारों को कम इन्स्टालमेंट में दिया जा सकता है इससे हमारी आर्थिक समस्या का हल हो सकता है और छोटे जागीरदारों को भी राहत मिल सकती है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी आपने रिमार्क इस क्लॉज़ पर दिया है वह साफ है...

श्री अध्यक्ष—Is it within the Competence of this House ?

श्री जवानसिंह—(जारी) अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जैसी कि अभी आशंका प्रगट की गई। इसमें दो बाते हैं। पहली बात तो

Page No.141

[श्री जवानसिंह]

यह है कि वे टेक्सेज़, जो हमारी सरकार के आधीन हैं, वसूल करने या न करने का अधिकार हमारी सरकार को है; दूसरे वे टेक्सेज़ हैं जो हमारी सरकार के आधीन नहीं हैं, जो कि केन्द्रीय सरकार के आधीन हैं और जिनको हमारी प्रान्तीय सरकारें किसी तरह कम या बेसी नहीं कर सकती। जहां तक हमारे एग्रीकलचर इन्कम टैक्स का सवाल पैदा होता है मैं यह मानता हूँ कि यह हमारी सरकार के आधीन बात है, उनके अधिकार में है कि वे चाहे एग्रीकलचर इनकम टेक्स वसूल करें या न करें। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। अगर वास्तविक रूप में हमारी सरकार यह महसूस करती है कि इनको बसाया जाय तो वे उनको बसाने में ठीक तरह से तभी कामयाब हो सकते हैं और उसके बाद सच्चे नागरिक बन सकते हैं। सही रास्ते पर चल सकें तो इस वक्त जो फायदे जागीरदारों को दिये जा रहे हैं उनके साथ में एक और फायदा भी दिया जावे ताकि जो चीज वास्तविक रूप में, आप जिसका स्वप्न देख रहे हैं वास्तविकता के साथ वह तभी पूरा हो सकती है जब कि आप उनको इन्कम टेक्स आदि चीजों से छुटकारा दे दें। वैसे इस चीज को सब मानते हैं कि जो कुछ भी मुआवजे के रूप में या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट के रूप में दिया जा रहा है उसमें से ५० प्रतिशत खर्चा ट्रिब्यूट आदि बातों में कट जायगा और उसके बाद में जैसा कि एक प्रोविजो का क्लॉज़ रखा है उस जरिये माननीय मन्त्री इस बात को मानते हैं कि ५० प्रतिशत नेट इन्कम जागीरदार के पास रह जायगी। ऐसी हालत में अगर एग्रीकलचर इन्कम टेक्स जो हमारी सरकार के आधीन है, वसूल कर लिया गया तो मेरा ख्याल है कि वह रकम और भी कम हो जायगी। विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिये, जिनके ऊपर कर्ज वगैरह हैं, दूसरी तरह की लाइबिलिटीज़ हैं ये तमाम चीजें कम्पेनसेशन ग्रान्ट या रिहेबीलिटेशन ग्रान्ट में से वसूल कर लिये गये तो मेरा ख्याल है कि जिस ख्याल से जागीरदारों को आप मदद देना चाहते हैं, उनको बसाने के लिये जो कुछ आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल नहीं हो सकेंगे और उस स्वप्न को वास्तविकता का रूप नहीं दे सकते। जिनको आप बसाना चाहते हैं, असलियत में आप बसा न पायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनको जो फायदा देने जा रहे हैं, जो कम्पेनसेशन देने जा रहे हैं उसके साथ में यह भी प्रोवीजो जोड़ दिया जाय। जो कुछ कम्पेन्सेशन सरकार देती है उस पर इन्कमटेक्स और किसी भी तरह का टेक्स नहीं लिया जायगा। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे इस अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लेंगे।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं भैरोंसिंहजी द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट का समर्थन करना चाहता हूँ। श्री भैरोंसिंह ने जो क्लॉज़ २६ में अमेंडमेंट मूव किया है उसके समर्थन में कुछ दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ।

मैंने कई बड़े जागीरदारों से समय-समय पर बात-चीत की है उनको काफी लम्पसम अमाउन्ट कम्पेन्सेशन के रूप में मिलने वाला है। उनको यदि पन्द्रह की जगह पच्चीस इन्स्टालमेंट में करवा सकते हैं, वैसी हालत में छोटे भूस्वामियों को आधा कम्पेन्सेशन एक साथ दे दिया जाय तो उनके एक साथ जमने में काफी सहूलियत होगी। सरकार यदि इस प्रकार का प्रोपोजल हजार या पाँचसौ की जागीरी वालों के लिये मन्जूर करने के लिये तैयार नहीं है तो उनको बहुत कम कम्पेन्सेशन मिलेगा; २०-२५ रुपये

[श्री खेतसिंह]

सालाना देने से कुछ भी सवाल हल नहीं हो सकता। अगर उनको एक साथ दे दिया जाय तो उनको बसने के लिये काफी सहूलियतें मिल सकती हैं। इसके साथ में यह भी हो सकता है कि बड़े जागीरदार जिनको कि २०-२५ हजार रुपया मिलता है उनको १५ हजार देकर लम्बे पीरियड पर बसाया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भेरोंसिंहजी का अमेंडमेंट मन्जूर कर लिया जाय। मेरा ख्याल है वे इसे मन्जूर करते ही होंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, इस अमेंडमेंट के बारे में जो मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आये हैं, रखा है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। अगर सरकार के पास इतना पैसा है तो एक मुश्त में देने में भी हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे मित्र ने जो बातें तोड़-मरोड़ कर रखी हैं, उन्होंने यह कहा कि बड़े जागीरदारों को १५ के बजाय २५ किश्तों में देना चाहिये और छोटों को कम किश्तों में और आगे चलकर उन्होंने यहां तक कहा कि बिना मुआवजा दिये ही जागीरों को खत्म कर दिया जाय तो उनके लिये शायद यह बड़ी बात नहीं; किन्तु इसके बारे में दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूँ। इस समय देश में दो-तीन प्रकार की विचार-धारायें चल रही है। एक विचारधारा जो है वह यह कि जो जागीरदार या किसी व्यक्ति से कोई सम्पत्ति ली जाय तो उसको मुआवजा दिया जाय। इस विचारधारा को मानने वाले लोग इसी विचारधारा से चलते हैं।

एक विचारधारा है हमारे साम्यवादी सदस्य और जनसंघी मित्र की। इन लोगों की विचार-धारा है कि मुआवजा किसी प्रकार का देना ही नहीं चाहिये। उन लोगों के लिये माननीय मन्त्री इस बात का वेरिफिकेशन कर दें कि जो व्यक्ति अपने आप बिना मुआवजा लिये अपनी जागीरों को सरेन्डर करना चाहते हैं क्योंकि इस विचार के भी कई जागीरदार हो सकते हैं जो अपनी जागीरें बिना मुआवजा ही सरेन्डर कर दें तो उनको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। उनको मुआवजा नहीं दिया जाय। जो व्यक्ति रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट या मुआवजा नहीं लेना चाहते उन लोगों को वह रकम नहीं लेनी चाहिये, ऐसे उदार विचार वाले व्यक्ति कोई हों तो उनका स्वागत करना चाहिये।

इससे उनकी पार्टियों का भी प्रचार होगा और सरकार को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह दो शब्द कहकर मैं अपने मित्र से भी अपील करूंगा कि अपना मुआवजा भी सरेन्डर कर दें तो सरकार के लिये यह बहुत अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जनरल डिबेटस इस सम्बन्ध में हुई थीं और पाँच हजार के नीचे की जागीरों के सम्बन्ध में भी जब उस धारा पर विचार किया जा रहा था तो इसके सम्बन्ध में काफी कहा गया था, । यह अमेंडमेंट कि छोटे जागीरदार हैं उनको दो किश्तों में मुआवजा दे दिया जावे, अगर आर्थिक दृष्टि से सम्भव होता तो इसको स्वीकार करने में हमें कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन जिस सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो और जैसी कि आज सबको विदित है कि हमारी आज की आर्थिक स्थिति क्या है,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यह चीज आज से कह देनी वाजिब नहीं होगी और इसलिए मैंने उस समय भी यह कहा था कि कुल मिलाकर इसकी कितनी रकम होती है, यह मालूम करके हम यह विचार करें कि क्या ऐसी कोई सम्भावना हो सकती है कि जिससे हम कम किश्तों में यह रकम चुका सकें। बजाय १५ किश्तों के १० किश्तें कर दें या इससे भी कम-ज्यादा कर दें। पर आज तो मैं अपने आपको इस स्थिति में कतई नहीं पाता कि कानूनी तौर पर इस चीज को यहाँ लाकर कानूनी तौर पर इस बारे में कोई चीज तय कर लें। इसीलिए इसे स्वीकार करने में मैंने पहले भी अपनी असमर्थता जाहिर की थी और आज भी इसे स्वीकार करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ।

और भी इधर-उधर की कई चर्चाएं हुई। यों ही जागीरें सरकार को वे सौंप दें, ताकि काफी रकम सरकार के पास आ जावे। तो इसमें कोई ऐसी चीज मैं नहीं देखता कि जिसका यहां जिक्र करूं। कोरी भावनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता। वे स्वयं अगर अपनी जागीरें बिना मुआवजा देने को तैयार हों तो हमें इसमें एतराज नहीं होगा। पर, इन चीजों को सामने रखकर इन धाराओं पर विचार करने से लाभ नहीं होने वाला है।

यह भी कहा गया कि हम इन्हें सारे टेक्सों से फ्री डिक्लेअर कर दें कि जो कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन ग्रान्टस दी जाएंगी इन पर कोई टेक्स नहीं होगा। मैं इतना, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन की ग्रान्ट की रकम पर इनकम टेक्स फ्री होता है, इन पर इनकम टेक्स नहीं लगता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से टेक्स भी नहीं लगते हैं और जहां तक मुझे याद है कोई ऐसा टेक्स मुझे स्मरण नहीं कि जो इन पर लगता हो। पर कानून से इस प्रकार की बात कह देना अनुपयुक्त होगा। हो सकता है कि कोई टेक्स ऐसा हो जो आगे जाकर लगे और आज भी मेरी जानकारी में न हो और वह लगने वाला हो। इसलिए सभी टेक्सों से फ्री हो जावेगा, यह कह देना और कानून में इस तरह का इन्द्राज कर देना अनुपयुक्त होगा। इसलिए मैं इस चीज को भी स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

फिर जो छोटों के मामले में एक बात कही जाती है कि उनको जो २२५), ५००) या हजार रुपये जो भी रकम इस तरह की मिलेगी मुआवजे के तौर पर उससे वे बस नहीं सकेंगे क्योंकि यह रकम बहुत छोटी है, इससे अधिक रकम दी जावेगी तो सहूलियत हो सकती है बसने की। इसके लिए हमने एक बात रक्खी है कि बोंडस में कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन की ग्रान्टों की रकमें देने की बात थी और इसको तय करने के पीछे मूल में यही विचार है कि अगर कोई जागीरदार चाहे तो वह इन बोंडस को दूसरी जगह रखकर इनके बजाय लोन प्राप्त कर सकता है और इस तरह से, क्योंकि उनको लोन्स मिल जाता है, बोंडस के बजाय रुपया प्राप्त करके अपने आपको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इस गुंजाइश के लिए ही बोंडस की बात रक्खी गई है। यह सम्भव है कि पूरा का पूरा रुपया तो बोंडस पर नहीं मिल सकेगा पर इससे कम मिल सकता है और इसकी गुंजाइश इस बोंडस को रखने की बात से मिल सकती है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इसके अलावा और भी छोटे जागीरदार हैं। उनके लिए पन्तजी की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, हमने एक बात स्वीकार की है कि अगर उनको दूसरी जगह बसना है तो वहां बसने के मकान, जमीन की तरक्की और खेती के औजार वगैरह के लिए सरकार लोन देगी और यह लोन दो हजार या इससे ऊपर के आसपास हो सकता है और यह लोन जो सरकार देगी वह किश्तों में वापिस लेगी। तो इस तरह से उनको सरकार लोन के जरिये भी मदद कर सकती है। वे यह समझकर नहीं चलते हैं कि हम केवल मात्र जो कुछ उन्हें मिलेगा उतना ही देंगे, इसके अतिरिक्त नहीं मिलने वाला है।

एक बात यह भी कही गई कि उनकी आमदनी अभी अगर २५०) है तो कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन की ग्रान्ट के रूप में २२५) मिलेगा, यह उस रोज मैंने कहा था। उसमें मेरा भाव ऐसा ही था कि उनकी आमदनी पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ने वाला है और रिहेबिलिटेशन के लिए और भी रास्ते हम खुले रख रहे हैं, जिससे वे अपने आपको रिहेबिलिटेट कर सकें।

इन बातों को कहने के बाद में ये जो दोनों संशोधन आये हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ और आशा करता हूँ कि वे उन्हें वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—Yee, Shri Bharon Singh.

श्री भैरूंसिंह—I want to press my amendment, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड २६ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खण्ड २७, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to move it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Shri Jawan Singh,

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज़ में तो बहुत ही साधारण सा संशोधन है और इस संशोधन के प्रति सद्भावना तो माननीय राजस्व मन्त्री ने इस धारा से पहले वाली धारा में ही प्रकट कर दी थी और उस सद्भावना को मैं उसी रूप में और उसी मूल्य पर इस समय भी मानकर चलता हूँ कि इस संशोधन को वे अवश्य मन्जूर करेंगे ।

यहाँ पर 'bonds' शब्द यूज़ किया गया है । इस पर मेरे संशोधन के बारे में यह निवेदन करना है कि इसके पहले 'negotiable' शब्द और बढ़ा दिया जावे और इस तरह 'bonds' के बजाय 'negotiable bonds' शब्द हो जावेंगे । इससे यह होगा कि जो भी बौंडस रिहेबिलिटेशन के सिलसिले में दिये जावें वे बाजार में भी जा सकें और इनकी कीमत भी जैसे सरकारी और दूसरे नेगोशिएब्ल बौंडस या इन्स्ट्रूमेंटस की होती है वैसी ही हो जावे । इसका तात्पर्य यह होगा कि यह सवाल बाजार में पैदा नहीं होगा कि इन बौंडस को खरीदने के बाद में कभी खरीदने वाले को सरकार से इसका रुपया मिलेगा भी या नहीं, यह आशंका नहीं रहेगी । यह आशंका वैसे तो मैं इतनी गम्भीरता से नहीं करता पर फिर भी यह शक इसलिए पैदा हो जाता है कि पता नहीं पाँच साल और आने वाले दस सालों में यही सरकार रहेगी या दूसरी आवेगी, क्योंकि इसका समय तो १५ साल का रखा गया है । पता नहीं इस बीच में इसी पाँच साल के बाद में हमारे साम्यवादी भाइयों का यहाँ पर राज्य हो जावे और यह दस साल, पन्द्रह साल की जो किश्तें हैं, जो दस साल और पन्द्रह साल बाद में दी जाने वाली हैं; तो उसमें भी कमी पड़ जावे, इसलिए यह संशोधन मैंने रक्खा है ।

('ऐसी आशा रखना यह भी प्रोटेस्ट है' एक सदस्य)

इसलिए निवेदन करूंगा कि उनके इस हक को स्थिर रूप से मान लिया जावे । ये नेगोशियेबल बौन्डस जारी करके और इस तरह से ही जो कम्पेन्सेशन आप उनको देने जा रहे हैं वह वाकई में उनको मिलेगा और इसी तरह से इस कम्पेन्सेशन की रकम का पूरा पूरा फायदा जागीरदार लोग उठा सकेंगे । फिर चाहे यह सरकार रहे या कोई दूसरी आवे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 'Negotiable' शब्द और जोड़ दिया जाये ताकि इसमें सरकार और जागीरदार दोनों को फायदा हो । इसमें सरकार को आज पैसा देने का सवाल भी पैदा नहीं होता है, पन्द्रह साल के बाद ही सरकार

[श्री जवानसिंह]

को पैसा देने का सवाल है। सरकार इतना पैसा, जितना इस बौंड में लिखा हुआ है उस समय देगी। जिस समय वह बौंड मेच्योर होता है; इसमें फर्क सिर्फ यह होता है कि इसकी कीमत जैसे दूसरे नोटस हैं वैसी हो जावेगी और दूसरी लाभ की बात यह होगी कि लेने वाले को इसकी कीमत में फर्क आने का भी संशय नहीं रहेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को अवश्य मन्जूर किया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को यह मालूम होगा कि नेगोशियेबल बौंडस को इश्यू करने के बारे में यह सदन कॉम्पीटेन्ट नहीं है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही केवल नेगोशियेबल बौंडस के मामले का कानून बना सकती है। उनके नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक और सदन के अन्दर इस प्रकार की चीज को हम स्वीकार करेंगे तो वह अवैधानिक चीज है और उपयुक्त नहीं होगा। इतना ही मात्र मैं कहना चाहता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—इनको जो डर है उसको निकाल दिया जाय।

श्री जवानसिंह—I want to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री जवानसिंह—I withdraw it.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २७ विधेयक का अङ्ग बना।

श्री अध्यक्ष—Clause 28.

श्री मथुरादास माथुर—Should it be taken as moved ?

श्री अध्यक्ष— Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I beg to move the following amendment to clause 28:—

"In the proposed new section 36, clause (a), first line Substitute the word 'no' in place of 'any'"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा खयाल है कि इन्हें अगर माननीय मन्त्रीजी पढ़ेंगे तो यह नजर आयेगा कि भाग (ए) में—

"If any deductions are to be made under section 35......"

और भाग (बी) में—

"If deductions are to be made as aforesaid......"

यदि भाग (ए) और भाग (बी) दोनों का ताल्लुक डिडक्शन्स से होने वाली परिस्थिति से है तो फिर अलग-अलग भाग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि अलग अलग केटेगरीज हैं तो शायद मेरा खयाल है कि भाग (ए) का ताल्लुक उस परिस्थिति से है कि जिसमें डिडक्शन्स करने की आवश्यकता नहीं और दूसरे भाग का ताल्लुक उस परिस्थिति से है जिसमें डिडक्शन्स करने की आवश्यकता है। तो "any" शब्द के बजाय "No" शब्द होना चाहिए। और कोई खास तरह की बात इसमें मुझे नजर नहीं आई। मैं इन शब्दों के साथ एमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है और जो एमेंडमेंट मूव किया गया है, जो धारा रखी गई है उसके अन्दर जो जोधपुर के माननीय सदस्य ने रखा है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ और श्री मथुरादासजी माथुर ने जो एमेंडमेंट रखा है वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—I do'nt want to move.

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I don't want to move.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री मथुरादास माथुर ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे अनुमति दी जाय जिससे कि मैं अपने संशोधन को वापिस लूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस संशोधन को वापिस लिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २८ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड २६

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री वेदपाल त्यागी।

श्री वेदपाल त्यागी—I don't want to move.

श्री अध्यक्ष—श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Should my amendment be taken as moved, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह—I beg to move the following amendment to clause 29 :

"(a) Substitnte the words 'as soon as may be' by words 'within a period of six months' occurring in the third line of section 38B sought to be inserted in the Principal Act.

(b) Insert the following new sub-section as 38-D after 38-C to be inserted in the Principal Act :—

Page No.149

[श्री भैरोंसिंह]

'38-D. The provisions of chapter VII shall, so far as may be, apply to the determination and payment of rehabilitation grant under this chapter as they apply to determination and payment of compensation.

Provided that the rehabilitation grant will be paid in lump sum to jagirdars having the rental income of the jagir land less than 5000/-rupees,' "

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है उसके बारे में तो इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि दुबारा वह विचारधारा माननीय सदस्यों के सामने रखूंगा तो उसका जवाब भी वही जो अभी कम्पेन्सेशन के बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है, होगा।

मेरा पहला जो संशोधन है वह ३८ बी में "As soon as may be" इसके बजाय 'Within a period of six months' कर दिया जाय। इसको सब्स्टीट्यूट करने के बाद यह धारा यों पढ़ी जायगी :—

"Every jagirdar whose jagir land is effected by a notification issued under section 21 shall, **within a period of six months** after the publication of such notification in the Rajasthan Gazetti apply in writing in the prescribed form to the priscribed authority for determination and payment of rehabilitation grant."

ये "as soonas may be" शब्द इसके अन्दर रहने से कई प्रकार की अड़चनें पैदा हो सकती हैं। कोई आदमी एक वर्ष बाद दरख्वास्त दे या १५ दिन बाद दरख्वास्त दे, कोई ६ महीने में दरख्वास्त दे। इसके सारे का इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार जागीर कमिश्नर के हाथ में रहेगा। जागीर कमिश्नर इन चीजों का हर प्रकार से इन्टरप्रिटेशन कर सकेगा। इसका इन्टरप्रिटेशन दूसरीत रह का न हो जाय इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि इसमें टाइम लिमिट कर देना चाहिए कि ६ महीने के अन्दर-अन्दर दरख्वास्त दे तो सुनवाई होकर कम्पेन्सेशन उनको दिया जाय। मैं समझता हूँ कि मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है और उसको स्वीकार करने में किसी प्रकार का डर नहीं है।

दूसरा मेरा संशोधन वैसा ही है जैसा कि संशोधन श्री मथुरादासजी माथुर ने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ वह भी स्वीकार हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—श्री मथुरादासजी ने जो संशोधन मूव किया है उनको मैं स्वीकार करता हूँ। उनका इसमें समावेश हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—दूसरे नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं।

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह से) क्यों साहब, आप प्रेस करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना एक (दूसरा) संशोधन तो वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

श्री भैरोंसिंह—मैं अपना दूसरा संशोधन वापिस लेता हूँ।

(विराम)

क्लॉज़ ३८ बी पर जो मेरा संशोधन है उसको सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि क्लॉज़ ३८ बी पर जो श्री भैरोंसिंह का संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरादास माथुर ने पेश किये हैं वे स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ३०, श्री तनसिंह

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एमेंडमेंट टेकनिकल है और मैं मानकर चलता हूँ कि वह मूव हो गया है।

[श्री तनसिंह]

बात यह है कि इसमें लिखा गया है कि "sub cluase 2 of part of clause 28," तो सबसेक्शन (२) क्लॉज़ २८ में तो है ही नहीं । पहले ओरीजिनल एक्ट में तो था, लेकिन इस एक्ट की क्लॉजेज़ के मुताबिक एमेंड होकर वह सेक्शन (ए) और (बी) हो गये हैं और इस सेक्शन का ताल्लुक एपीलेबल सेक्शन्स से हैं इसलिये सब सेक्शन (२) के बजाय सेक्शन २८ रह जाय तो वह इसके मातहत अपीलेबल हो जायगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एमेंडमेंट देने में जो गलती हो गई है वह यह है, "words figures and bsackets," हटाये जाते हैं, इसकी जगह वर्ड्स हो जाने चाहिए। अगर इसकी इजाजत मिल जाय तो मैं पेश कर दूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—There is no harm.

श्री अध्यक्ष—आप देख लीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह श्री मथुरादास माथुर के एमेंडमेंट में है ।

श्री अध्यक्ष—If it covers his (shri Mathur's) amendment then withdraw it.

(विराम)

आपका (श्री तनसिंह का) दूसरा संशोधन है ?

श्री तनसिह—उन्होंने और कोई संशोधन किया है तो मालूम नहीं ।

श्री अध्यक्ष—It has been circulated to all the Members.

श्री मथुरादास माथुर—I formally move it and read it out. My amendment is like this :—

"For clause 30 (a) of the Amending Bill the following shall be substituted :—

'(a) in sub-section (1)—

(i) after the word and figures 'section 25' the word, figures and letter 'section 26-A' shall be inserted;

(ii) the word 'and' shall be omitted, and

[श्री मथुरादास माथुर]

(iii) after the word and figures 'section 38', the words and figures 'or section 38B' shall be inserted."

श्री अध्यक्ष—I think it meets your purpose.

श्री वेदपाल त्यागी—I do'nt want to move.

श्री भैरूँसिंह (वि० स० १६)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 30 (b) :—

"Insert the following sub-section after sub-section (1A) sought to be inserted in section 39 of the Principal Act.

'(1B) Any person aggrieved by an order made by the Commissioner Khudkasht under section 16 of the Principal Act may appeal to the Board'."

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) आप इसे स्वीकार करेंगे क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी, नहीं।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६) - माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १६ के मातहत जब खुदकाश्त के लिये किसी व्यक्ति को दरख्वास्त देनी चाहिये तो दो ऐसे अधिकारी हैं जिनके सामने दरख्वास्त प्रस्तुत हो सकेगी। एक तो यह कि ३० एकड़ से कम जमीन हो और जिस पर किसी को खातेदारी के राइट्स नहीं मिले हों तो कलेक्टर के पास उस जमीन के लिये दरख्वास्त पेश करेंगे और जिस जमीन को कलेक्टर साहब खुदकाश्त के लिये दे सकेंगे तो ऑर्डर दे देंगे और दूसरा खुदकाश्त कमिश्नर के पास भेज देंगे। खुदकाश्त कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि चाहे तो दरख्वास्त को मंजूर करे और चाहे तो खारिज कर दे। इस अमेन्डिग बिल के जितने प्रोविजन्स हैं, एक-एक प्रोविज़न में कहीं न कहीं ऐसी धारा अवश्य है जिसके अन्तर्गत अपील कहीं न कहीं हो सके। कलेक्टर के हुक्म की अपील कमिश्नर के पास और कमिश्नर के हुक्म की अपील रेवेन्यू बोर्ड के पास हो सकती है लेकिन न मालूम क्यों खुदकाश्त कमिश्नर की अपील रेवेन्यू बोर्ड में होने पर पाबन्दी लगा दी गई है। खुदकाश्त एक ऐसी चीज है जिसकी अपील जागीरदारों को और काश्तकारों को, दोनों को करनी पड़ सकती है। काश्तकार जागीरदारों के खिलाफ अपील करना चाहे तो और जागीरदार जिनको खुदकाश्त की जमीन लेनी है तो वे भी रेवेन्यू बोर्ड में जाकर अपील कर सकें। खुदकाश्त की गम्भीरता को इस बिल के साथ में मंत्रीजी भी मानते हैं और चाहते हैं कि इस गम्भीर मसले को शान्ति के साथ और सुन्दर वातावरण में तय करना है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ पैदा न हो सके। अशान्ति के बारे में विशेष कुछ नहीं कहना है और न मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति पैदा हो। लेकिन मुझे इस बात का

[श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)]

शक है कि लोगों को शायद् न्याय नहीं मिल सकेगा । यदि खुदकाश्त कमिश्नर साहब ने अच्छा फैसला नहीं दिया और किसी को उनके प्रति असन्तोष हु . ा तो अपील भी नहीं कर सकते । जिस मसले को गम्भीर समझा गया है उस मसले को महज खुदकाश्त कमिश्नर के पास न छोड़ कर रेवेन्यू बोर्ड में जाने की अनुमति देनी चाहिये । रेवेन्यू बोर्ड कानूनी रूप से सहायता दे सकता है । इसलिये यह मेरा संशोधन है । मैं समझता हूँ कि मन्त्रीजी खुद सोचेंगे और इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, अभी एक अमेंडमेंट दांता रामगढ़ के मित्र ने सदन के समक्ष रखा है और उसमें कहा है कि खुदकाश्त कमिश्नर की अपील के लिये प्रोविजन होना चाहिये । मैं समझता हूँ कि खुदकाश्त कमिश्नर के प्रोविजन को पन्त रिपोर्ट में उन्होंने देखा होता और शायद् देखा होगा तो मालूम हुआ होगा कि खुदकाश्त कमिश्नर का कार्य-क्षेत्र एक मीडियेटर (mediator) के रूप में ज्यादा है, बमुकाबले जज (Judge) या फैसला देने वाले अधिकारी के रूप में । ऐसी हालत में उनकी अपील का प्रोविजन रखना आवश्यक नहीं है । दूसरे अधिकारी, जागीर कमिश्नर के बारे में सारे प्रिन्सिपल्स ले डाउन (lay down) हैं इसलिये उनके फैसले की अपील का प्रोविजन है । खुदकाश्त कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील करने की इसलिये जरूरत नहीं होती कि वह तो काम को एक्सपीडाइट करने के लिये मीडियेटर का कार्य करके फैसला देगा, इसलिये उसकी अपील की आवश्यकता नहीं है । यह प्रोविजन जान-बूझ कर नहीं रखा गया है और न इसको रखने की आवश्यकता होगी ।

दूसरे अमेन्डमेन्ट्स दिये हैं श्री मथुरादास जी ने । श्री तनसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसका प्रवेश श्री मथुरादासजी के अमेन्डमेन्ट में हो जाता है, इसलिये मैं श्री मथुरादासजी के अमेंडमेन्ट को स्वीकार करता हूँ ।

श्री भैरूँसिंह— माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने मेरे संशोधन के उत्तर में फरमाया कि यदि पन्त एवार्ड को इस तरह से देखा होता तो यह स्पष्ट हो जाता । जितनी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिये मीडियेटर के रूप में खुदकाश्त कमिश्नर कोशिश करेंगे । यह अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ १६ के माफिक कमिश्नर के कानूनी अधिकारों के बारे में दिये गये हैं कि वे किस तरह खुदकाश्त के मामले को हल करेंगे । यह क्लॉज़ १६ में स्पष्ट है : "Where an application under section 14 is received by the Commissioner for Khudkasht lands, he shall after holding the prescribed inquiry pass such orders thereon as he deems fit."

इसमें कोई मीडियेशन की धारा नहीं है । इसमें स्पष्ट है कि कानूनी जरिये से हल किया जाय । पन्त एवार्ड में मीडियेशन का जो जिक्र है वह इस चीज को हल नहीं करता । क्लॉज़ १६ के माफिक खुदकाश्त कमिश्नर को लीगल अधिकार देते हैं तो यह प्रश्न नहीं रहता कि उनको कानून के

[श्री भैरूँसिंह]

अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करनी होगी। जब कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं तो उनको कानून के अधिकार होने चाहिये कि अपील कर सकें। कानूनी अधिकारों की अपील न करने देने की जो मन्शा बताई है उस पर गम्भीर विचार करके स्वीकार करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री तनसिंह--मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहता हूँ और साथ-साथ यह अर्ज करता हूँ कि श्री मथुरादासजी ने संशोधन में ३६ ए रखा है वह मालूम होता है मिसप्रिन्ट हो गया है। २६ ए होना चाहिये इसलिए इसे देखा जाय। "सेक्शन ३६ ए" ऐसा कोई क्लॉज़ इस बिल में नहीं है। यह २६ ए होना चाहिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—२६ ए ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—We can take it as 26 A.

(विराम)

Is it the leave of the House to allow Shri Tansingh to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

Leave has been granted.

श्री तनसिंह—I withdraw it.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेन्ट्स श्री मथुरादास माथुर ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३०, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

Clause 31, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to Clause 31 :—

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

"The following proviso be inserted after section 40 sought to be substituted in the Principal Act :—

'Provided that such corrections shall be made in the presence of the parties concerned and after hearing them'."

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १४ के मातहत कम्पेन्सेशन के डिस्ट्रिब्युशन में और कम्पेन्सेशन देने में या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही में कोई मेथेमेटिकल मिस्टेक हो गई हो या कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई हो तो उस मिस्टेक को वह अधिकारी, जिसके इजलास में, जिसके कार्यालय में ऐसी गलती हुई है उसको खुद या इन्ट्रेस्टेड पार्टी की दरख्वास्त पर दुरस्त कर सकता है; तो मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो, क्लेरिकल मिस्टेक या मेथेमेटिकल मिस्टेक का यदि Correction करना हो तो जिन पार्टीज़ पर इस संशोधन का असर होने वाला है, उन पार्टीज़ को बुलाया जाय और उनके सामने उसे दुरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—That is clear. आपको (श्री राजस्व मंत्री की ओर इंगित करते हुए पूछा) एतराज है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—But that may amount to a larger expenditure.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यों तो कोई बात नहीं है इसको स्वीकार करने में, पर प्रोसेस (process) और बढ़ जायगा। I have'nt got any objection.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३१, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

श्री वेदपाल त्यागी—कब तक बैठने का है ?

श्री अध्यक्ष—I think we will leave our discussion of more important clauses for tomorrow and therefore we will finish other clauses today and will start this discussion afresh when we would be fresh in the morning.

(विराम)

क्लॉज़ ३२, श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३२ में मेरा संशोधन है। Should I take it as moved ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा मौन स्वीकृति)

जो प्रोपोजल रखा गया है क्लेरिकल एरर्स या मामूली ओमिशन्स के सुधार का......

एक माननीय सदस्य—इससे जाहिर है कि समय ज्यादा हो गया है, इसलिये दिमाग काम नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—I call Mr. Vedpal. He will first move his amendment and then Mr. H. K. will move.

(विराम)

Mr. Mathura Das may read it out.

श्री मथुरादास माथुर—Should it be taken as moved ? It is a technical amendment, "In clause 32 of the Amending Bill, the words:

'for section 44 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—'

shall be substituted for the words 'the following section shall be substituted for section 44 of the Principal Act, namely '."

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—I do not want to move it, Sir.

श्री भैरोंसिह (दांता रामगढ़)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 32 :—

"Insert the following new sub-section as sub-section. (3) after sub-

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

section (2) sought to be substituted for section 44 of the Principal Act :—

'3—Notwithstanding contained in any other law or Act no court fees shall be chargeable on any application process or like in proceedings or suit under this Act'."

माननीय अध्यक्ष, मूल कानून की धारा ४४ के मातहत यह रखा गया है कि—

"Save as provided in this Act, there shall be paid such court fees on every application filed in a proceeding under this Act, and such fees for the issue or execution of any process, as may be prescribed."

जिस वक्त क्षत्रिय महासभा और राजस्थान सरकार के बीच इस विषय को लेकर बात-चीत हो रही थी उस वक्त क्षत्रिय महासभा ने यह प्रस्ताव रखा था कि जितनी भी कार्यवाही जागीरी उन्मूलन के सिलसिले में की जाय उस कार्यवाही पर किसी भी प्रकार का स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगनी चाहिये। उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया और प्रिन्सिपल एक्ट के उस धारा ४४ के अमेंडिंग बिल के द्वारा हटा लिया। यदि इसको नहीं रखते, यदि धारा ४४ ओरिजिनल एक्ट की जो है वह यदि नहीं रहती तो जितनी दर्ख्वास्तें इस एक्ट के मातहत दी जाती हैं उन पर Registration Act के मातहत रजिस्ट्रेशन फीस-देनी पड़ती है, इस प्रकार की फीस से मुक्ति नहीं मिल सकती। या तो यह गलती रही है या चालाकी है।

एक चीज को हटा रहे हैं तो इस कानून में स्पष्ट करना चाहिये था कि किसी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। यदि स्टाम्प एन्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट में बाधा नहीं लगती है, यह स्पष्टीकरण नहीं होता है तब तक स्टाम्प एन्ड रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लगेगी। यदि पन्त एवार्ड का सम्मान करना है, जो समझौता जागीरदारों और राजस्थान सरकार के बीच में हुआ है उसका सम्मान रखना है तो यह स्पष्टीकरण करना होगा कि रजिस्ट्रेशन एन्ड स्टाम्प कानून इस सम्बन्ध की किसी भी कार्यवाही पर नहीं लागू होगा।

श्री अध्यक्ष—श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that clause 32 be deleted.

क्लॉज़ ३२ के शब्द "Insertion of new section for section 44, Act VI of 1952." है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जैसा पुराने सेक्शन से है वैसा ही नये सेक्शन से है 'Employment of persons at present under employment of the Jagirdars.'

क्लॉज़ ३२ में यह प्रस्तावित किया गया है कि एक नये प्रकार का नीचे प्रकार का सेक्शन रखा जाय। ओरिजिनल धारा ४४ की मंशा और है और प्रोपोज़्ड ४४ का सब्जेक्ट मेटर बिल्कुल और है :

"(1) Subject to any rules made under this Act, any person employed by a Jagirdar in connection with the management of his jagir lands resumed under this Act shall so far as may be practicable be employed by the Government."

और दूसरा अंश है :

"(2) Where any person referred to in sub-section (1) is not employed by the Government, the Government may grant to him such pension, compensatory allowance or gratuity as may be prescribed."

वैसे तो इस सेक्शन को, पहली सेक्शन में जहां 'shall' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें "as far as possible" लिखकर ठीक किया गया है। दूसरी में "में" रखा गया है। पर मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का क्लॉज़ किसी एक्ट में रखना बहुत नुक्सानदेह हो सकता है, और वैसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है।

राजस्थान की सरकार के अलग-अलग महकमें हैं और उनमें अलग-अलग ग्रेडों की नौकरियें हैं। उनमें कौन व्यक्ति नियुक्तियें कर सकता है और कौन नहीं, उस कानून के अनुसार नियुक्त होनी चाहिये। यह या तो पब्लिक सर्विस कमिशन ने तय कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमिशन अथवा उसके बारे में अलग रूल्स और नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उनके अनुसार होना चाहिये। अब यह जो क्लॉज़ यहाँ पर रखा गया है इस क्लॉज़ का तात्पर्य चाहे इसमें दर्ज हो या नहीं, लेकिन आवाज जो आज मौजूदा रूल के तरमीम करने में होती है, आप यह कहते हैं कि जो लोग जागीरदारों के यहाँ नौकर थे वे जहाँ तक संभव हो सके लिए जावेंगे। उसका मतलब यह होगा कि जागीरदार के यहाँ नौकरी करने वालों को नौकर रखा जावेगा और उनके सिलेक्शन के लिए पब्लिक सर्विस कमिशन के सामने मामला जाने वाला होगा। या तो जो क्वालिफिकेशन सरकार ने उनके लिये मुकर्रर की है उसके तहत में वे लोग आते हैं या नहीं, यह देखना है। ऐसी हालत में इस प्रकार का क्लॉज़ रख कर स्पेशल प्रायोरिटी रखना कहाँ तक ठीक होगा ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यदि यह कहा जावे जैसा कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा था कि सरकार ने अपने ऊपर कोई बोझा नहीं लिया है, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको नौकरियें दी जावेगी, इस प्रकार का बोझा लिया है। ऐसी हालत में मैं यह कहूँगा कि अगर राजस्थान के आदमी को कोई भी किसी प्रकार का कार्य करने का अनुभव हो, यदि सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में आ जावेगा तो उसको नौकर रख लिया जावेगा, अगर उसका रेकर्ड रेवेन्यू काम में किसानों के साथ खराब रहा है और उसने किसानों के साथ गड़बड़ की है तो वह उसके विपक्ष में जावेगा जैसा कि किसी दूसरे केस में लागू होता है। उनके अनुभव जागीरों में हैं, उनको कन्सीडर किया जावे, लेकिन अगर कोई ऐसा मुलाजिम है जिसने किसानों पर ज्यादती की है और उसके खिलाफ शिकायतें हैं और जिसने किसानों को बहुत तकलीफ दी हो, जिसने रेकर्ड में किसानों के रुपये दर्ज नहीं किए हों; ये सब बातें उसकी डिसक्वालीफिकेशन में चली जावेंगी। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि जो राज्य की नौकरियों के बारे में कानून बने हुए हैं, जो कानून स्टेन्ड हैं वही इन लोगों के लिए भी लागू किये जावें। ऐसी हालत में कोई बुरा नहीं है। वे भी राजस्थान के नौकर हैं चाहे वे राजपूत जागीरदारों के नौकर हों। वे भी नौकर हो सकते हैं। मगर आपने इस प्रकार का क्लॉज़ रख कर पब्लिक सर्विस कमिशन के नियमों के बारे में विशेष रूप से हस्तक्षेप किया है और जो भी स्टेन्डिंग ऑर्डर हैं उसकी कीमत कम कर रहे हैं। कुछ हद तक, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पब्लिक सर्विस कमिशन का ताल्लुक है इसका मतलब गलत लिया जा रहा है और अगर इसका मतलब गलत निकालने की कोशिश की तो उसको वोइड (Void) करार दिया जावे। राजस्थान सरकार इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकती। जिस तरह से आप इसको एप्लाई कर रहे हैं इससे तो एक तरह से उनका प्रायर क्लेम होगा तो यह खतरनाक सिद्धान्त होगा और इसलिए यह नहीं माना जा सकता।

अगर यह कहा जाता है कि उनको रेवेन्यू का अनुभव है तो मैं यह भी कहूँगा कि उसके साथ-साथ उनको किसानों के साथ जागीरदारों के यहाँ रहने पर ज्यादतियें करने का भी अनुभव है। दूसरी चीज का, जैसे मुलाजमान का अनुभव है तो साथ ही साथ उन्हें झूठ बोलने और झूठे मुकदमें और झूठे खाते खताने आदि का भी अनुभव है और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जावे तो इन इलाकों के लोगों के लिए और उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी आज तक की कलाबाजियें और चालबाजियों को देखते हुए व राजस्थान के देहातों की हालत को देखते हुए, मैं राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में इमानदार और काबिल व्यक्ति मिलें तो उन्हें जरूर लेना चाहिए मगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऊपर बताये हुए तरीकों से व्यवहार किया है उनको अगर राज्य सेवाओं में लिया तो आप एक ऐसी क्लास को बढ़ावा दे रहे हैं जो आज के नौकरशाही से बहुत ज्यादा कलर करने वाली है।

इसलिए चाहे आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें, चाहे किसी और दृष्टि से देखें यह क्लॉज़ वाजिब नहीं जँचता, ठीक नहीं जँचता। इसलिए मैं प्रस्तुत करता हूं कि इस पर विचार किया जावे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री देवपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ४४ की जगह जो धारा जोड़ी जा रही है इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Sub-section (2) of section 44 sought to be substituted for section 44 of the Principal Act be deleted."

Page 37-Item No. 9 of the Pant Report reads :—

"Employees of Jagirs may be absorbed in Government service. The Government have agreed to absorb suitable persons in Government service as far as possible."

अध्यक्ष महोदय, मैंने पंत रिपोट को पढ़ा और जो एग्रीमेन्ट जागीरदारों और गवर्नमेन्ट के बीच हुआ है उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखा। इस एग्रीमेन्ट को पंत रिपोर्ट में दर्ज किया गया है जो पेज ५७ पर आइटम नम्बर ८ में है और जो क्षत्रिय महासभा का डिसीज़न था। उसकी लाइट में इस नये क्लॉज़ को अगर देखते हैं तो यह नज़र आता है कि सूटेबल आदमियों को लेने के लिए ही गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा है बल्कि सरकार ने और भी जिम्मेदारी अपने पर ले ली है कि जो लोग सूटेबल नहीं हैं और जिनको गवर्नमेंट में नहीं लिया जावेगा उनको पेन्शन गवर्नमेंट की तरफ से दी जावेगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस कानून को लिबरेलाइज़ करने में पहले ही लाएबिलिटीज़ काफी ले ली है। इसलिए जो कुछ भी समझौता हुआ है उसके उपरान्त लाएबेलिटीज़ लेना कोई न्याय संगीत नहीं है। अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं यह कहूँगा कि यह पब्लिक फन्ड के साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (२) डिलीट कर दिया जावे। इसके अलावा एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक्ट की धारा ४४ को उड़ा कर जो एक नई धारा जोड़ी जा रही है। जो एग्रीमेन्ट गवर्नमेन्ट के साथ हुआ है उसमें लिखा हुआ है :

"Application to be submitted to the Chief Minister in connection with the implementation of the Jagirs Act."

प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ४४ में इस प्रकार का प्रोविजन था कि इस एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों पर कोर्ट फीस लगेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूँगा कि उनको कोर्ट फीस एक्ट की तहत में कोर्ट फीस देनी होगी और कोई इस कोर्ट फीस से माफ नहीं किया जा सकेगा। अगर आपको इस एग्रीमेंट को इम्पलीमेंट करना है तो आपको इस धारा को बदलवाना पड़ेगा कि जागीरदारों से कोर्ट फीस फलां-फलां सूरत में नहीं ली जावेगी। अगर इसको डिलीट करते हैं तो इसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, धारा ४४ के बारे में मेरे साम्यवादी मित्र ने सदन के सामने कुछ बातें रखीं और वे ऐसी बेसिर पैर की बातें थीं कि उनका जवाब सुनने के लिए उनको

[श्री मानसिंह महार]

घबराहट हुई, इसलिए वे अपनी सीट छोड़ कर इधर-उधर चले गये। फिर भी अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके जरिये मन्त्रीजी को यह बताना है कि मेरे मित्र ने यह फरमाया कि जागीरदारों का स्टाफ, नौकर बड़े अत्याचारी होते हैं, वे सिवाय आवाज उठाने के और कुछ नहीं जानते। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक मिसाल देना चाहता हूँ और वह यह है कि फॉर्मर जयपुर स्टेट के समय हमारे यहाँ पर ऐसा कानून था कि खालसे से कोई जागीरदार अपने जागीर क्षेत्र में किसी काश्तकार को लेजाकर नहीं बसा सकता था। इसकी वजह यह थी कि खालसे में किसानों पर बहुत अन्याय और अत्याचार होते थे और खालसे के किसान अपनी जमीन छोड़ कर जागीर क्षेत्र में जाकर बसते थे क्योंकि वहाँ पर उनको ज्यादा सुरक्षा मिलती थी व हर प्रकार के साधन मिलते थे।

एक माननीय सदस्य—आपकी जागीर की बात कर रहे हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार—सारी जयपुर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जागीर की नहीं। अगर कोटा की हो तो मुझे मालूम नहीं।

तो इस प्रकार की बात थी। इससे प्रमाण मिलता है। मेरे साम्यवादी मित्र ने यह बात कही कि जागीरदारों के नौकर अत्याचारी होते हैं, अन्यायी होते हैं, वे सिवाय अन्याय करने के, झूठे दस्तावेज़ तैयार करने के और कुछ नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि यह काम तो उन्हीं महानुभावों का है जिन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। उनका यह भी काम है कि जो आदमी इस सरकार के लाखों रुपयों का गबन कर ले और अगर वह चलते २ हार्ट डिजीज़ से या और किसी बीमारी से मर जाय तो उसका भी पक्षपात किया जाय और सदन में एक बवन्डर खड़ा किया जाय, फोटोग्राफ्स दिखाये जाँय। मैं उनसे पूछूँ कि जो आदमी २० लाख रुपयों का गबन कर लेता है और पुलिस में छानबीन के लिए पूछे और अगर वह मर जाय तो क्या बड़ी बात हो ? तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूँ सदन को कि जो जागीरदारों के नौकर हैं अगर उनकी बेकारी की समस्या को हल नहीं किया जायगा तो देश में और हमारे प्रान्त में एक प्रकार से बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो जायगी। वेन्कटाचार रिपोर्ट में भी इसके बारे में लाइट डाली गई है कि अगर जागीरदारों के स्टाफ को एबज़ोब नहीं किया गया तो यह बड़े खतरे की चीज़ होगी। अगर यही बात होती तो जब रियासतों का मर्जर (एकीकरण) हुआ तो रियासतों के नौकरों के लिए मेरे मित्र को कहने की गुन्जाइश होती तो वे यही कहते कि ये तो अनार्किस्ट हैं, ये नहीं रहने चाहिए; यह है, वह है। तो उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेकारी के बारे में मुझे यह कहना है कि जो महानुभाव इस सदन में बेकारी का प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि बेकारी इस प्रकार से दूर की जाय, उस प्रकार से दूर की जाय, अनएम्प्लॉयमेन्ट रिलीफ बोर्ड बनाया जाय, यह बनाया जाय, वह बनाया जाय; वे ही दूसरे तरीके से जिसको फिफ्थ कॉलम (fifth column) का तरीका कहा जा सकता है उस तरीके से चाहते हैं कि प्रान्त के अन्दर बेकारी बढ़े, प्रान्त के लोगों में अशान्ति का

[श्री मानसिंह महार]

वातावरण पैदा हो ताकि उनकी किसी तरह से उसमें दाल गल सके और वे अपना प्रचार कर सकें। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करते हुए यही कहूँगा कि उनका यह जो संशोधन है वह किसी प्रकार से मन्जूर करने लायक नहीं है; उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन वाली बात अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि सदन इस क्लॉज़ को भैरोंसिंहजी के संशोधन सहित मन्जूर कर लेगा।

श्री अध्यक्ष—उनके संशोधन को भी मन्जूर कर लें।

(हँसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जो माननीय भैरोंसिंहजी ने संशोधन रखा है उसकी इसलिए आवश्यकता नहीं कि पुराने एक्ट में ४४ वीं धारा थी और अगर वह धारा रहती तो उसके लिए निगेटिव क्लॉज़ की आवश्यकता हो सकती थी। इस पर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की मिनिस्ट्री से भी डिस्कस किया गया था। फीस के सम्बन्ध में पोज़िटिव क्लॉज़ के लिए निगेटिव क्लॉज़ की भी आवश्यकता हो सकती थी, अतः उसको हटा दिया गया है।

अब रहा दूसरा अमेंडमेन्ट जो कि हमारे जोधपुर के मित्र ने पेश किया था, जिसके अनुसार किसी भी जागीर के अन्दर काम करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाय और न मालूम क्या-क्या बातें आपने बतायीं। हो सकता है कि जागीर के अन्दर कइयों ने अत्याचार भी किये हों लेकिन साथ में किन-किन परिस्थितियों में किये, यह भी एक प्रश्न है और जिन्होंने नहीं किये उनके लिए भी कोई रास्ता हो या नहीं? तो यह भी एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। फॉर्मर राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, हमने जागीरों के मेनेजमेन्ट्स को टेक ओवर (take over) किया और जो सूटेबल आदमी जागीरों की सर्विस में थे उनको एब्ज़ोर्ब किया और मैं व्यक्तिगत आधार पर यह कह सकता हूँ कि आम तौर पर सर्विसेज़ के अन्दर लोग-बागों की जो स्थिति होती है वे भी उसी प्रकार के साबित हुए। खास तौर पर यह चीज उस समय हुई जब कि नया राजस्थान बनने वाला था और अधिक कुछ इसमें स्क्रूटिनी नहीं की जा सकी थी। तो इसके अन्दर हमने यह किया है कि जो व्यक्ति, जो जागीरदारों के नौकर हमारे रूल्स के अन्दर फिट पाये जावेंगे उनको एम्प्लोय किया जावेगा और इसके साथ ही साथ हमने जो वर्डिंग्स रखे हैं 'as far as practicable''. हमने यह काफी गोर्डेड लेंग्वेज़ (gaurded language) रखी है। जो उपयुक्त व्यक्ति होंगे और जिस तरह से दूसरे व्यक्तियों को इम्प्लोय किया जाता है उसी माफिक उनको भी एम्प्लोय किया जावेगा। अतः यह धारा रखना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस धारा से इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि जागीरी प्रथा के समाप्त होने पर जागीरदारों पर तो, मैं समझता हूँ कि कुछ अर्से तक कोई असर न हो और जितनी कि कई बार चर्चा होती है, लेकिन हो सकता है कि जागीरों में जो एम्प्लोयीज़ हैं उन पर उसका असर

[श्री मानसिंह महार]

काफी पड़ने वाला है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जागीरदार जब जागीरी समाप्त होने पर उनको अलग कर देंगे तो उन लोगों की हजारों और लाखों की तादाद में संख्या आयगी जो कि काम कर रहे थे और जो बेकार हो जावेंगे। अगर उनमें से किसी उपयुक्त व्यक्ति को यदि सरकारी सर्विस में चुन लिया जाय तो क्या किसी को आपत्ति हो सकती है ? इसमें अध्यक्ष महोदय, कोई शंका की गुन्जाइश ही नहीं रहती। अगर कोई नायब तहसीलदार है और कोम्पिटेन्ट है, अगर कोई क्लर्क है और नेसेसरी क्वालिफिकेशन्स को पूरा करता है, नेसेसरी एक्सपीरियन्स को पूरा करता है और यदि नेसेसरी स्टेन्डर्ड को पूरा करता है तो उसको रखना आवश्यक होगा। अतः इस धारा को रखना उपयुक्त होगा।

इस धारा में माननीय वेदपालजी ने जो सब क्लॉज़ (२) के बारे में अमेन्डमेन्ट मूव किया है वह अमेंडमेन्ट मुझे ऐसा लगता है कि वह स्वीकार करने योग्य है क्योंकि हमने जो कुछ कहा है उससे अधिक मतलब उसका समझा जाता है। सब को ग्रेचुइटी और पेन्शन देने का सवाल नहीं हो सकता। जो सूटेबल व्यक्ति हैं और जिनको हम एम्प्लोय करेंगे उनको ही दिया जा सकता है। सब को देना तो मुश्किल बात हो सकती है। अतः मैं श्री वेदपालजी त्यागी के अमेंडमेन्ट को स्वीकार करता हूँ और दूसरे अमेंडमेन्ट्स को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना संशोधन रखा था मैं समझता हूँ कि अगर उस पर ठीक प्रकार से विचार किया जाता तो माननीय मन्त्रीजी उसको अवश्य ही स्वीकार कर लेते। क्लॉज़ ४४ के मातहत मूल कानून के अन्दर हमने इस चीज को प्रेस्क्राइब किया है कि इस एक्ट के मातहत जितनी प्रोसीडिंग्ज होंगी उन पर कोर्ट फीस लगेगी, लेकिन जब समझ आई और उस आधार पर सरकार ने मान्यता दी कि इस एक्ट के आधार पर किसी एप्लीकेशन पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी। इस सम्बन्ध में निगेटिव क्लॉज़ आना आवश्यक है और जब तक वह नहीं लाते हैं तो कोर्ट फीस एक्ट के मातहत या उसके कारण से जितनी भी दरख्वास्तें रेवेन्यू कोर्ट में पेश की जायेंगी उन पर फीस लगानी पड़ेगी। वह रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर भी हो सकता है और अन्य ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। तो इन अफसरों के सामने डिटर्मिनेशन के लिए, केलक्यूलेशन के लिए या सेटलमेंट के लिए या किसी भी कारण के लिए जो दरख्वास्तें पेश की जावेंगी तो उन पर कोर्ट फीस एक्ट के मातहत कोर्ट फीस देनी होगी।

मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता था कि माननीय मन्त्री इसे स्वीकार कर लेंगे। इनको इस प्रकार निगेटिव क्लॉज़ अवश्य लाना चाहिये। निगेटिव क्लॉज़ नहीं लाया जाता है तो राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट लागू होता है। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट के मातहत दरख्वास्त पेश की जायगी तो लाजिमी रूप से कोर्ट फीस लागू होगी। आप यदि राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट की धाराओं को सामने रखकर इस पर विचार करते तो निगेटिव क्लॉज़ लाना आप अवश्य आवश्यक समझते। अगर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो पन्त अवार्ड में जो कुछ दिया है उसकी भी आप अवहेलना कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री से फिर निवेदन

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

करूंगा कि वे फिर एक बार मेरे इस संशोधन पर विचार करें और इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में दो-एक शब्द अर्ज कर देना चाहता हूँ। सब क्लॉज़ (२) को मन्जूर कर लेने से मेरा अमेंडमेंट का आधा भाग हट जाता है। माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि भूतपूर्व राजस्थान में सूटेबल लोगों को लिया गया लेकिन 'suitable शब्द इस क्लॉज में कहीं नजर नहीं आता। तो, क्या यह समझा जाय कि माननीय मन्त्री सूटेबल शब्द जोड़ने को तैयार हैं। लेकिन इस धारा का ताल्लुक उन सब मुलाजिमों से है जो जागीरों में एम्प्लोयड है। यह ठीक है कि जो लोग लिए जा सकते हैं उनको लिया जाना चाहिये, इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि मौजूदा ढंग से जो क्लॉज रखा गया है उससे यह प्रतीत होता है कि उनको प्रेक्टिकल सेफ गार्ड होने के बावजूद भी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला क्लॉज है।

वैसे ही मैं इस विषय में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जमवा रामगढ़ से आने वाले सज्जन ने कुछ प्रोत्साहन दिया है, कुछ बोलने के लिए। वैसे ही बेसिलसिले की बात करने की मेरी प्रवृत्ति कम रही है। वैसे मेरा नित नये चोले बदलने की भी प्रवृत्ति नहीं और न मैं उनके जितनी हाइट तक ही पहुँच पाया हूँ लेकिन सिर्फ मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिन मेरे माननीय मित्र को एम्बेज़लमेंट के बारे में दूर की बातें दिल में आईं, ठीक तो यह होता कि एम्बेजेलमेंट करने वाले को सजा मिलनी चाहिये और उसमें जो शरीक हों उनको भी सजा मिलनी चाहिये। पुलिस की कस्टोडी में टॉर्चर किया गया, जिसके बारे में यह शंका हो रही है। नॉर्मल कोर्स में उसकी डेथ नहीं हुई है, नेचुरल डेथ नहीं हुई। उसका संबन्ध जोड़ते हैं एम्बेज़लमेंट से। और भी कई व्यक्ति हैं जिनको अपनी पोल खुल जाने का डर है तो हो सकता है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए उसको दुनिया से निकाल दिया जाय। इसलिए इसकी पब्लिक इन्टरेस्ट में जाँच होनी चाहिये। मेडिकल जुरिस्ट की रिपोर्ट है......

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इन बातों में पड़ना नहीं चाहता किन्तु पार्टिक्युलरली इस बात का उल्लेख किया गया है माननीय मित्र द्वारा इस तरह से बिना वसूल की बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इस चीज से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। सब जागीरदारों के मुलाजिमों के बारे में कोई कह भी नहीं सकता और कुछ कुछ के बारे में इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि उनके रेकर्ड इस काबिल नहीं कि उनको राज्य की नौकरी में रखा जा सके। तो, ऐसी हालत में उन मुलाजिमों को छोड़ जो कि वास्तव में नौकरी पाने लायक हैं ऐसे मुलाजिमों की भी तरफदारी करने का मौका मिल जायगा। जिनका रेकर्ड खराब रहा हो, यह क्लॉज इस तरह की प्रवृत्ति का द्योतक है। अगर आप यह बात मेरे कहने से नहीं मानते हैं तो कम से कम जमवा रामगढ़ से आने वाले सज्जन के कहने से तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिये। मौजूदा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्लॉज जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसको आधा मन्जूर करने के साथ साथ सूटेबल वर्ड्स (suitable words) को जोड़ दिया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री से मैं कुछ क्लेरिफिकेशन जानना चाहता हूँ। जो कुछ गलतफहमी मुझे हुई उसको हटाना आवश्यक है। श्री त्यागी जी के एमेंडमेंट को मानकर आपने हमें बड़े असमन्जस में डाल दिया है; हमें बड़ा भारी शोक (shock) हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्रीजी की यह मन्शा है कि अगर जिन बड़े ठिकानों के मुलाजिमों के लिए जिस जगह ग्रेचुइटी या पेन्शनें कायम थीं, जिन्होंने चालीस-चालीस, पचास-पचास वर्ष तक ईमानदारी से जागीरों की सेवा की अब जब कि उस ठिकाने को रिज़्यूम किया जा रहा है, पुनर्ग्रहण किया जा रहा है तो क्या उनको प्राप्त हक़ूकों से महरूम करने की मन्शा है? इस संशोधन को मान लेने से क्या उनको पेन्शन या ग्रेचुएटी न दी जाय? जब राजस्थान में २०-२१ रियासतों का एकीकरण हुआ, इन रियासतों में हजारों अलग-अलग किस्म के अहलकार नौकर-चाकर थे उनमें सब को पेन्शन या ग्रेचुएटी उनका हक था, उनको जब एकीकरण के बाद भी वे हक वैसे के वैसे रहे तो फिर जागीरों के पुनर्ग्रहण के बाद जागीरों में काम करने वाले अहलकारों को ग्रेचुएटी और पेन्शन के फायदे से कैसे वंचित किया जा सकता है? उनमें से ऐसे भी सरकारी नौकर थे जो सर्विस के काबिल नहीं थे, उनको रिटायर करने पर उनका हक जो हुआ था दिया गया, तो मैं मेरे मित्र से जानना चाहूँगा कि क्या उनके हकों को हटाकर क्या हम यह समझें कि जिन लोगों के ठिकाने के कायदे के माफिक ग्रेचुइटी या पेन्शन, जैसी भी जिस किसी ठिकाने में हो कायदे के मुवाफिक उनके हक प्राप्त हो गए हों तो क्या आयन्दा से उन्हें वे हक नहीं दिए जायेंगे? यह इतनी बड़ी समस्या है कि जिसके बारे में थर्ड रीडिंग में बताने की आवश्यकता होगी। किन-किन बातों पर क्षत्रिय महासभा के साथ एग्रीमेंट हुआ था और किन-किन बातों को नहीं माना गया, ये सब बातें जब इस बिल की थर्ड रीडिंग होगी, बताने की चेष्टा करूंगा। अगर आपकी इस संशोधन को मानने की यह मन्शा है कि जिन लोगों ने बीस-पचीस साल तक ठिकाने की नौकरी की और उससे उनको जो ग्रेचुइटी या पेन्शन के हक प्राप्त हो गए थे उनको उन हकों से वन्चित करने की मन्शा है तो यह एक बहुत बुरी बात होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं एक-दो बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ। मैंने जो चीज डिलीट करने का एग्री किया है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नौकरी या सर्विस में नहीं रखे जायेंगे उनको ग्रेचुएटी या पेन्शन दी जायगी और जिनको पेन्शन दी जाती है उनको दी जाती रहेगी। इसमें दो बातें हैं; एक तो यह कि "Where any person referred to in sub-section (1) is not employed by the Government, the Government may grant to him such pension, compensatory allowance or gratuity as may be prescribed."

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैंने यह कभी नहीं कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सर्विस में नहीं रखा जायगा तो उनको पेन्शन या ग्रेचुइटी नहीं दी जायगी। आप जो बातें कह रहे हैं वे दूसरी बातें हैं। पेन्शन दी जाती रही हैं......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am not saying that. मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति नौकरी के काबिल नहीं; जिनका पेन्शन और ग्रेचुइटी का हक प्राप्त हो गया उनका क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (जारी)—ठिकाने के कायदे के माफिक, जैसे कोई उनियारा के ठिकाने में मुलाजिम है और उसने २५ वर्ष तक सर्विस कर ली और अब वह व्यक्ति सर्विस के काबिल नहीं है तो उसको उस ठिकाने के कायदे के माफिक पेन्शन और ग्रेचुइटी का हक है। इस प्रकार के इन्डिवीज्युअल केसेज़ है जिन्हें इन्डीविस्युअल मेरिटस पर ले सकते हैं। इनको अलग-अलग तौर से एक्जामिन कर सकते हैं। वह जो क्लॉज़ है इससे उचित तौर से इस तरह की जिम्मेदारी आती है के वे हमारे साथ में इनकोरपोरेट हो जांय।

खेतड़ी, सीकर, उनियारा आदि ठिकानों में जो रूल्स हैं उन पर अलग से कन्सीडर किया जा सकता है। आप सब क्लॉज़ पढ़ेंगे तो आपको सब बातों का ठीक तरह से पता चल जायगा। माननीय अध्यक्ष इसके साथ साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। श्री भैरोंसिंह ने जो बातें रखी हैं मैं समझता हूँ उनको एग्ज़ामिन करने की जरूरत है। इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में सब दृष्टि से विचार करके अन्तिम रूप से कल तय किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर—क्लॉज़ ३३ ले लिया जाय, इसके बाद में शिड्यूल शुरू हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—Clause 33 is very simple.

श्री जवानसिंह—I don't want to move.

श्री तनसिंह—"In sub-clause (v) the word 'inserted' be substituted by the word 'substituted'."

माननीय अध्यक्ष, यह मेरा अमेन्डमेंट टेक्निकल है। इस पर मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। क्योंकि वह सारा क्लॉज़ हटाया जाकर दूसरा लगाया जा रहा है इसलिये "inserted" की जगह "substituted" शब्द ठीक रहेगा।

मेरा ख्याल है कि इसको स्वीकार करने में माननीय मन्त्री को कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री मथुरादास माथुर—These are all verbal amendments. Should we take them as moved ?

श्री अध्यक्ष—Yes, Rawat Shri Shambhu Singh.

रावत श्री शम्भूसिंह—अध्यक्ष महोदय, धारा ३३ में मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है :—

"After clause (x) insert a new sub-clause (xi) "For protection in case a Jagirdar is desirous for protection against apprehanded trespass and mischief over his property by prejudicial and jealous persons."

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट की सेक्शन ४८ में रूल्स फ्रेम करने का अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया है। उसमें मैं एक अधिकार के विषय में यह संशोधन या अमेन्डमेंट रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेंट का एक विशेष महत्व है क्योंकि जागीरदार को जो इस वक्त स्टेटस था और जो पॉवर एन्जोय (enjoy) कर रहा था उस स्टेटस से और उन पॉवर्स से यह हट रहा है और उनके हाथ में अब कुछ पॉवर नहीं रहे हैं। इस वक्त भी जागीरदारों के विरुद्ध विशेष व्यक्तियों द्वारा बनाया हुआ काफी विषैला वातावरण मौजूद है और सम्भव है कि जब जागीरदार के पास कोई सत्ता न रहे तो यह वातावरण और उग्र रूप धारण कर ले। राजाओं ने भी जब अपनी रियासतें सौंपी थीं भारत सरकार को तो उन्होंने भी अपने स्टेटस का भारत के संविधान में काफी सेफ गार्ड करवा लिया था। तो मैं उसी तरह से इन जागीरदारों के लिए भी एक प्रोटेक्शन के विषय में रूल फ्रेम करवाने के वास्ते यह अमेंडमेंट रख रहा हूँ। जागीरदारों के विरुद्ध जो जेलस और प्रेजुडिस्ड पर्सन्स (Jealous and prejudiced persons) हैं और जो लोग कि अपनी नेतागीरी कायम रखने के लिए सिर्फ लोगों को इस बात के वास्ते तैयार करना चाहते हैं कि जागीरदारों के और उनके बीच में लड़ाई चलती रहे तो यह सम्भव है कि वे भोले-भाले लोग ऐसे नेतागिरी के भूखे और प्रेजुडिस्ड और जेलस पर्सन्स के बहकावे में जल्दी आ सकते हैं और जागीरदारों की प्रोपर्टी में ट्रेस्पास करके बखेड़ा पैदा कर सकते हैं अथवा और कोई कई तरह की मिस्चीफ कर सकते हैं तो इस खतरे के एप्रीहेन्शन के वक्त एक प्रिवेन्टिव नेचर का प्रोटेक्शन जागीरदार को मिल सके, इस तरह का एक रूल गवर्नमेंट फ्रेम कर ले; जिसके वास्ते अधिकार सरकार को देने के लिए यह अमेंडमेंट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस अमेंडमेंट के विषय में यह कहा जा सकता है कि जब बाकायदा कोर्ट मौजूद है, कानून कायदे मौजूद हैं तब ऐसे प्रोवीजन की क्या आवश्यकता हो सकती है? किसान की जो एप्रीहेन्डेड ट्रेस्पास या मिस्चीफ की बात हो तो इसके लिए कलेक्टर, कमिश्नर या कोर्टों को एप्रोच किया जा सकता है। यह रूल बनाने से क्या मतलब? तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चूंकि इस तरह के बार-बार और बहुत ज्यादा संख्या में होने वाले जो एप्रीहेंडेड क्राइम्स हैं उनको प्रिवेन्ट (prevent) करने के लिए बार-बार बात-बात में कोर्टों को एप्रोच करना और कोर्टों से बार-बार, बात-बात में रिलीफ सीक (seek) करना, यह आजकल के इस जमाने में कितना मुश्किल, व्ययसाध्य और हैरानी भरा है, यह आज हम आप सब जानते हैं और खास कर उस हालत में जब कि कोर्टों की तमाम कार्यवाही एन्क्वायरीज़, गवाहियों पर चलती है और गाँव के जेलस और

[रवत श्री शम्भूसिंह]

प्रोजुडिस्ड लोग गांव को इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि जागीरदार के लिए कोई विटनेस ही तय्यार न हों। इस हालत में जागीरदार को कोर्ट के नजदीक एप्रोच करने पर उनके केसों की क्या दशा होगी, यह बखूबी हम अन्दाज लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रेज्युडिस्ट और जेलस लोग गाँव वालों में से किसी को गवाहियाँ तो होने देंगे नहीं और एन्क्वायरी में और भी नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं वे उपस्थित करते रहेंगे और ऐसी हालत में फिर जागीरदार एक असहाय अवस्था में रहेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से यह निवेदन करता हूँ कि जब इस सिलसिले में दूसरे रूल्स बनाये जावें तो जागीरदारों को अपनी प्रोपर्टी के प्रोटेक्शन के वास्ते भी पूरी सहूलियतें मिल सकें; इस किस्म के रूल्स बनाये जावें ताकि जेलस और प्रोजुडिस्ड पर्सोनल्स के द्वारा अपनी नेतागिरी कायम रखने के लिए कोई द्वेषभाव से प्रेरित गलत काम या मिस्चीफ जागीरदार के खिलाफ न कर सकें। मैं यह भी नहीं चाहता कि ये रूल्स सभी जागीरदारों के लिए हों। पर जो बात के लिए डिज़ायरस हों कि उनको कानून का संरक्षण मिलना चाहिये तो उनके लिए उनकी प्रोपर्टी की रक्षा के लिए कोई ऐसा प्रोवीजन इस कानून में नियम बनाते समय सरकार को अवश्य रख देना चाहिये कि जिससे भविष्य में होने वाली जागीरदार-किसानों की लड़ाइयों और इसी प्रकार की दूसरी झगड़े की चीजें हैं उनकी सम्भावनाएं बहुत कुछ मिट जाएं और इसलिए फिर मैं एक बार राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा यह साधारण-सा दिखने वाला छोटा-सा संशोधन भले ही हो पर उन जागीरदारों के लिए जो ऐसे झगड़ों के कारण परेशान हो सकते हैं बहुत महत्व का है। इस वास्ते मुझे आशा है कि माननीय मन्त्रीजी इस पर अवश्य ध्यान देंगे और इसे जरूर मन्जूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप (हिम्मतसिंहजी से) बोलेंगे?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—जी नहीं, समय काफी हो गया है। अब तो कल के लिए स्थगित किया जावे तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं इस समय अब किसी भाषण में ज्यादा नहीं जाना चाहता। संक्षेप में सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी और मथुरादासजी ने पेश किये हैं वे मैं स्वीकार करता हूँ और बाकी के दूसरे संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री जवानसिंह—भाषण देते और इन्कार करने के कारणों पर प्रकाश डालते तो बहतर होता। इन संशोधनों के सिलसिले में बहुत सी अहम बातें कही गई हैं, जिन पर इन्कार करने के कारणों पर माननीय मन्त्री महोदय रोशनी डालते तो अच्छा होता।

रावत श्री शम्भूसिंह—मैंने जो अमेंडमेंट रक्खा उसका केवल नकारात्मक उत्तर मिला। मगर इस इन्कारी के कोई रीज़न्स नहीं फरमाये कि क्यों आप इसे इन्कार करना चाहते हैं। आशा है अपने रीज़न्स वे बताने की कृपा करेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—उनकी तबियत अब ऊब गई मालूम होती है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने प्रस्तुत किया और मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया वह स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

दूसरा श्री मथुरादास माथुर का संशोधन है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है और जिसे मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। क्या सदन को यह स्वीकार है?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री भैरूँसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, श्री मथुरादासजी का संशोधन जो स्वीकार हुआ है वह हाउस के सामने रक्खा ही नहीं गया है, यह मैं समझता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शम्भूसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

The question is that clause 33, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

Clause 33, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 34,

(सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित करने के अनुरोध पर)

सदन कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(सदन की बैठक ८-५३ रात्रि पर कल दिनांक ८ जून, १९५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—७ जून, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्रियों की अनुमति है)

प्रश्न

श्री महादेव प्रसाद—(क) क्या नवलगढ़ हरिजन पाठशाला में एक मुस्लिम अध्यापक रखा गया था ?

(ख) यदि हां, तो उसकी योग्यता कहां तक थी ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक बिना किसी सूचना के पाठशाला के सामान को लेकर भाग गया ?

उत्तर

श्री उपनिरीक्षक, शिक्षणालय झुंझुनू से विस्तृत रिपोर्ट इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है जिसमें बतलाया गया है कि इस सत्र के आरम्भ अर्थात् जौलाई सन् ५३ में नवलगढ़ में एक हरिजन स्कूल सरकार की ओर से नया खोला गया और उसको सुचारु रूप से चलाने के लिये एक अध्यापक जिसका नाम अब्दुल रहीम है मिडिल स्कूल टंकोर से हरिजन स्कूल नवलगढ़ स्थानान्तरित किया गया। इस अध्यापक ने अपना कार्यभार १४ सितम्बर, सन् ५३ को सम्भाला ही था कि नगर के हरिजन कार्यकर्ताओं ने कोशिश करके एक हरिजन अध्यापक की, जिसका नाम नाथूसिंह था, नियुक्ति हरिजन स्कूल में कराली। चूंकि इस स्कूल में केवल एक ही अध्यापक का स्थान था श्री अब्दुल रहीम को वहां से निनियागोठड़ा केवल ४ दिन के बाद ही बदलना पड़ा। श्री अब्दुल रहीम किन्ही कारणवश जिसमें घर से अधिक दूरी प्रमुख थी नुनियागोठड़ा कार्यभार सम्भालने नहीं पहुँचे। इसलिये १८।६।५३ से ६।१०।५३ तक उनको अवैतनिक अवकाश स्वीकार किया। तत्पश्चात उनका स्थानान्तर प्राइमरी स्कूल देवास में किया गया और वे अब तक वहां कार्य कर रहे हैं। उनकी योग्यता मिडिल पास है। हरिजन स्कूल नवलगढ़ में यह अध्यापक बहुत ही कम दिन रहा और स्कूल छोड़ते समय उसने हरिजन अध्यापक को नियमित रूप से चार्ज नहीं दिया। उसके जिम्मे खेल का सामान, जिसकी कीमत लगभग ४३रु० ८ आने बतलाई जाती है निकाला गया है। श्री उपनिरीक्षक, शिक्षणालय झुंझुनू इसकी इन्क्वायारी कर रहे हैं। यदि यह सामान उसके जिम्मे होना पाया गया तो यह रकम उससे वसूल करके स्कूल के गेम्स फंड में जमा करादी जावेगी तथा उचित दंड दिया जावेगा। यह

बात अभी विवादास्पद है क्योंकि ३।४ दिन की अवधि में अध्यापक द्वारा ४३६० ८ आने का सामान लेकर चला जाना समझ में नहीं आता। इसलिये निर्णयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितना सामान लेकर चला गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित व्यवस्था कर दी जावेगी।

प्रश्न

१०३४ (५६/एल. एल. एम. श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर २०)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या ग्राम लाम्पोलाई (तहसील मेड़ता) में पानी पीने का साधन सिवाय तालाब के कुछ नहीं है?

(ख) क्या वहाँ के खारे बेरे भी तालाब के पानी पर निर्भर हैं?

(ग) क्या उस तालाब में पानी का जो पायतण है उसको ग्राम पंचायत के रोकने पर भी कई लोगों ने उससे काश्त करली है?

(घ) क्या पायतण से काश्त कर लेना बेजा नहीं है?

(ङ) क्या इस किस्म की काश्त शुदा जमीन पर से कब्जा हटाया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

(च) क्या लाम्पोलाई तहसील मेड़ता के तालाब में पानी लाने की नहर खेत बोने की वजह से गांव के बिल्कुल पास से तालाब में जाती है, जिससे तालाब में गांव का मैला पानी जाने का हर दम डर रहता है?

(छ) क्या यह कठिनाई दूर करने के लिये पंचायत इस पानी की नहर को सीधी तालाब में निकलवायगी?

उत्तर

(क) गांव लांपोलाई में एक गोपालसागर नामक तालाब है। वह एक नाड़ी है और १५-२० चालू कूए हैं परन्तु कूओं का पानी खारा होने से केवल तालब का ही पानी पीने के काम में आता है। नाड़ी का पानी बहुधा पशुओं के काम में आता है।

(ख) खारे पानी के कूओं का तालाब के पानी से सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि उनका पानी पीने के काम में नहीं आता।

(ग) हां। १५-२० काश्तकारों ने काश्त करने के उद्देश्य से पायतण की भूमि को साफ करना प्रारम्भ किया था, परन्तु उस समय वहां ग्राम पंचायत स्थापित नहीं होने से गांव के उन काश्तकारों को समझा-बुझाकर बन्द कर दिया। पायतण में काश्त करना अनुचित होने से पंचायत ने माल विभाग से आवश्यक लिखा-पढ़ी करना प्रारम्भ कर दिया है।

(घ) पूर्व की ओर से जो बरसाती पानी एकत्रित होकर नहर के द्वारा गोपालसागर एवं घड़ोई में आता है वह नहर गांव के निकट होकर जाती है। इसका कारण बीच में चार खेतो का होना है। इस विचार से कि गांव का गन्दा पानी तालाव की नहर में प्रवेश न करे गांव के विलकुल पास ही गन्दे पानी की नहर खोदी गई है और कई व्यक्तियों के बाड़े जनहित की दृष्टि से काटने पड़े, किन्तु इस पर भी तालाव की नहर में गन्दा पानी आने का डर बना ही रहता है। पंचायत को सदैव नहीं तो चतुर्मास में अवश्य सतर्कता से रोकथान करनी पड़ती है। इस विचार से कि तालाव की नहर में गन्दे पानी के जाने का डर ही न रहे ग्राम पंचायत उस नहर को खेतों के बीच में होकर ले जाने के लिये कटिवद्ध हैं और इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों से पंचायत ने लिखा पढ़ी प्रारम्भ करदी है।

Page No.174

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०३६ का उत्तर देखिये)

क्र० सं०	गाँव का नाम	नंबरदार का नाम	तारीख नियुक्ति
१	२	३	४
१.	भिजपुरा	रामकरण पुत्र जीवाका	१०-१२-५३
		गोपाल पुत्र मगना का	१५-१२-५३
२.	गूदली	हर नाथ पुत्र ऊदाराम का	२६-१२-५३
३.	खातोली	छोटूराम पुत्र सूजा का	३०-१२-५३
४.	टोंकरा	सुखदेव जाट काली डूंगरी का	३०-१०-५२
		भूरा गूजर	३०-१०-५२
		माधो जाट	२४-१२-५३
५.	मोजीवास	सुज्या बेटा हरलाल जाट	२३-१०-५३
६.	सालोता	कामा जाट (अस्थायी)	२३-१०-५२
७.	बूंदरी	सूरजकरण बेटा कल्याण का	१७- २-५३
८.	तोलावल	नीरा बेटा रामधन जाट का	३- २-५३
९.	रामपुरा	सवाई बेटा छीतर जाट का	१०-१२-५३
१०.	नाहरिया	गोवर्द्धन गूजर	२३-१०-५२
११.	नाल	भूरा जाट	७-१२-५३
१२.	बाटन	लालूराम अहीर	५-११-५३
१३.	खंडाच	बालू बेटा छीतर का	५-१२-५३
१४.	टेहरी	प्रह्लाद बेटा सरूपा का	५-१२-५३
१५.	सरगाँव	रामा, बालू, गंभीरा, गूजर और गिरधारीनाथ	२३-१०-५१
१६.	नया गाँव	सुखा बेटा रामा गूजर	२३-१०-५१
१७.	नरवर	माधू बेटा सूरजमल जाट का	२६-१२-५३
१८.	उदयपुर कलाँ	राधाकृष्ण माली	४- ५-५३
१९.	उदयपुर खुर्द	भूरा बेटा नन्दू दरोगा का	४- ५-५३

क्र० सं०	गाँव का नाम	नंबरदार का नाम	तारीख नियुक्ति
१	२	३	४
२०.	कह्यारिया	नारायण जाट	१२- ८-५२
		नारायण	११- ६-५३
२१.	बरना	भूरा जाट	२१- ६-५३
		बलदेव रेगर और लादूराम	२१- ६-५३.
२२.	कल्याणपुरा	सूजा जाट	२३-१०-५२
		भेरू बेटा सूजा का	१०-१२-५३
२३.	छीगा खेड़ा	सरवण (अस्थायी)	२३-१०-५२
२४.	मंदवारिया	लादू जाट (अस्थायी)	२३-१०-५२
२५.	भूहारू	भागीरथ गूजर (अस्थायी)	२३-१०-५२
२६.	गोठियाना	बींजा बेटा हरनाथ का (अस्थायी)	२२-१०-५२
२७.	डीडवारा	शिवचन्दा जाट (अस्थायी)	२२-१०-५२
		और अर्जुन गूजर	२२-१०-५२
२८.	मूंडोती	घीसालाल बिरामण	२२-१०-५२

————